सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

स्थानापन्न सम्पादिका :—
श्रीमती लक्ष्मीदेवी

सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०
(जेल में)

T lephone No.
205

Telegrams :
'Bhavishya'

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने

Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार; १३ अगस्त, १९३१

संख्या १०, पूर्ण संख्या ४६

बम्बई की सुप्रसिद्ध नेत्री—श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; १३ अगस्त, १९३१ | संख्या १०, पूर्ण संख्या ४६

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी पर मुक़दमा चला दिया !

समस्त भारत में ऐसा विचित्र केस आज तक नहीं चला था !!

यू० पी० गवर्नमेण्ट के होम मेम्बर तथा चीफ़ सेक्रेटरी को सहगल जी का तार

बम्बई-गवर्नर का असन्तोषजनक उत्तर :: क्या महात्मा जी गोलमेज़ में शरीक होंगे ?

—प्रयाग के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मूडी ने 'चाँद' और 'भविष्य' के सञ्चालक श्री० सहगल जी के विरुद्ध एक विचित्र मुक़दमा चला कर प्रेसों के स्वामियों के सामने एक नई समस्या उपस्थित कर दी है। भारतीय प्रेसों के इतिहास में यह नवीन और अजीब घटना है और इससे पहिले कदाचित इस तरह का कोई मुक़दमा किसी प्रेस के स्वामी के विरुद्ध नहीं चला है।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना है कि—"जो वाक़यात मेरी जानकारी में आए हैं, उनसे मालूम होता है कि फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के स्वामी आर० सहगल एक प्रेस के स्वामी हैं, जो सन् १८६७ के एक्ट २५ की धारा ४ के अन्दर आता है।

"अभी हाल ही में दो अन्य व्यक्तियों ने अपने को प्रेस का 'कीपर' घोषित किया था, और कल इस बात का प्रयत्न किया गया था, कि एक महिला, जिन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके क़ब्ज़े में प्रेस है, प्रेस की कीपर का डिक्लेरेशन दें।"

इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह समझा है कि मि० आर० सहगल फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के कीपर बिना १८६७ के एक्ट २५ की धारा ४ के अनुसार डिक्लेरेशन दिए हुए रहे हैं और इस प्रकार उक्त एक्ट की धारा १३ के अनुसार जुर्म किया है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मामले को सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादरी के पास फ़ैसले के लिए भेजा है।

जो सम्मन श्री० सहगल जी के पास आया है, उसके अनुसार मामले की पहली पेशी १७ अगस्त को निश्चित हुई है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी ने एक पत्र 'लीडर' में प्रकाशनार्थ भेजा है और उसकी नक़ल स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजी है। इस पत्र में इस बात का घोर विरोध किया गया है कि उन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह नहीं कहा कि प्रेस-एक्ट के अनुसार प्रेस उनके क़ब्ज़े में नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया था, जिसकी चर्चा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने 'ऑर्डर' में की है। श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने पत्र के अन्त में लिखा है कि "वास्तविक परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, जबकि मैं स्वयं प्रेस की 'कीपर' की हैसियत से डिक्लेरेशन देने गई थी, ऐसी निराधार कल्पना करना बिल्कुल बेहूदा है।"

—इधर कुछ दिनों से श्री० सहगल जी तथा इस संस्था पर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की असाधारण कृपा (!) रही है, समय-समय पर पाठकों ने उनका समाचार और विवरण पढ़ा ही होगा ! इन्हीं सब बातों से दुखी होकर १२ अगस्त को श्री० सहगल जी ने यू० पी० गवर्नमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरी तथा होम मेम्बर को तार भेज कर कहा है कि अब परिस्थिति सर्वथा असह्य हो गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध प्रबल प्रमाण लेकर आपसे मिलना चाहता हूँ। कृपया साक्षात के लिए कोई समय नियत करें" रात के १२ बजे तक इस तार का कोई उत्तर हमें नहीं मिला है।

—सतना का १० अगस्त का समाचार है कि रीवाँ के महाराजा ने श्री० प्रतापसिंह, राजमानसिंह, तिवारी आदि समस्त राजनैतिक क़ैदियों को बिना शर्त छोड़ देने की आज्ञा दे दी है।

—११ अगस्त की ख़बर है कि सौगढ़ (गुजरात) के गवर्नमेण्ट स्कूल के हाते में रविवार को प्रातःकाल बम फटा। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। इसकी सूचना पुलीस को तुरन्त दी गई। पुलीस बड़ी सरगर्मी से जाँच कर रही है।

—काश्मीर के घरेलू प्रश्न को लेकर कुछ स्वार्थी मुस्लिम नेता राज्य के ख़िलाफ़ तूफ़ान मचा रहे हैं। शिमले में 'अखिल भारतीय काश्मीर कमेटी' नामक एक संस्था काश्मीर राज्य के ख़िलाफ़ देश-व्यापी आन्दोलन करने के लिए बनाई गई है और उसने देशवासियों से अपील की है कि आगामी शुक्रवार को समस्त देश में काश्मीर-दिवस मनाया जाय, जिसमें जुलूस निकलें, सभाएँ हों। ख़बर है कि काश्मीर दरबार और भारत-सरकार में कुछ लिखा-पढ़ी हो रही है।

—कानपुर में राजाराम ज़ालिम नामक एम युवक ने ११ अगस्त को आत्म-हत्या कर ली। कहते हैं कि इसी युवक ने अभी हाल में कानपुर में रमेशचन्द्र दत्त नामक कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्ता की हत्या की थी।

—चटगाँव के एक मकान में तलाशी लेकर पुलीस ने १ भरा हुआ रिवॉल्वर, कुछ कारतूस और बम बरामद किया है। ५ युवक भी गिरफ़्तार किए गए थे, मगर बाद में वे छोड़ दिए गए।

—लखनऊ की ख़बर है कि सरकार अगले वर्ष में विनिमय की दर १८ पेन्स में परिवर्तन कर देगी। यह सुराग़ पाकर बड़े-बड़े यूरोपियन सरकारी नौकर अपना-अपना प्रॉविडेण्ट फ़ण्ड निकाल रहे हैं और उन्हें इसकी सुविधा भी दी जा रही है।

—पञ्जाब के गवर्नर पर गोली चलने के मामले के मुख़बिर वासन्दाराम के जिरह में यह बयान दिया है कि इस काण्ड के पहिले मेरा विश्वास षड्यन्त्र आन्दोलन से था, परन्तु काण्ड के बाद ही मेरा वह विचार बदल गया और महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने षड्यन्त्र दल से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

—महात्मा जी गोलमेज़ में सम्मिलित होने के लिए लन्दन जायँगे या नहीं, यह अभी तक निश्चित रूप से तय नहीं हुआ है। बम्बई के गवर्नर के जिस जवाब पर महात्मा जी का जाना निर्भर था, वह जवाब ११ अगस्त को एक विशेष सन्देशवाहक द्वारा आ गया। जवाब सन्तोषजनक नहीं है, इसलिए महात्मा जी ने वर्किङ्ग कमेटी की सलाह से यह निश्चय किया है कि उनका लन्दन जाना मुश्किल है। महात्मा जी ने अपना यह निश्चय वाइसरॉय के पास भेज दिया है और अब वाइसरॉय के उत्तर का इन्तज़ार किया जा रहा है। वर्किङ्ग कमेटी के सदस्य भी वाइसरॉय के उत्तर की प्रतीक्षा में अभी बम्बई में ही ठहरे हुए हैं। मालवीय जी से एक पत्र-प्रतिनिधि ने यह प्रश्न किया कि महात्मा जी भी आपके साथ जायँगे या नहीं, इस पर मालवीय जी ने उत्तर दिया कि—"यह प्रश्न बड़ा दुखदाई है।"

—इङ्गलैण्ड के नरम दल वाले समाचार पत्र महात्मा जी को यह सलाह दे रहे हैं कि महात्मा जी को लन्दन चले आना चाहिए और वहीं साम्प्रदायिक प्रश्नों को तय करना चाहिए। 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने यह फ़र्माया है कि यदि दोनों जाति के नेता आपस में फ़ैसला न कर सकेंगे, तो ब्रिटिश सरकार इस मामले का फ़ैसला कर देगी।

—हिन्दू महासभा के प्रेज़िडेण्ट श्री० विजय राघवाचार्य ने वाइसरॉय के पास तार भेज कर इस बात का तीव्र विरोध किया है कि गोलमेज़ में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में नहीं बुलाए गए हैं और विधान-कमेटी, सीमा प्रान्त-कमेटी और सिन्ध-कमेटी में हिन्दुओं के मतों के व्यक्त करने की बिलकुल सुविधा नहीं दी गई है।

महात्मा जी रो पड़े

बम्बई में गत ३ अगस्त को राष्ट्रीय दल के मुसलमानों की जिना-हॉल में एक सभा हो रही थी। यह सुन कर शौकत-दल के मुसलमान बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच गए और गड़बड़ मचा कर राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं पर हमला कर दिया। 'बॉम्बे-क्रॉनिकल' पत्र के सम्पादक श्री० ब्रेलवी और श्री० चागला को हलकी और सीमा-प्रान्त के श्री० हकीम अब्दुल जलील को गहरी चोटें आई हैं। इसी दुर्घटना का ज़िक्र करते हुए महात्मा जी बम्बई की अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक में रो पड़े। आपने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक भाई दूसरे पर हाथ उठाता है और हममें आपस ही में कितनी शत्रुता बढ़ गई है।

—मथुरा ज़िले के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता श्री० डोरीलाल को गत ३ अगस्त को एक साल तक के लिए नेकचलनी की ज़मानत देने या एक साल की सज़ा भुगतने का दण्ड दिया गया। श्री० डोरीलाल ने जेल जाना स्वीकार किया और वह जेल भेज दिए गए। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद मथुरा ज़िले में अब तक ३६ व्यक्तियों को सज़ाएँ दी जा चुकी हैं और अभी कुछ गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के मुक़द्दमे फ़ैसल होने को बाक़ी हैं।

काशी-नरेश का स्वर्गवास

बड़े खेद का विषय है कि गत ४ अगस्त को काशी-नरेश महाराज सर प्रभुनारायण सिंह का ७६ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया। केवल दो दिनों की बीमारी में आपकी इहलीला समाप्त हो गई। मृत्यु के समय तक आपके होश-हवास दुरुस्त थे और आपकी ताक़त भी नहीं घटी थी। आपका जन्म १८५५ ईस्वी में हुआ और सन् १८८९ में आपको राज्याधिकार प्राप्त हुआ। बाद में सन् १९११ में आप 'स्वतन्त्र' नरेश कर दिए गए। स्वर्गीय महाराज बड़े विद्वान, विद्याप्रेमी, मृदु-भाषी, उदारमना थे और आपके शासन-काल में राज्य की बड़ी उन्नति हुई थी। आपके इन्हीं गुणों के कारण काशी की जनता भी आप पर बड़ी भक्ति रखती थी और आपको अपना राजा मानती थी। आपकी मृत्यु के शोक में बनारस की अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ और दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें बन्द थीं।

—'आज' पत्र के सम्पादक पर बर्मा-सम्बन्धी एक लेख के कारण जो १२४-अ के अनुसार मुक़द्दमा चल रहा था, उसमें उनको १,०००) रु० जुर्माना या जुर्माना न देने पर ६ मास की सज़ा का दण्ड दिया गया है।

—महात्मा जी का 'नवजीवन' प्रेस, जो सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया गया था, अब ५ अगस्त की ख़बर है कि लौटा दिया गया है। सरकार ने गाँधी-इर्विन समझौते के बाद ही मैशीनों को लौटाने की आज्ञा दे दी थी, मगर प्रेस के मैनेजर का यह कहना था कि मैशीनें जिस जगह से ले जाई गई हैं, वहीं पहुँचाई जायँ। बाद में सरकार ने ऐसा ही हुक्म दिया और अब मैशीनें बम्बई से अहमदाबाद लाई जाकर 'नवजीवन' प्रेस में रख दी गई हैं।

—सीतापुर ज़िले के महमूदाबाद और बिलाईहारा रियासत के किसानों के साथ बड़ी सख़्ती की जा रही है। ५० किसानों का दफ़ा १०७ के अनुसार चालान किया गया है, और उनसे ज़मानतें माँगी गई हैं।

बङ्गाल में भीषण बाढ़

बङ्गाल के ब्रह्मपुत्र और जमना नदी में अत्यधिक पानी आने के कारण भयङ्कर बाढ़ आ गई है। सिराजगञ्ज, राजबाड़ी, ढाका मानिकगञ्ज आदि शहर जलमग्न हो गए हैं। फ़सलें नष्ट हो गई हैं और कितने ही जानवर बह गए हैं। लोग पेड़ों और मकान की छतों पर शरण लेकर प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। जूट और धान की फ़सल बिल्कुल नष्ट हो गई है और भारी अकाल की आशङ्का है। सहायता के लिए लोग पीड़ित स्थानों में पहुँच गए हैं। बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने सर पी० सी० राय, सर नीलरतन सरकार, सर हरिशङ्कर पाल, डॉ० विधानचन्द्र राय, श्री० सुभाषचन्द्र बोस, बा० रामानन्द चटर्जी आदि की बाढ़-सहायक कमिटी बना दी है और पीड़ितों की सहायता के लिए देशवासियों के नाम एक अपील निकाली है।

—५वीं अगस्त का समाचार है कि बनारस यूथ-लीग के भूतपूर्व मन्त्री श्री० परमानन्द त्रिवेदी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। पुलीस कुछ काग़ज़ात भी ले गई है।

—गढ़वाल कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवक-दल के अधिनायक श्री० रामप्रसाद नौटियाल को भी एक साल की सज़ा दी गई है और वह इसलिए कि उन्होंने एक साल के लिए नेकचलनी की ज़मानत देने से इन्कार किया था। इस हुक्म के ख़िलाफ़ अपील होने जा रही है।

—पाठकों को स्मरण होगा कि कानपुर में इधर कई डाके पड़े हैं। अभी गत ६ अगस्त को फुटकर कपड़े के बाज़ार में काहू कोठी पर सन्ध्या समय साढ़े पाँच बजे फिर एक डाका पड़ा। दो महीने पहले यहीं पर, इसी प्रकार एक और डाका पड़ चुका है। श्री० चन्द्रिकाप्रसाद रामसरूप की दूकान का बिल वसूल करने वाला सूरजप्रसाद नामक एक चपरासी १,०९५) रु० वसूल कर जा रहा था। इसी बीच में कुछ नवयुवकों ने पिस्तौल लिए हुए चपरासी पर हमला किया। इस पर सुन्दरसिंह और दीनदयाल नामक दो व्यक्ति डाकुओं पर दौड़ पड़े। डाकुओं में से एक ने इन दोनों व्यक्तियों पर पिस्तौल चलाए, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हुए, मगर पिस्तौल चलाने वाला व्यक्ति पकड़ लिया गया। युवक डाकू के पास एक साइकिल भी थी, जिसे और साथ ही रुपयों की थैली को गिरफ़्तार होने के बाद उसने फेंक दिया। शक्ल से डाकू शिक्षित और युवक मालूम होते थे। गिरफ़्तार युवक पुलीस के हवाले कर दिया गया है। इस घटना से आसपास के बाज़ार में बड़ी सनसनी फैल गई और दूकानें बन्द हो गईं। पुलीस तफ़तीश कर रही है। कहा जाता है कि अभियुक्त ने तीन फ़ायर किए थे और बड़ी मुश्किलों से वह गिरफ़्तार किया जा सका था।

—ख़बर है कि युक्त प्रान्तीय सरकार के अर्थ-सदस्य सर जॉर्ज लैम्बर्ट छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर आसाम के गवर्नर नियुक्त किए जायँगे। परन्तु इस ख़बर की सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

—सिकन्दराबाद (पञ्जाब) में जो हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो गया था, उसमें ८७ व्यक्तियों पर मुक़द्दमा चलाया गया है और मुक़द्दमे की कार्यवाही ७ अगस्त से शुरू हो गई है। ८७ व्यक्तियों में ८१ मुसलमान और ६ हिन्दू हैं।

पञ्जाब देशी राज्य-प्रजा-सम्मेलन बनाम डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर ने मुँह की खाई : छुट्टी लेकर जाना पड़ा

विगत सप्ताह में शिमले में पञ्जाब देशी राज्य-प्रजा-सम्मेलन के अवसर पर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कर्नल क्रम्प ने जो धींगाधींगी कर प्रमुख सिख-नेता सरदार शार्दूलसिंह को घोर अपमान के साथ गिरफ़्तार किया था, उसका विस्तृत समाचार 'भविष्य' के पिछले अङ्क में हमने दिया था। उस धींगाधींगी के लिए मि० क्रम्प की काफ़ी पूजा हो गई और उन्हें एकदम साल भर की छुट्टी लेकर रुख़सत होना पड़ा। गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत पर छूटने पर सरदार शार्दूलसिंह जी कर्नल क्रम्प पर मुक़द्दमा चलाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी ओर सरदार साहब पर भी मुक़द्दमा चलने वाला था। परन्तु अब ख़बर आई है और सरकारी सूचना निकाल कर उसकी पुष्टि भी की गई है कि कर्नल क्रम्प को १२ महीने की छुट्टी दे दी गई है। यह भी ख़बर है कि सरदार साहब पर जो मुक़द्दमा चलने वाला था, वह भी उठा लिया जायगा।

चटगाँव शस्त्रागार के हमले का मामला

१६ अभियुक्तों की ओर से कोई वकील ही नहीं

चटगाँव के हथियारख़ाने पर हमला होने के सम्बन्ध में अनेक अभियुक्तों पर जो मुक़द्दमा चल रहा है, उनमें १६ अभियुक्तों की ओर से लड़ने वाला कोई वकील ही नहीं रह गया है। अभियुक्तों के मेहनताना देने में असमर्थ होने के कारण उनकी ओर के प्रधान वकील ने वकालत करने से इन्कार कर दिया है। इस पर अन्य छोटे वकीलों ने भी यह कह कर पैरवी करना छोड़ दिया है कि जब प्रधान वकील ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकेंगे।

—आन्ध्र प्रान्त मद्रास से अलग कर दिया जाय, इस बात पर ज़ोर देने के लिए कुछ प्रमुख आन्ध्र-निवासियों का एक डेपुटेशन गत ६ अगस्त को बम्बई में महात्मा जी से मिला था।

—कानपुर के 'प्रताप' पत्र के सम्पादक श्री० बालकृष्ण शर्मा पर राजद्रोह का जो अभियोग लगाया गया था, उसका मुक़द्दमा चल रहा है। अगली पेशी २४ अगस्त को होगी।

—प्रयाग में ४ आदमियों को हत्या करने के कारण सिक्का-केस वाले अब्दुल अज़ीज़ को गत ७ अगस्त को मलाका जेल में, ख़बर है, फाँसी दे दी गई।

—मुलतान के निकट चिनाब नदी के किनारे सिक्खों और मुसलमानों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक सिक्ख मरा और दो ज़ख़्मी हुए।

—गत ६ अगस्त को सीमा-प्रान्त में क़ादाम से तीन मील की दूरी पर ताँगो गाँव के पास क़ाज़ी नामक प्रसिद्ध डाकू के दल पर गाँव वालों ने हमला किया। २ आदमियों को मार डाला और तीन पिस्तौल, २ राइफ़लें, १ दो-नली बन्दूक़ तथा नक़द माल छीन लिया। इसी रास्ते से श्री० देवदास गाँधी की मोटर कुछ ही मिनट पहिले गुज़री थी।

मुसलमानों के धर्म-गुरुओं का निश्चय

संयुक्त निर्वाचन ही रहना चाहिए

भारतीय मुसलमानों के धर्म-गुरुओं की मण्डली जमायत-उल-उलेमा की कार्यकारिणी कमिटी की बैठक ५ और ६ अगस्त को सहारनपुर में हुई और देश की तथा मुसलमानों की समस्याओं पर उसने अपने विचार प्रकट किए। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नों में सब से महत्वपूर्ण मसले निर्वाचन के सम्बन्ध में जमायत ने अत्यन्त उचित और देशभक्तिपूर्ण निश्चय किया है और वह यह कि निर्वाचन संयुक्त ही होना चाहिए। अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में उसने निश्चय किए हैं कि धर्म, शिक्षा, उपासना के स्थान, भाषा, लिपि आदि बातों में तथा इस्लाम के जातिगत क़ानून में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार न रहेगा। अल्पसंख्यक जातियों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाय, जिसमें सभी जातियों के निर्णायक होंगे और कोर्ट के निर्णय की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। सीमा-प्रान्त को अन्य प्रान्तों की भाँति शासन-अधिकार दिया जाय और सिन्ध प्रान्त बम्बई से अलग कर दिया जाय।

काश्मीर में मुसलमानों का उपद्रव

पाठकों को ज्ञात होगा कि काश्मीर राज्य में मुसलमानों की आबादी ६० फ़ी सदी है। अभी तक वहाँ की मुस्लिम प्रजा काश्मीर-नरेश महाराज सर हरीसिंह के शासन से बड़ी प्रसन्न थी और उसे मुसलमानी राज्य से भी अधिक हिन्दू-राज्य में आराम था। परन्तु जब से ब्रिटिश भारत के कुछ सम्प्रदायवादी मौलानाओं के चरण वहाँ पड़े हैं, वहाँ मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का रोग फैल गया है। इधर कुछ दिनों से वहाँ के कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली वक्तृताएँ दे रहे थे। इस रोग को बढ़ते देख, उसे रोकने के लिए राज्य की ओर से प्रयत्न होने लगा और एक मुसलमान इस अपराध में गिरफ़्तार भी किया गया। उसका गिरफ़्तार करना था कि काश्मीर के मुसलमान भड़क उठे और हज़ारों की संख्या में जेल पहुँच, कर उसे छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर दिया। तार काट डाले, पहरेदारों के घर जला दिए। राज्य की ओर से भीड़ के न हटने पर चेतावनी देने के बाद गोली चलाई गई, जिसमें ६ आदमी मरे और बहुत से ज़ख़्मी हुए। २२६ आदमी गिरफ़्तार भी किए गए, मगर बाद में सुबूत न मिलने के कारण २१७ छोड़ दिए गए। जेल से हटाए जाने के बाद मुसलमानों ने श्रीनगर शहर में हिन्दुओं पर हमला करना, दूकानें लूटना, आग लगाना शुरू कर दिया। शहर ही नहीं, देहातों में भी हिन्दुओं पर बहुत ज़ुल्म किए गए और वे ज़बर्दस्ती मुसलमान बनाए गए।

झगड़े के बाद महाराज ने उपद्रव की जाँच के लिए प्रतिष्ठित मुसलमानों और हिन्दुओं की एक जाँच-कमिटी बैठा दी है और पूरे न्याय के साथ राज्य की ओर से कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार की निष्पक्षतापूर्ण कार्यवाही करने के बाद भी ब्रिटिश भारत के मुसलमान काश्मीर-नरेश के ख़िलाफ़ द्वेषपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं और स्थान-स्थान पर सभाएँ कर महाराज के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे हैं। साथ ही महाराज को अधिक से अधिक नुक़सान पहुँचाने के लिए चालें चली जा रही हैं। मुसलमानों के इस कार्य में अध-गोरे और विलायती अख़बार ख़ूब मदद पहुँचा रहे हैं।

—भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर के पद का भार सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने गत ८ अगस्त को ग्रहण कर लिया।

'भविष्य'-सम्पादक का मामला

११वीं अगस्त को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में उस मामले की पेशी हुई, जिसमें 'चाँद' तथा 'भविष्य' के भूतपूर्व सम्पादक श्री० पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० पर 'राजविद्रोह' का अभियोग चल रहा है। आज इस मामले की बहस होने वाली थी, किन्तु मिश्र जी ने अपनी ओर से एक लिखित बयान पेश किया, जिसके फल-स्वरूप इस मामले की आगामी पेशी २१वीं अगस्त को निश्चित हुई है। मिश्र जी का कहना है कि अपना यह बयान उन्होंने बिहार के सुप्रसिद्ध नेता बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी के आदेशानुसार दिया है। अगली पेशी के बाद हम इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से लिखने की चेष्टा करेंगे।

वालण्टियरों पर गुण्डों के ज़ुल्म

२४ घण्टे तक भोजन नहीं करने दिया

अलीगढ़ ज़िले में छर्रा नामक स्थान पर कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों के साथ गुण्डों ने बड़ा ज़ुल्म किया। अलीगढ़ ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० तोताराम राठी का कहना है कि वालण्टियरों के चूल्हों को घेर कर गुण्डे खड़े रहे और उन्हें २४ घण्टे तक भोजन नहीं करने दिया। मदन नामक ११ वर्षीय बालक को, जो बाल-भारत-सभा का मन्त्री है, मीटिङ्ग में बोलते हुए एक गुण्डे ने धक्का देकर चौकी पर गिरा दिया।

इन ज़ुल्मों के विरुद्ध अलीगढ़ में सार्वजनिक सभा भी हुई।

जेल में वकील पर हमला

अफ़सरों पर वकील साहब का १५ हज़ार का दावा

सिवनी (मध्य-प्रान्त) में प्रसिद्ध वकील और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता पं० रविशङ्कर शुक्ल ने सिवनी के डिप्टी कमिश्नर मि० सी० के० सीमैन और जबलपुर के इक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर मि० आर० एन० पण्डरकर पर १५ हज़ार रुपए के हर्जाने का दावा किया है। कहते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलन के समय पं० रविशङ्कर सिवनी-जेल में जिस समय सज़ा भुगत रहे थे, उस वक़्त उक्त अफ़सरों ने अँगूठे का निशान लगवाने के लिए उन पर १३ चपरासियों की मदद से आक्रमण किया था।

—कलकत्ते में माखनलाल चक्रवर्ती नामक एक युवक मुसलमान हो गया। उसने पुलीस की अदालत में यह दरख़्वास्त दी है कि मैं अपनी राज़ी से इस्लाम-धर्म ग्रहण कर रहा हूँ।

—सिन्ध प्रान्तीय हिन्दू-सभा की ओर से तीन सदस्यों का एक डेपुटेशन इङ्गलैण्ड भेजा जा रहा है। डेपुटेशन वहाँ जाकर इस बात का आन्दोलन करेगा कि सिन्ध बम्बई से अलग न किया जाय।

१० अफ़सर मारे गए और ४०० ज़ख़्मी

४५४ व्यक्ति बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के शिकार!

बङ्गाल पुलीस की पिछले वर्ष सन् १९३० की शासन-रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें बतलाया गया है कि इस साल भर में १० पुलीस अफ़सरों की हत्या की गई और ४०० ज़ख़्मी किए गए; ६ व्यक्तियों पर गोलियाँ चलाई गईं और २ पर बम फेंके गए। बङ्गाल ऑर्डिनेन्स कितनों पर लागू हुआ है, इस सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि ४५४ आदमी इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं।

—लाहौर का ७वीं अगस्त का समाचार है कि रावलपिण्डी के एडिशनल ज़िला मैजिस्ट्रेट ने आल इण्डिया नौजवान भारत-सभा के मन्त्री श्री० रामचन्द्र को राजद्रोहात्मक व्याख्यान देने के अभियोग में २ साल की सख़्त सज़ा और ५००) जुर्माने का दण्ड दिया है।

अकोला में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन

प्रेज़ीडेण्ट के जुलूस पर मुसलमानों का हमला

हिन्दू-महासभा का तेरहवाँ अधिवेशन ८, ९ और १० अगस्त को अकोला में श्री० सी० विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में धूमधाम से हुआ। ७ अगस्त को शहर में प्रेज़ीडेण्ट का जुलूस बड़ी शान से निकला। जुलूस जब कच्ची मस्जिद के पास पहुँचा, तो मस्जिद के अन्दर से कुछ मुसलमानों ने निकल कर बाजा बन्द कर देने को कहा। मगर जब बाजा बन्द नहीं हुआ, तो जुलूस पर पत्थर फेंके गए। प्रेज़ीडेण्ट तो बच गए, परन्तु कुछ अन्य लोगों को और दो वालण्टियरों को हलकी चोटें आईं। इसी बीच में पुलीस आ गई और उसने मुसलमानों को मस्जिद के अन्दर करके जुलूस को आगे बढ़ाया और जुलूस महासभा के स्वागताध्यक्ष रावबहादुर महाजनी के निवास-स्थान पर जाकर समाप्त हुआ।

८ अगस्त को अधिवेशन आरम्भ हुआ। देश के सभी प्रान्तों से ८०० प्रतिनिधिगण पधारे थे। प्रमुख सज्जनों में मालवीय जी, डॉ० मुञ्जे, नैपाल के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के सुपुत्र प्रिन्स हेम शमशेरजङ्ग बहादुर, राजा लक्ष्मणराव भोंसले, श्री० सावरकर, पं० बजरङ्गदत्त शर्मा, श्री० शितोले, बम्बई के बाबा साहब सावरकर, डॉ० हार्डीकर, श्री० जगतनारायण लाल, रत्नागिरि के डॉ० भिण्डे, मैसोर के स्वामी भूसूरकर, महाराज पं० गौरीशङ्कर मिश्र आदि थे। ईश-प्रार्थना के बाद स्वागताध्यक्ष का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने देश की और हिन्दुओं की समस्याओं पर उत्कृष्ट विचार प्रकट किए। स्वागताध्यक्ष के बाद प्रेज़ीडेण्ट की सारगर्भित और विद्वत्तापूर्ण वक्तृता हुई। प्रेज़ीडेण्ट के व्याख्यान के बाद महाराज नैपाल, महाराज काश्मीर, श्री० केलकर, राजा सर रामपाल सिंह, श्री० रामानन्द चटर्जी, महात्मा नारायण स्वामी, सेठ जुगलकिशोर बिड़ला आदि के सहानुभूति के सन्देश पढ़े गए।

रविवार के महासभा के अधिवेशन में २३ प्रस्ताव पास हुए, जिनमें मुख्य ये हैं:—

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमेटी द्वारा किए गए साम्प्रदायिक हल को अस्वीकार किया गया, गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में हिन्दुओं के काफ़ी प्रतिनिधि न रखने का विरोध किया गया, काश्मीर के सम्बन्ध में मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले आन्दोलन की निन्दा की गई, जूनागढ़ रियासत में हिन्दुओं की हत्या पर रोष प्रकट किया गया, कानपुर के दङ्गे और अधिकारियों की नीति पर दुख प्रकट किया गया, हिन्दुओं से हिन्दू-महासभा का क्रियात्मक कार्यक्रम पूरा करने को कहा गया और बैरिस्टर सावरकर को छोड़ देने के लिए सरकार से कहा गया।

अन्त में नए वर्ष के लिए कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें डॉ० मुञ्जे कार्यकारी प्रेसीडेण्ट और बाबू जगतनारायणलाल प्रधान मन्त्री चुने गए।

—झाँसी का ७वीं अगस्त का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस कमिटी के उप-सभापति पं० रामेश्वरप्रसाद १०८ धारा के अनुसार किसान कॉन्फ़्रेन्स में व्याख्यान देने के अभियोग में पकड़ लिए गए। ज़मानत पर छुटे हैं। मामला पेशी में है।

—लाहौर का ७वीं अगस्त का समाचार है कि श्री० सुखदेवराज का अच्छे क़ैदियों के साथ रहने के लिए दिया हुआ प्रार्थना-पत्र नामञ्ज़ूर हो गया। वे अब तृतीय श्रेणी के तीन अपराधियों के साथ हैं। न्यायाधीश ने बतलाया है कि श्री० सुखदेवराज के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वह न्यायानुकूल है और जेल के नियमों के विरुद्ध भी नहीं है।

हिंसात्मक क्रान्ति की लहर

युक्त-प्रान्त के किसान

सरकारी जाँच-कमिटी नियुक्त हो गई

युक्त-प्रान्त में किसानों द्वारा लगान वसूल होने के प्रश्न की जाँच करने के लिए प्रान्तीय कौन्सिल के २२ जुलाई के प्रस्ताव के अनुसार सरकार की ओर से सरकारी और ग़ैर-सरकारी सदस्यों की एक कमिटी नियुक्त कर दी गई है। कमिटी में ये लोग रक्खे गए हैं:—

मि० कीन, आई० सी० एस० (अध्यक्ष); रायसाहब लाला आनन्दस्वरूप, ठा० बलवन्तसिंह गहलोत, मि० ब्रजनन्दनलाल बैरिस्टर, राजा जगन्नाथबख़्श सिंह, मौ० मोहम्मदअली, शेख़ मोहम्मद हबीबुल्ला, हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम, नवाब मोहम्मद जमशेदअली ख़ाँ, ख़ाँ बहादुर मौलवी मोहम्मद ओबदुदउर-रहमान ख़ाँ, राय राजेश्वरीप्रसाद, रायसाहब बाबू रामचरण, ठा० रामपालसिंह, मि० के० एन० नाक्स और मि० जी० एम० हारपर (मन्त्री)।

—बम्बई में एक पारसी की विदेशी शराब की दूकान पर गत १० अगस्त को स्वयंसेविकाएँ धरना दे रही थीं। दूकान पर थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे दूकानदार बहुत नाराज़ हुआ। कुछ लोग एकत्र हो गए, साथ ही पारसी भी अधिक संख्या में जमा हुए। वितण्डावाद होने पर आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें ४ आदमी ज़ख़्मी हुए। इसी झगड़े में दोनों स्वयंसेविकाओं को भी चोट आई है।

गवर्नर पर हमले का मामला

पूना में सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट के इजलास में बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर किए गए हमले का मामला गत ८ अगस्त को पेश हुआ। अस्त्र-आईन की धारा ३०७ का अभियोग अभियुक्त पर लगाया गया। कॉलेज के प्रिन्सिपल महाजनी ने बयान दिया कि कॉलेज की ओर से निमन्त्रण-पत्र गवर्नर और उनकी श्रीमती के पास फ़रगुसन कॉलेज के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। गवर्नर के शरीर-रक्षक कप्तान पीटो ने कहा कि मैंने पहिले फ़ायर के बाद गवर्नर के पीछे दो मनुष्यों को देखा, जिससे मैं अभियुक्त को पहिचान न सका। कुछ क्षण के बाद पुनः फ़ायर किया गया और मैंने गवर्नर को आगे कूदते हुए देखा। मैंने झट अभियुक्त के गले के सामने तलवार कर उसे फ़ायर करने से रोका। बाद में अभियुक्त को जाँच की गई, उसके पास गवर्नर की तस्वीर और एक दूसरी भरी हुई पिस्तौल थी। मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित हुआ। दूसरे दिन पाँच और गवाहों का बयान लिया गया। मि० आर० एस० पारके सहायक लाइब्रेरियन ने अपनी गवाही में सारी घटना आद्योपान्त कह सुनाई। कॉलेज के रेक्टर प्रोफ़ेसर एन० जी० दामले ने कहा कि मैं तलाशी के समय पञ्च था। उन्होंने अभियुक्त के घर से निकाली गई चीज़ों की शनाख़्त की। उनमें मुसोलिनी की किताब फ़ैसिज़्म, लाला लाजपतराय की पुस्तकें, पिस्तौल की २८ गोलियाँ, रिक्त कारतूस, भगतसिंह, दत्त और राजगुरु की तस्वीरें मिली थीं। इसके बाद मुक़दमा दूसरे दिन के लिए स्थगित हुआ।

बर्मा की कथा

बर्मा का ९वीं अगस्त का समाचार है कि १ली अगस्त तक बर्मा की स्थिति नहीं सुधरी थी। प्रोम, थारावड्डी तथा इनसीन ज़िलों में क्रमशः १५००, १२० और दो आदमियों ने आत्म-समर्पण किया है। पाँगी वालों में यद्यपि कि असफलता है, किन्तु उनकी संख्या बढ़ती जाती है। कभी-कभी हिन्दुस्तानी तथा चीन वालों पर आक्रमण हो जाया करता है। १६३ क़ैदी मुक्त कर दिए गए हैं, किन्तु अभी ९७४ आदमी जेलों के भीतर हैं।

शाहदरा बम-केस

—शाहदरा का ९वीं अगस्त का समाचार है कि श्री० डी० आर० बुधवार ने शाहदरा बम-केस के अभियुक्त श्री० हंसराज और श्री० सरदार हीरासिंह के विरुद्ध अभियोग लगा दिया है। कुछ सबूत के गवाहों के जिरह के बाद १७ अगस्त के लिए मामला स्थगित हुआ।

प्रयाग के पोस्ट-ऑफ़िस पर बम

प्रयाग में गत १० अगस्त को प्रातःकाल हिमकल्याण पोस्ट-ऑफ़िस पर किसी आदमी ने बम फेंका। बम से दरवाज़ा उखड़ गया, पानी का नल फट भी गया और एक लड़का, जो बरामदे में सो रहा था, ज़ख़्मी हुआ। लड़का अस्पताल पहुँचाया गया और उसकी दशा चिन्ताजनक नहीं है।

बम क्यों चलाया गया, इसका पता नहीं लगा। कहते हैं कि पोस्ट ऑफ़िस लूटने का इरादा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि छोटे पोस्ट ऑफ़िस में रुपए नहीं रक्खे जाते। कुछ पुलीस अफ़सरों का ख़याल है कि कदाचित किसी षड्यन्त्रकारी ने यह बम, यह जतलाने के लिए फेंका हो कि इलाहाबाद में भी षड्यन्त्रकारी लोग हैं। सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलीस और शहर कोतवाल घटनास्थल पर पहुँचे थे और कोतवाली के इन-चार्ज ठा० बहादुरसिंह तफ़्तीश कर रहे हैं। ख़बर है कि यदि पुलीस को यह शक हुआ कि यह किसी षड्यन्त्रकारी का काम है, तो यह मामला सी० आई० डी० के हाथों में सौंपा जायगा।

—पटना का ७वीं अगस्त का समाचार है कि बम फटने के कारण घायल होने वाले रामबाबू की मृत्यु हो गई। डॉक्टरी परीक्षा के बाद लाश घर वालों को दे दी गई। और उसका दाह-संस्कार कर दिया गया।

पटना बम-केस

पटना का ७वीं अगस्त का समाचार है कि मि० आर० जगमोहन की अदालत में पटना बम-केस के अभियुक्त श्री० सूरजनाथ चौबे की जाँच पुनः आरम्भ हुई। सब-इन्सपेक्टर मि० साबिग्राम ने कहा कि अभियुक्त को मैंने गिरफ़्तार पाया। मैं घटनास्थल पर उपस्थित न था। मैंने कुछ चीज़ों और दो बम की, जो अभियुक्त के पास मिले थे, सूची बनाई। डॉ० एम० के० मित्र की सफ़ाई हुई और उन्होंने बयान किया कि मैंने बम की परीक्षा की है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ—गन्धक, शीशे आदि शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि बम ज़ोर से कठोर स्थान पर ही फेंकने से फट सकता था। श्रीयुत हज़ारीलाल की उपस्थिति में, जो आजकल बीमार हैं, ये सारी कार्यवाही हुई।

खीरी-षड्यन्त्र का मामला

३ अभियुक्त छोड़ दिए गए: ६ को सज़ा

खीरी बम षड्यन्त्र के मामले का फ़ैसला गत ९ अगस्त को सुना दिया गया। ९ अभियुक्तों में से साधूराम, रामस्वरूप और चिरंजी छोड़ दिए गए और शेष सबों को विस्फोटक ऐक्ट की धारा ४ और ५ के अनुसार सज़ाएँ दे दी गईं। जगदम्बाप्रसाद और बलभद्रसिंह को ६ और ३ वर्ष की, दाताराम और प्रयागदत्त को ४ और २ वर्ष की और श्रीधर तथा श्रीराम को २ और १ साल की कड़ी क़ैद की सज़ाएँ दी गई हैं।

—सूरी का ७वीं अगस्त का समाचार है कि अघोरचन्द्र डॉक्टर का ८ फ़ायर वाला पिस्तौल १० गोलियों के साथ उनके घर से चोरी हो गया है।

हथियारों के पार्सल मिले

चटगाँव का ७वीं अगस्त का समाचार है कि स्थानीय स्टेशन पर थानेदार ने एक पार्सल बरामद किया है, जिसमें ५ कारतूस कुछ बारूद तथा सन्देहजनक पत्र था।

चटगाँव में रिवॉल्वर और कारतूस बरामद

चटगाँव का १०वीं अगस्त का समाचार है कि पुलीस को तलाशी करते समय एक रिवॉल्वर और एक बम मिला है। इस सम्बन्ध में ५ आदमी गिरफ़्तार करके थाने पर पहुँचाए गए, परन्तु कुछ देर के बाद मुक्त कर दिए गए।

—पटना का ७वीं अगस्त का समाचार है कि श्री० [illegible] बाबू बोस, जो काँकरबाग़ हत्या के अभियोग में पकड़े गए थे, पुनः पकड़े गए हैं और अपनी नेकचलनी के लिए धारा ११० के अनुसार बन्धक-पत्र लिखने के लिए सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने लाए गए। श्री० रामचन्द्र जी, जो इस शहर के बम के अभियोग में पकड़े गए थे, कपड़े की दूकान के अतिरिक्त पुलीस ने कई जगह तलाशी ली।

लाहौर षड्यन्त्र के मामले के विचाराधीन अभियुक्तों ने १ अगस्त से जेल-दुर्व्यवहार के कारण अनशन आरम्भ कर दिया है। श्री० सुखदेवराज भी हड़ताल करने वालों में सम्मिलित हैं।

❁ ❁ ❁

फाँसी का दृश्य देखने वाले में किन गुणों की आवश्यकता है?

(१२वें पृष्ठ का शेषांश)

इस पत्र के उत्तर में श्री० सहगल जी ने डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिन्टेण्डेण्ट को लिखा है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को विश्वास दिलाने में कोई एतराज़ नहीं है, यदि आप यह बतलाने की कृपा करें कि फाँसी का दृश्य देखने वाले के लिए किन-किन ख़ूबियों की ज़रूरत है और उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिएँ? सहगल जी के पत्र की नक़ल यह है:—

7th August, 1931

Dear Sir,

Your letter of the 6th inst. cancelng the permission to see the hanging this morning and asking me to satisfy the District Magistrate if I am a suitable person to whom you can be advised to give permission.

Before I move the District Magistrate in the matter I shal feel obliged if you could kindly indicate the qualifications which a person should possess before he can be permitted to see a person hanged.

An early reply is requested.

Very truly yours,

(Sd.) R. SAIGAL

यह पत्र यहाँ से छठी अगस्त को भेजा गया था; किन्तु आज तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है।

क्या यह घटना स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कलुषित एवं निन्दनीय मनोवृत्ति की परिचायक नहीं है, आज यह संस्था तथा सहगल जी जिसके शिकार हो रहे हैं!

❁

कॉङ्ग्रेस बनाम हिंसावाद

बम्बई के नौजवानों में असन्तोष की भीषण ज्वाला!

खुले-आम "महात्मा गाँधी तथा गोलमेज़ का नाश हो" के नारे लगाए गए!

[बम्बई में इस सप्ताह अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की महत्वपूर्ण बैठकें हुई थीं और उसमें देश की वर्तमान स्थिति और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में कॉङ्ग्रेस की ओर से प्रतिनिधि-स्वरूप महात्मा जी के इङ्गलैण्ड जाने के प्रश्न पर विचार हुआ था। इसी दौरान में कमिटी ने पिछले दिनों बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर किए गए हत्याकारी आक्रमण और अलीपुर के जज मि० गार्लिक की हत्या का ज़िक्र करते हुए हिंसा की निन्दा का एक प्रस्ताव पास किया है। उक्त प्रस्ताव, उसमें उपस्थित किए गए अनेक संशोधन और उसके सम्बन्ध में जो बहस हुई है, उसे अपने पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ विस्तार के साथ प्रकाशित कर रहे हैं।

—सं० 'भविष्य']

प्रस्ताव की नक़ल

प्रस्ताव को स्वयं महात्मा जी ने पेश किया था और वह इस प्रकार है :—

"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हटसन पर किए गए हत्याकारी आक्रमण तथा बङ्गाल के मि० गार्लिक की की गई हत्या पर खेद प्रकट करती है।

"सभी राजनीतिक हत्याओं की निन्दा करते हुए अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हटसन पर किए गए हत्याकारी आक्रमण को अधिक निन्दनीय समझती है, क्योंकि यह कार्य उस कॉलेज के एक विद्यार्थी का था, जिसने कि स्थानापन्न गवर्नर को सम्मानित अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया था।

"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी उन लोगों को सचेत करती है, जो गुप्त या प्रकट रूप से ऐसी हत्याओं का समर्थन करते हैं या उत्तेजित करते हैं, कि वे देश की उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं।

"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी, कॉङ्ग्रेस की सभी संस्थाओं को आदेश करती है कि वे समस्त सार्वजनिक हिंसा के कार्यों के विरुद्ध, चाहे उनके लिए उत्तेजना भी दी जाय, विशेष रूप से प्रचार करें।

"इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी समस्त राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से अपील करती है कि वे इस सम्बन्ध में अपना समस्त प्रभाव डालें।"

महात्मा जी की वक्तृता

उपर्युक्त प्रस्ताव को पेश करते हुए महात्मा जी ने बड़ी लम्बी और बड़ी ज़बरदस्त वक्तृता दी। कहते हैं कि इतनी लम्बी वक्तृता महात्मा जी ने पिछले कई वर्षों से नहीं दी थी। उन्होंने अहिंसा में अपना अटल विश्वास और भी दृढ़ किया और हिंसात्मक कार्यों की निन्दा करते हुए उन्हें स्वराज्य प्राप्त होने में बाधक बतलाया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में मैंने जो अपने भाव प्रकट किए हैं, उनसे कहीं अधिक भाव मेरे हृदय में भरे हुए हैं।......यह प्रस्ताव हमें अपने आप, अङ्गरेज़ों अथवा संसार को धोखा देने के लिए नहीं लाया गया है, वरन् वह लाया इसलिए गया है कि हम यह घोषित कर दें कि कॉङ्ग्रेस का ध्येय क्या है। कॉङ्ग्रेस अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण उपायों से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। हमने शान्ति, सत्यता और न्यायोचित मार्ग का अवलम्बन निश्चित किया है, और जब तक हम उस मार्ग में विश्वास करते हैं तथा संसार को भी जब तक यह विश्वास है कि हमारा वही मार्ग है, उस समय तक हम इसके लिए बाध्य हैं कि हम मनसा, वाचा और कर्मणा से उस पर दृढ़ रहें। साथ ही हमारा यह भी धर्म हो जाता है कि जो लोग हिंसा पर आरूढ़ हों, उन्हें हम रोकें और उन पर विजय प्राप्त करें। सन् १९२० में जब कॉङ्ग्रेस ने अहिंसा को अपना ध्येय स्वीकार किया था, उस समय यह दलील पेश की गई थी कि ग़ैर-कॉङ्ग्रेसी लोग जो कुछ करते हैं, उसकी चिन्ता कॉङ्ग्रेसवादी क्यों करें? साथ ही यह भी कहा गया था कि कॉङ्ग्रेस जब अपने मार्ग पर जाती है, तो दूसरों को, जो वे चाहते हैं, क्यों न करने दिया जाय? इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि यदि कॉङ्ग्रेस अहिंसा का अनुसरण विरोधियों द्वारा होने वाली हिंसा के मुक़ाबले में भी करना चाहती है, तो कॉङ्ग्रेस को दूसरों को भी ऐसी ही सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समय से यह वाद-विवाद चला है, उसी वक़्त से अब तक मेरा उत्तर यही रहा है कि कॉङ्ग्रेस भारत की प्रतिनिधि होने और भारत की ओर से बोलने का दावा करती है, और हमारी लड़ाई प्रत्येक भारतीय—चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, पारसी या ईसाई कोई भी हो—की भलाई के लिए लड़ी जाती है। हम उनके ऊपर अपने प्रभुत्व का और उनकी ओर से बोलने का दावा करते हैं और हमारी लड़ाई केवल कॉङ्ग्रेसवादियों के ही लिए नहीं है। यदि स्थिति यही होती, तो हमारा कार्य और भी सरल हो जाता। पिछले वर्ष जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो समस्त देश का सहारा हमें प्राप्त था। जिन लोगों ने स्वातन्त्र्य संग्राम में भाग लिया था, वे सभी कॉङ्ग्रेसवादी नहीं थे।......सरकार ने भी कॉङ्ग्रेस की शक्ति को स्वीकार किया है, इसलिए नहीं कि कॉङ्ग्रेसवादी हज़ारों की संख्या में थे, बल्कि इसलिए कि उसने कॉङ्ग्रेस की शक्ति का अन्दाज़ा लगा लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि जनता कॉङ्ग्रेस के साथ है।......जो लोग हिंसा करते हैं, याद रखिए, वे भी हमारे भाई हैं और हमारा यह धर्म है कि हम उन्हें हिंसा करने से रोकें। जब हम उनके प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, तो जो कुछ वे करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। सन् १९२१ में मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम ग़ैर-कॉङ्ग्रेसियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। और आप जानते हैं कि एक या दो बार मैंने इसी कारण से अपना कार्य स्थगित भी कर दिया था। मेरा कहना है

कशमकश

कि इस प्रकार कार्यों को स्थगित कर देने से हमारे आन्दोलन को नुक़सान नहीं पहुँचा, वरन् उससे हमें लाभ ही हुआ है।...पिछले अवसरों पर हमने जब हिंसा की निन्दा की, हमने नौजवानों के त्याग के भाव की प्रशंसा भी की, परन्तु मुझे भय है कि हमने उस पर अत्यधिक ज़ोर दिया। कराची में जब हमने भगतसिंह और उनके साथियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया था, उस समय हम सीमा के पास तक पहुँच गए थे। उस समय जब मैंने वह प्रस्ताव पेश किया था, मैंने उन्हें फाँसी से बचाने का भरसक प्रयत्न किया था और यही कारण था कि हमने उस प्रस्ताव को इस विश्वास में पास किया था कि उससे युवक-समुदाय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परन्तु मैं अपने प्रयत्न में असफल रहा। मुझे युवकों की बढ़ी हुई शक्ति का पता नहीं है, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जो सफलता मैं चाहता था वह नहीं मिली। इसके विपरीत मामला बुरी तरह ख़राब हो गया और उसके लिए मुझे बहुत खेद है।......मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं ऐसी भयङ्कर ग़लती कभी नहीं करूँगा। यदि मैं ऐसा करूँ, तो मैं कॉङ्ग्रेस के प्रति सच्चा नहीं रहूँगा। कुछ लोगों के लिए अहिंसा नीति भले ही हो, परन्तु मेरे लिए तो वह धर्म है। मैं गोलमेज़ को उतना महत्व नहीं देता, जितना दिल्ली के गाँधी-इर्विन समझौते के पालन को। उससे हमें लाभ ही हुआ है और मैं अब भी नहीं समझता कि उसे स्वीकार करना भूल थी। आप उसे चाहे रद्दी के टोकरे की वस्तु समझें, परन्तु मुझे ऐसी बातों से सन्तोष नहीं होगा। यह भी एतराज़ किया गया है कि नौजवानों के कार्यों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है, मगर सरकार के कृत्यों की अवहेलना कर दी जाती है। मेरा कहना यह है कि कॉङ्ग्रेस का यह काम नहीं है कि वह सरकार के कामों पर ध्यान दे, क्योंकि उसे तो शासन-प्रणाली ही को बदलना है।"

संशोधन

महात्मा जी के भाषण के बाद इस प्रस्ताव में अनेक सज्जनों ने अपने-अपने संशोधन पेश किए।

श्री० जे० एम० सेनगुप्त ने इस आशय का संशोधन पेश किया, जिसमें कुछ सरकारी अफ़सरों पर किए गए हिंसात्मक आक्रमणों पर खेद प्रकट करने के साथ-साथ कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले इस आरोप की निन्दा की गई थी कि इन आक्रमणों से कॉङ्ग्रेस का सम्बन्ध है। साथ ही संशोधन में यह भी कहा गया था कि यदि सरकार ने राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ कर, राजनीतिक मुक़दमे उठा कर, ऑर्डिनेन्सों को वापस लेकर, ग़ैर-क़ानूनी नज़रबन्दियों को रोक कर और दमन-नीति को बिल्कुल बन्द कर समझौते से फ़ायदा उठाया होता, तो देश सुलह के बाद के हमलों से बच जाता। अन्त में संशोधन में हिंसा द्वारा हिंसा को दबाने की सरकारी नीति की निन्दा की गई थी—जिससे इस प्रकार हिंसा प्रतिहिंसा हुई और गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की सफलता के लिए विरोधी वातावरण उत्पन्न हुआ।

आन्ध्र के श्री० सर्वेश्वर शास्त्री ने संशोधन उपस्थित किया कि प्रस्ताव में का दूसरा और तीसरा वाक्य निकाल दिया जाय और चौथे वाक्य में से 'हिंसा' के पहिले वाला 'सार्वजनिक' शब्द निकाल दिया जाय। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वह उद्देश्य की प्रशंसा बिना किए हुए हिंसा के कार्य की निन्दा करने के विरोधी हैं। उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ किया कि कॉङ्ग्रेस दूसरे दलों के कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करती है, और यह राय प्रकट की कि कॉङ्ग्रेस ने जैसे नरम दल को कार्य की स्वतन्त्रता दे दी है, वैसे ही दूसरे दलों को भी स्वतन्त्र कर दे।

दिल्ली के श्री० देशबन्धु गुप्त ने तीसरा संशोधन इसी प्रकार पेश किया। उन्होंने कहा कि मूल प्रस्ताव में यह वाक्य और जोड़ दिया जाय—"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी यह विश्वास प्रकट करती है कि सरकार भी इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व महसूस करेगी और इस प्रकार की उत्तेजनाएँ रोकने का शीघ्र ही प्रयत्न करेगी, जिनकी वजह से नौजवान लोग राजनीतिक हत्याएँ करने के लिए गुमराह हो जाते हैं।"

आन्ध्र के श्री० साम्बमूर्ति ने समस्त प्रस्ताव को ही नापसन्द किया और उसकी जगह पर नीचे लिखा प्रस्ताव पेश किया—"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी समस्त कॉङ्ग्रेस संस्थाओं को आदेश करती है कि वे जनता की ओर से और साथ ही सरकार की ओर से होने वाले हिंसात्मक कार्यों के ख़िलाफ़, चाहे वे उत्तेजित किए जाने पर ही किए जायँ, आन्दोलन करें।"

मि० साम्बमूर्ति ने कहा कि सब प्रकार का बल-प्रयोग हिंसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार का बल-प्रयोग हिंसा है, जो अनुचित और अन्यायपूर्ण हो। उन्होंने उपस्थित लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे सरकार द्वारा होने वाली हिंसा के सामने सर न झुका दें, बल्कि सब प्रकार की हिंसा के विरुद्ध आन्दोलन करें।

इसी आशय के तीन या चार संशोधन और थे। पेश किए गए सभी संशोधनों में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि मूल प्रस्ताव में सरकार द्वारा होने वाले दमन का ज़िक्र किया जाय और यह माँग पेश की जाय कि सरकार अपनी दमन-नीति शीघ्र ही छोड़ दे, जिसकी वजह से कि युवक हिंसा की ओर उत्तेजित होते हैं।

इन संशोधनों के उपस्थित किए जाने के बाद डॉ० पट्टाभि सीतारामैया और पं० जवाहरलाल नेहरू ने मूल प्रस्ताव का समर्थन किया। मालवीय जी ने भी अपनी वक्तृता में महात्मा जी द्वारा उपस्थित किए गए मूल प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ज़ोरदार अपील की।

अन्त में संशोधनों पर वोट लिए गए और वे एक-एक करके सब रद्द हो गए और महात्मा जी द्वारा पेश किया गया असली प्रस्ताव भारी बहुमत से पास होगया।

नौजवानों द्वारा प्रदर्शन

जिस वक़्त अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक हो रही थी, उस वक़्त नौजवान भारत-सभा के प्रायः २०० सदस्यों का दल लाल पर्चे और भड़कीले वाक्य लिखे हुए झण्डे लेकर कमिटी के पास पहुँचा और "गाँधी जी का नाश हो" "गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स का नाश हो" आदि नारे लगाते हुए उसने कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन किया।

* * *

हिन्दुस्तानी सेवादल कॉन्फ़्रेन्स

दल का समस्त अधिकार कॉङ्ग्रेस को वर्किङ्ग कमिटी को दे दिया गया !

हिन्दुस्तानी सेवा-दल (राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की संस्था) की कॉन्फ़्रेन्स गत ६ अगस्त को बम्बई में महात्मा जी की अध्यक्षता में हुई। महात्मा जी ने दल के स्वयंसेवकों द्वारा की हुई महान देश-सेवा का ज़िक्र किया और खुले शब्दों में दल की प्रशंसा की। महात्मा जी ने कहा कि कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी चाहती है कि देश में कॉङ्ग्रेस-कार्यों की सुविधा के लिए दल का समस्त अधिकार वर्किङ्ग कमिटी को दे दिया जाय।

अन्त में इसी आशय का प्रस्ताव पास हुआ और यह निश्चय हुआ कि देश भर की समस्त सेवा-दल की स्वयंसेवक-संस्थाओं का अधिकार वर्किङ्ग कमिटी को दे दिया जाय और इस कार्य के लिए डॉ० हार्डीकर, श्री० साम्बमूर्ति आदि की एक कमिटी भी बनाई गई।

महात्मा जी का स्वागत

महात्मा जी यदि लन्दन गए, तो उनका वहाँ, भारतीयों को ही ओर से नहीं, अङ्गरेज़ों की ओर से ज़ोरदार स्वागत होगा। वहाँ के लोग, ख़ासकर वे मैनचेस्टर और लङ्काशायर के निवासी, जिनके बनाए कपड़े के ख़िलाफ़ महात्मा जी ज़बरदस्त आन्दोलन कर रहे हैं—इस बात के लिए लालायित हैं कि महात्मा जी यहाँ आवें और हमें उनके दर्शन का, उनके स्वागत का, उनकी सुश्रूषा का और उनकी अमृत-वाणी के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। लन्दन में शिशु-रक्षा और जन-सेवा का कार्य करने वाली जिन कुमारी लेस्टर के निवास-स्थान पर महात्मा जी ने लन्दन जाने पर ठहरने का निश्चय किया है, उन्होंने सहयोगी 'हिन्दू' के पास यह सन्देश लिख भेजा है कि जब से लोगों ने यहाँ यह सुना है कि महात्मा जी मेरे मकान में ठहरेंगे, तब से मेरे पास पत्रों का ताँता बँध गया है। मित्र और अजनबी सभी मुझे लिख रहे हैं, महात्मा जी के स्वागत और आराम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो, बतलाइए। ग़रीब और अमीर सभी ने लिखा है कि दूध, फल या जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ ज़रूरी हों, हम समर्पित करेंगे। लङ्काशायर तक के लोग, जो महात्मा जी की बॉयकॉट-नीति के कारण नष्ट-प्राय हो गए हैं, लिख रहे हैं कि वे महात्मा जी के और उनके दरिद्र-नारायण की पूजा के कितने भक्त हैं और उनके दर्शनों के लिए कितने उत्सुक हैं। उन लोगों ने यह भी लिखा है कि पूर्वीय राष्ट्र का महान प्रतिनिधि लन्दन आकर ग़रीबों और पीड़ितों के बीच में निवास करेगा। अन्त में मिस लेस्टर ने यह भी लिखा है कि सरकार जो चाहे करे या कहे, किन्तु मैं यह जानती हूँ कि इङ्गलैण्ड की जनता या कम से कम ग़रीब लोग, जो अधिकांश संख्या में हैं, वे भारतीयों के राष्ट्रीय भावों और सिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हैं।

गोलमेज़ में कब कौन जा रहा है ?

रूढ़िपन्थियों के लिए विशेष प्रबन्ध !!

महात्मा गाँधी ने अभी तक लन्दन-यात्रा के लिए पास नहीं लिया है, पी० ऐण्ड ओ० कम्पनी से जाँच करने पर पता लगा है कि कम्पनी ने महात्मा गाँधी के लिए विशेष प्रबन्ध, जैसे दूध के लिए बकरी आदि का किया है, यह समाचार निराधार है। महाराजा बीकानेर के प्रार्थना करने पर पुराने विचार वाले हिन्दुओं के लिए मुल्तान जहाज़ पर विशेष प्रबन्ध किया गया है। सम्भव है कि महामना मालवीय जी के लिए भी यही प्रबन्ध हो। सम्भव है कि निम्न-लिखित प्रतिनिधि 'मुल्तान' से १५ अगस्त को विलायत जायँगे। महाराजा बीकानेर, महाराजा रीवाँ, नवाब भूपाल, सर अकबर हैदरी, सर तेजबहादुर सप्रू, सर मुहम्मद शफ़ी, बेगम शाहनवाज़, सर मनूभाई मेहता, सर मिर्ज़ा इस्माइल, डॉ० मुञ्जे, सर प्रभाशङ्कर पट्टनी, दीवान बहादुर रामस्वामी अय्यर, मि० ए० रङ्गास्वामी अयङ्गर, श्री० के० श्रीनिवास, पं० मदनमोहन मालवीय, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर ए० पी० पैट्रो, मि० एम० एन० जोशी, दी चीफ़ ऑफ़ साँगली, सर मेनेकजी दादाभाई, डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ, मेसर्स सुब्बारायन, मौ० शौकतअली, मि० सी० वाई० चिन्तामणि, और श्रीमती सरोजिनी नायडू।

—राष्ट्रीय दल के मुसलमानों की संख्या और उनका ज़ोर बराबर बढ़ रहा है। गत ४ अगस्त को कानपुर में भी मुस्लिम राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई है, जिसमें अध्यक्ष हाफ़िज़ मोहम्मद हाशिम और मन्त्री श्री० मोईनुद्दीन मोहम्मद शिद्दीक़ी तथा सय्यद मोहम्मद सिद्दीक़ चुने गए हैं।

❀ ❀ ❀

गोलमेज़ के प्रतिनिधियों की सूची

गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में 'माइनॉरिटी कमिटी' के सदस्यों के नाम की सरकारी घोषणा कर दी गई है। पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में इस कमिटी में ३७ सदस्य थे, जिनमें मौलाना मुहम्मदअली और के० टी० पाल की मृत्यु हो गई थी। उक्त दोनों सज्जनों के स्थान पर क्रमशः मौलाना शौकतअली और डॉक्टर एस० के० दत्त नियुक्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ७ सज्जन और भी बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार कमिटी की संख्या अब ४४ हो गई है। अस्तु, सब से दयनीय बात यह है कि सारी कमिटी में केवल एक ही राष्ट्रीय मुस्लिम प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। यद्यपि हमें इस बात का हर्ष है कि सर अली इमाम जैसे योग्य एवं सम्भ्रान्त राष्ट्रीय मुसलमान को सरकार ने कमिटी की सदस्यता के लिए नियुक्त किया है, तथापि श्रीयुत अन्सारी तथा अन्य राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं का अभाव अत्यन्त दुख की बात है और यह हमारी सरकार की आन्तरिक नीति का परिचायक के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

—सं० 'भविष्य']

ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने आगामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में शामिल होने के लिए निम्न-लिखित सदस्यों की नामावली प्रकाशित की है। उनसे अक्टूबर महीने के आख़ीर में लन्दन पहुँच जाने की आशा की गई है।

ब्रिटिश प्रतिनिधि

मि० जे० आर० रैमज़े मैकडॉनल्ड, प्रधान मन्त्री; लॉर्ड सैङ्की; लॉर्ड चान्सलर; मि० वेजउड बेन, भारत-मन्त्री; मि० ऑर्थर हेण्डरसन, परराष्ट्र मन्त्री; मि० जे० एच० टॉमस, उपनिवेश मन्त्री; अर्ल पील; सर सैमुएल होर, एम० पी०; मारक्वीस ऑफ़ जेटलैण्ड; मि० ओलीवर स्टैनली, एम० पी०; मारक्वीस ऑफ़ रेडिङ्ग; मारक्वीस ऑफ़ लोथियन; मि० रॉबर्ट हैमिल्टन, एम० पी०; मि० आइज़क फूट, एम० पी०।

इनके अतिरिक्त पार्लामेण्ट के अन्य मन्त्री कॉन्फ्रेन्स या कमिटियों के अधिवेशनों में उनके विषयों पर विचार होते समय निमन्त्रित किए जायँगे।

देशी राज्यों के प्रतिनिधि

महाराज अलवर; महाराज बड़ौदा; नवाब भूपाल; महाराज बीकानेर; महाराज राना धौलपुर; महाराज काश्मीर; महाराज नवानगर; महाराज पटियाला; महाराज रीवाँ; साँगली के चीफ़; राजा कोरिया; राजा सरीला; सर प्रभाशङ्कर पट्टनी; सर मनुभाई मेहता; सरदार साहबज़ादा सुल्तान अहमद ख़ाँ; नवाब सर मुहम्मद अकबर हैदरी; सर मिर्ज़ा इस्माइल; दीवान बहादुर टी० राघवीयह पन्तलूगारू; कर्नल के० एन० हक्सर।

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि

हिज़ हाईनेस आग़ा ख़ाँ; नवाब सर साहबज़ादा अब्दुल क़यूम ख़ाँ; सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर; सर सय्यद अली इमाम; डॉ० भीमराव रामजी अम्बेदकर; श्री० यू० बा० पे०; श्री० चन्द्रधर बरुअह; मि० जे० एन० बासू; मि० ई० सी० बेन्थल; सर शाहनवाज़ ख़ाँ; ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ाँ भट्टू; रायबहादुर कुँवर विश्वेश्वर दयाल सेठ; सर ह्यूबर्टकर; मि० सी० वाई० चिन्तामणि; सर मानकजी दादाभाई; महाराजाधिराज कामेश्वरसिंह दरभङ्गा; मि० शफ़ी दाऊदी; डॉ० एस० के० दत्त; मि० ओ० डी० ग्लैनविल; मि० फ़ज़लुलहक़; मि० एम० के० गाँधी; मि० एम० एम० ओन वाइन; मि० ए० एच० ग़ज़नवी; सर ग़ुलाम हुसेन हिदायतुल्ला; लेफ़्टिनेण्ट कर्नल सर हेनरी गिडनी; सर पद्मजी गिनवाला; मि० वी० वी० गिरि; ख़ाँ बहादुर हाफ़िज़ हिदायतहुसेन; सर मुहम्मद इक़बाल; मि० रङ्गस्वामी आयङ्गर; मि० बी० वी० जाघव; मि० एम० आर० जयकर; सर कावसजी जहाँगीर (जूनियर); मि० एम० ए० जिन्ना; मि० टी० एफ़० गैविन जोन्स; मि० एन० एम० जोशी; पण्डित मदनमोहन मालवीय; नवाब साहबज़ादा सर सय्यद मुहम्मद मेहर शाह; सर प्रोवाशचन्द्र मित्र; मि० एच० पी० मोदी; डॉ० बी० एस० मुन्जे; दीवान बहादुर ए० रामस्वामी मुदालियर; कैप्टेन नवाब सर मुहम्मद अहमद सय्यद ख़ाँ; नवाब छतारी; सर मुहम्मद शफ़ी; श्रीमती सरोजिनी नायडू; दीवान बहादुर राजा नरेन्द्रनाथ; डॉ० नरेन्द्रनाथ लॉ; सय्यद मुहम्मद पादशाह; रायबहादुर ए० टी० पन्नीर सेलवम; राजा श्री० श्री० श्रीकृष्णचन्द्र गजपति नारायण देव; राजा परलाकीमेडी; रावबहादुर सर अन्नेपु परसुरामदास पैट्रो; दीवान बहादुर एम० रामचन्द्र राव; सरदार सम्पूरनसिंह; सर तेजबहादुर सप्रू; श्री० वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री; सर चिमनलाल सीतलवाद; सर फ़िरोज़ सेठना; डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ; श्रीमती शाहनवाज़; मौलाना शौकतअली; कैप्टेन राजा शेर मोहम्मद ख़ाँ दोमेली; मि० बी० शिवराव; रावबहादुर आर० श्रीनिवासन; श्रीमती सुब्बारायन; सर सय्यद सुल्तान अहमद; मि० श्रीपद बलवन्त ताम्बे; यू० औङ्ग थिन; सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास; सरदार साहब सरदार उज्जलसिंह; मि० सी० ई० उड; मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ।

इनमें से जो प्रतिनिधि इङ्गलैण्ड में हैं, उनके पास प्रधान मन्त्री निमन्त्रण-पत्र भेज रहे हैं और जो प्रतिनिधि हिन्दुस्तान में हैं, उनके पास प्रधान मन्त्री की ओर से वॉयसरॉय निमन्त्रण-पत्र भेज रहे हैं।

अल्प-संख्यक कमिटी के सदस्य

प्रधान मन्त्री ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की अल्प-संख्यक कमिटी की सभाओं में शामिल होने के लिए निम्न-लिखित सदस्यों की नामावली प्रकाशित की है। उनसे २६ सितम्बर तक लन्दन पहुँच जाने की आशा की गई है, जिससे अक्टूबर में कार्य प्रारम्भ हो जाय।

मि० रैमज़े मैकडॉनल्ड, सभापति; सर डबल्यू० ए० जोविट, अर्ल पील; मेजर ओलीवर स्टैनली; मारक्वीस ऑफ़ रेडिङ्ग; मि० आइज़क फूट; हिज़ हाइनेस आग़ा ख़ाँ; सर सय्यद अली इमाम (नई नियुक्ति); डॉ० बी० आर० अम्बेदकर; मि० ई० सी० बेन्थल (नई नियुक्ति); सर ह्यूबर्टकर; नवाब छतारी; मि० सी० वाई० चिन्तामणि; डॉ० एस० के० दत्त (नई नियुक्ति); मि० फ़ज़लुल हक़; मि० एम० के० गाँधी (नई नियुक्ति); मि० ए० एच० ग़ज़नवी; लेफ़्टिनेण्ट कर्नल सर हेनरी गिडनी; ख़ाँ बहादुर हाफ़िज़ हिदायत हुसैन; सर मुहम्मद इक़बाल (नई नियुक्ति); मि० एन० एम० जोशी; पण्डित मदनमोहन मालवीय (नई नियुक्ति); सर प्रोवाशचन्द्र मित्र; डॉ० बी० एस० मुञ्जे; श्रीमती सरोजिनी नायडू (नई नियुक्ति); राजा नरेन्द्रनाथ; रावबहादुर पन्नीर सेलवम; सर ए० पी० पैट्रो (नई नियुक्ति); दीवान बहादुर एम० रामचन्द्र राव; मि० बी० शिवराव; सर चिमनलाल सीतलवाद; सर फ़िरोज़ सेठना; डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ; सर मुहम्मद शफ़ी; मौलवी मोहम्मद शफ़ी दाऊदी (नई नियुक्ति); बेगम शाहनेवाज़; मौलाना शौकतअली (नई नियुक्ति); सरदार सम्पूरनसिंह; रावबहादुर श्रीनिवासन; श्री० श्रीनिवास शास्त्री; श्रीमती सुब्बारायन; सर सुल्तान अहमद; सरदार साहब उज्जलसिंह और मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ।

इङ्गलैण्ड में प्रधान मन्त्री द्वारा और भारत में वॉयसरॉय द्वारा निमन्त्रण-पत्र भेजे जा रहे हैं।

इस बार १०२ सज्जन कॉन्फ्रेन्स के लिए बुलाए गए हैं। पहिले की अपेक्षा १९ व्यक्ति और नए शामिल किए गए हैं। भारतीय प्रमुख नेताओं में महात्मा जी, मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू के नाम भी निमन्त्रण आया है। महात्मा जी जायँगे या नहीं, यह अभी तक उन्होंने निश्चय नहीं किया है। उनका कहना है कि दिल्ली के (गाँधी-इर्विन) समझौते का पूर्ण रूप से पालन होने का वचन मिले बिना और विशेषकर देश के किसानों पर लगान की वसूली के सम्बन्ध में जो ज़ुल्म हो रहे हैं, उनके निवारण का वादा कराए बिना मैं नहीं जा सकता। गुजरात के किसानों के कष्टों के सम्बन्ध में बम्बई के गवर्नर से महात्मा जी मुलाक़ात करने के बाद अभी लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि मेरा लन्दन जाना बम्बई के गवर्नर के जवाब पर निर्भर है। युक्त-प्रान्त के किसानों के कष्टों के सम्बन्ध में सर मैलकम हेली ने अपना मन्तव्य पं० जवाहरलाल नेहरू के पास भेज दिया है। इस प्रकार एक ओर से तो जवाब मिल गया है, अब बम्बई के गवर्नर का उत्तर बाक़ी है, और इन्हीं उत्तरों के प्राप्त होने पर महात्मा जी अपने जाने के सम्बन्ध में आख़िरी तौर पर निश्चय करेंगे।

अब रहा मालवीय जी का, सो उनका जाना तो पूर्ण रूप से निश्चित है। उनकी सारी तैयारी भी हो गई है। उनके साथ में 'सनातनधर्म की रक्षा' के लिए एक मालवीय रसोइया, कई हण्डे गङ्गाजल आदि जा रहे हैं। उनके सब से छोटे पुत्र पं० गोविन्द मालवीय उनके सेक्रेटरी के रूप में जा रहे हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी तैयार हैं, किन्तु उनका जाना महात्मा जी पर निर्भर है, यदि महात्मा जी जायँगे तो श्रीमती नायडू भी जायँगी, अन्यथा कदाचित नहीं। डॉक्टर अन्सारी के सम्बन्ध में पहिले ख़बर थी कि वे नवाब भूपाल के साथ लन्दन जायँगे, मगर बाद में इस ख़बर का खण्डन कर दिया गया है और महात्मा जी ने ख़ुद कहा है कि डॉ० अन्सारी का देश में रहना आवश्यक है।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी की बैठकें

किसानों की दशा पर विचार :: राष्ट्रीय झण्डे का रङ्ग बदल दिया गया

[दूसरे दिन की बैठक]

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी कमिटी की जो बैठकें इस सप्ताह बम्बई में हुई हैं, उनकी पहिले दिन की कार्यवाही का समाचार 'भविष्य' के पिछले अङ्क में दिया जा चुका है। दूसरे दिन की बैठक ५ अगस्त को ८ बजे प्रातःकाल प्रारम्भ हुई। इस दिन देश की परिस्थिति और कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित होने के प्रश्न पर विचार हुआ। गुजरात और युक्त-प्रान्त के किसानों की दशा पर विशेष रूप से विचार किया गया। गुजरात के सम्बन्ध में यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में महात्मा जी और बम्बई के गवर्नर में जो बातें हुई हैं, उनसे गुजरात के किसानों की दिक़्क़तें साफ़ हो गई हैं और महात्मा जी गवर्नर की बातों से सन्तुष्ट हैं। युक्त-प्रान्त के किसानों की दशा के बारे में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनुभव पेश किए और किसानों के सारे कष्टों का ज़िक्र करते हुए बतलाया कि वहाँ की परिस्थिति में अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मालवीय जी ने भी किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए और श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा श्री० शेरवानी ने, जो युक्त-प्रान्त के किसानों की हालत बतलाने के लिए ख़ास तौर से बुलाए गए थे, अपने अनुभव बतलाए। किसानों की कष्ट-कथाएँ सुनने के बाद प्रत्येक सदस्य से अनुरोध किया गया कि वे कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में भाग लेने के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट करें और शाम के लिए बैठक स्थगित कर दी गई।

राष्ट्रीय झण्डे का प्रश्न

शाम को बैठक के फिर आरम्भ होने पर राष्ट्रीय झण्डे का प्रश्न उपस्थित हुआ। पाठकों को स्मरण होगा कि राष्ट्रीय झण्डे के सवाल पर विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए एक झण्डा-कमिटी नियुक्त की गई थी। उस कमिटी ने अपनी यह राय दी है कि झण्डा बजाय तिरङ्गे के एक रङ्ग का रहे और उसका रङ्ग केसरिया रक्खा जाय, परन्तु कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने झण्डा-कमिटी की यह राय पसन्द नहीं की और इस ख़्याल से कि झण्डे के वर्तमान रूप में कम से कम परिवर्तन हो सके, उसके तीन रङ्गों में केवल एक रङ्ग बदल दिया है। लाल रङ्ग के बजाय केसरिया रङ्ग बदलने का निश्चय किया है और हरा और सफ़ेद रङ्ग ज्यों का त्यों रहेगा। सब से ऊपर केसरिया रङ्ग रहेगा, बीच में सफ़ेद और हरा सब से नीचे। झण्डे के बीचो-बीच में काले रङ्ग का चरख़ा बना रहेगा। झण्डे के रङ्ग साम्प्रदायिक सिद्धान्त पर नहीं रक्खे गए हैं, बल्कि वे मानवीय विशेषताओं के द्योतक समझे जायँगे। केसरिया रङ्ग निर्भीकता और त्याग का परिचायक होगा, सफ़ेद रङ्ग शान्ति और सत्य का द्योतक होगा, हरा रङ्ग श्रद्धा और वीरता का निदर्शक होगा और चर्ख़ा जनता की आशा का प्रतिबिम्ब होगा।

राजनीतिक हत्याओं पर चेतावनी

राजनीतिक हत्याओं के सम्बन्ध में वर्किङ्ग कमिटी ने इस आशय का प्रस्ताव अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की स्वीकृति के लिए पास किया है कि अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर जो हत्याकारी आक्रमण किया गया है और बङ्गाल में मि० गार्लिक की हत्या की गई है, उस पर खेद प्रकट करती है और सभी राजनीतिक हत्याओं की निन्दा करते हुए गवर्नर पर किए गए आक्रमण को अधिक निन्दनीय समझती है, क्योंकि वह कॉलेज में अतिथि-रूप में आए थे। अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ऐसे सभी लोगों को सचेत कर देना चाहती है, जो गुप्त रूप से या खुल्लमखुल्ला ऐसी हत्याओं का समर्थन करते हैं अथवा उन्हें उत्तेजन देते हैं। अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी देश की समस्त कॉङ्ग्रेस-संस्थाओं से कहती है कि वे सार्वजनिक हिंसा के सभी कृत्यों के ख़िलाफ़, चाहे वह उत्तेजित किए पर ही की गई हो, आन्दोलन करें। साथ ही राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से भी अपील है कि वे भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार जनता पर अपना असर डालें।

वर्किङ्ग कमिटी की बैठक ७ अगस्त को फिर हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर विचार हुआ और उसमें जमीयत-उल-उलेमा की कार्यकारिणी समिति के मुसलमानों के धार्मिक सिद्धान्तों की रक्षा और पञ्जाब तथा बङ्गाल में अल्पमत समुदाय के लिए पदों के संरक्षण के प्रश्नों पर विचार किया। इस प्रश्न का फ़ैसला शनिवार के लिए स्थगित रक्खा गया। अनन्तर सरदार भगतसिंह आदि की लाशें किस प्रकार जलाई गईं, इसकी जाँच करने के लिए कॉङ्ग्रेस की ओर से जो कमिटी नियुक्त की गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने पर वर्किङ्ग-कमिटी ने खेद प्रकट किया और इस बात पर अफ़सोस ज़ाहिर किया कि जिन लोगों ने लाशों के बुरी तरह से जलाए जाने के अभियोग लगाए थे, उन लोगों ने कमिटी के सामने उपस्थित होकर गवाहियाँ नहीं दीं, इसलिए कमिटी ने यह विचार प्रकट किया कि वह समझती है कि वह अभियोग सिद्ध नहीं किया जा सका।

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की कार्यवाही

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का अधिवेशन ६ अगस्त को बम्बई के महावीर जैन विद्यालय में राष्ट्रपति सरदार पटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। १८० सदस्य उपस्थित थे। दर्शकों से हॉल ठसाठस भरा था। मञ्च पर वर्किङ्ग कमिटी के सदस्यों के अतिरिक्त मालवीय जी, श्री० अब्बास तैयब जी, डॉ० पट्टाभि सीतारामैया, श्री० टी० प्रकाशम्, श्री० साम्बमूर्ति, श्री० सत्यमूर्ति, श्री० अभ्यङ्कर तथा कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग बैठे थे।

लन्दन शाखा-कॉङ्ग्रेस कमिटी का सम्बन्ध-विच्छेद

कमिटी के पिछले अधिवेशन की कार्यवाहियों के स्वीकृत होने के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने लन्दन की कॉङ्ग्रेस शाखा को कॉङ्ग्रेस-सिद्धान्तों के विरुद्ध आचरण करने के कारण कॉङ्ग्रेस से अलग करने का वर्किङ्ग कमिटी का प्रस्ताव उपस्थित किया। श्री० सत्यमूर्ति के विरोध करने पर निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव पर शनिवार के दिन विचार किया जाय।

१ निर्वाचन-क्षेत्र से १ सदस्य

इसके बाद वर्किङ्ग कमिटी द्वारा भेजा हुआ यह प्रस्ताव कुछ बहस के बाद पास हुआ कि प्रान्तीय, ज़िला और ग्राम्य कॉङ्ग्रेस कमिटियों से कहा जाय कि वे ऐसा नियम बनावें कि १ निर्वाचन-क्षेत्र से १ ही सदस्य चुना जाय। इसके बाद हिंसात्मक आक्रमणों की निन्दा करने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन इसी अङ्क में अन्यत्र प्रकाशित है।

राष्ट्रीय झण्डे में परिवर्तन

अनन्तर राष्ट्रीय झण्डे के रङ्ग में परिवर्तन करने का वर्किङ्ग कमिटी द्वारा स्वीकृत यह प्रस्ताव पास हुआ कि राष्ट्रीय झण्डे के रङ्गों में चूँकि साम्प्रदायिक महत्व दे दिया गया है, इसलिए उसके लाल रङ्ग को बदल कर केसरिया रङ्ग कर दिया जाय। यह प्रस्ताव भी पास हो गया। कुछ संशोधन इसमें उपस्थित किए गए थे, किन्तु वे सब रद्द कर दिए गए।

मूल अधिकार

स्वराज्य-शासन में नागरिकों और श्रमजीवियों को क्या अधिकार प्राप्त होंगे, इसकी व्याख्या करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। दिन-भर इसी प्रस्ताव पर बहस होती रही और बाद में बहस दूसरे दिन के लिए स्थगित की गई। शुक्रवार के दिन भी तमाम दिन इसी प्रस्ताव पर बहस रही और तीसरे दिन, यानी शनिवार को वह पास हुआ।

तीसरे दिन की बैठक में मूल अधिकार वाले प्रस्ताव के पास होने के बाद लन्दन शाखा कॉङ्ग्रेस कमिटी से सम्बन्ध-विच्छेद करने का प्रस्ताव भी गरमागरम बहस के बाद पास हो गया।

३० अगस्त को झण्डा-दिवस

अन्त में कमिटी ने यह निश्चय किया कि नए राष्ट्रीय झण्डे को व्यापक बनाने के लिए समस्त देश में ३० अगस्त को झण्डा-दिवस मनाया जाय और सर्वत्र नया राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय।

इस प्रकार तीन दिनों की बैठक के बाद अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का अधिवेशन समाप्त हुआ।

सीमा-प्रान्त के झगड़े का निवारण

वर्किङ्ग कमिटी की फिर बैठक

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी की बैठक गत रविवार को फिर बम्बई में राष्ट्रपति सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई। वर्किङ्ग कमिटी की बैठक अभी इसलिए हो रही है और उसके सदस्य रुके हुए हैं कि बम्बई के गवर्नर के पास से महात्मा जी के पत्र के आए हुए जवाब पर विचार करना है। रविवार की बैठक में सीमा-प्रान्त के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं और कॉङ्ग्रेस कमेटी, अफ़ग़ान जिरगा, ख़ुदाई ख़िदमतगार आदि राष्ट्रीय संस्थाओं के झगड़े का निवारण कर दिया गया, साथ ही अखिल भारतीय जमीयत-उल-उलेमा के हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि सीमा प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का नाम या तो यही या सीमा प्रान्तीय जिरगा रक्खा जाय और दोनों संस्थाएँ मिला कर एक कर दी जायँ और ख़ुदाई ख़िदमदगार कॉङ्ग्रेस के वालण्टियर माने जायँ और कॉङ्ग्रेस का नया राष्ट्रीय झण्डा उनका झण्डा रहे।

❀ ❀ ❀

रक्षक या भक्षक ?

कॉन्स्टेबिल को डाका डालने पर सज़ा !

कलकत्ता पुलीस का बरकतअली नामक एक कॉन्स्टेबिल डाकुओं के एक दल के साथ डाका डालते हुए पकड़ा गया। हवड़ा के अतिरिक्त सेशन्स जज ने अन्य डाकुओं के साथ उसको भी ३ साल की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

❀ ❀ ❀

१३ अगस्त, सन् १९३१

विद्यार्थियों का कलङ्क

किसी भी राष्ट्र के उत्थान और पतन, सृष्टि और विनाश में नवयुवकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जापान, रूस, इटली एवं आयर्लैण्ड की स्वतन्त्रता के इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि जब आज़ादी के जङ्ग के लिए पुकार हुई है, देश के युवक आगे बढ़े हैं और अपना सर्वस्व देश की बलि-वेदी पर चढ़ा कर उसकी ग़ुलामी की बेड़ियों को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उस समय जब देश का अन्तःकरण एक बार विक्षुब्ध होकर त्याग एवं समर्पण का आवाहन करता है, संसार का सारा आकर्षण, भावी-जीवन की सारी मृग-तृष्णा, यौवन का सारा प्यार, देश की पनपती हुई आत्माओं को विचलित नहीं कर सकता ! उस अन्तर्नाद के सम्मुख सृष्टि का सारा विकास एक क्षण के लिए रुक जाता है, जीवन की सारी लालसाओं को होम कर प्राणों की बाज़ी पर आज़ादी का सौदा करने के लिए युवक-हृदय व्याकुल हो उठता है। उस समय, उस समय जब रण-भेरी बजती है, जब युद्ध के महाशङ्ख का भीषण एवं भैरव आवाहन होता है, उस समय जीवन और मृत्यु, प्रलय और शान्ति, कर्म एवं वैराग्य से ऊपर उठ कर मतवाला यौवन आत्म-समर्पण के विराट अनुष्ठान में संलग्न हो जाता है। कष्टों और कठिनाइयों को रौंदता हुआ स्वतन्त्रता का भूखा साधक अपने कण्टकाकीर्ण पथ में अनवरत चला जाता है !

बहुत दिनों ! के बाद हमारे इस अभागे देश ने पिछले साल युद्ध का दृश्य देखा था। चिरकाल के बाद उसे खुल कर खेलने के दिन आए थे। कितने वर्षों के बाद बूढ़ी हड्डियों में जवानी का जोश जागा था। पता नहीं, कितने दिनों के बाद हमने फिर लक्ष्मीबाई और मैनादेवी के दुर्गा-रूप का भैरव-अभिनय देश की स्वतन्त्रता के रङ्गमञ्च पर देखा है। स्त्रियों ने आँचल बाँधे, चूड़ियाँ सँभालीं और रङ्ग-प्राङ्गण में कूद पड़ीं। बूढ़ों ने टेकने की लाठियों में झण्डे लगाए और सत्याग्रह के शङ्ख-नाद पर मचल पड़े। बच्चों ने खेल छोड़ कर जेल की यातनाओं का सहर्ष आलिङ्गन किया,......परन्तु............!!

परन्तु देश का एक ऐसा भी कायर अकर्मण्य एवं पतित दल था, जिसके कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। देश की छाती पर कलङ्क एवं कालिमा की स्याही पोतने वाले कुछ कपूत ऐसे भी थे, जिन्होंने रण-भेरी सुन कर अपने कान बन्द कर लिए; कुछ ऐसे भी युवक नामधारी नपुंसक थे, जिनके लिए मानो देश में कुछ हो ही नहीं रहा था, और जब उनकी निर्लज्ज आँखों के सामने असहाय, निरीह, निर्दोष नागरिकों पर, जिनमें असंख्य बच्चे और स्त्रियाँ थीं ; जब लाठियों और गोलियों की वर्षा हो रही थी, जब देश के आत्म-सम्मान को रौंद कर हमारी स्वतन्त्रता के विरोधी हमें सब प्रकार से नीचा दिखाने की धुन में थे, उस समय देश में एक ऐसा भी समाज था, जो सरकारी नौकरियों का स्वप्न देख रहा था; जिसे अपनी माँ-बहिनों की इज़्ज़त से बढ़ कर चन्द चाँदी के टुकड़ों का महत्व कहीं अधिक प्रतीत होता था, जिसके सामने देश के बनने-बिगड़ने का प्रश्न उतना गम्भीर नहीं था, जितना अपने निजी स्वार्थपूर्ण वासना एवं पतन में सने हुए जीवन की भावी मृग-तृष्णाओं का ! एक ओर देश युद्ध में संलग्न होकर जीवन और मृत्यु के प्रश्न के निर्णय में व्यस्त था, दूसरी ओर कायर कपूत—माँ के दूध की लाज अपने विरोधियों के चरणों में समर्पित कर रहे थे ! उधर माँ-बहिनों की इज़्ज़त ख़तरे में थी, इधर शेक्सपियर, शेली और बायरन की चर्चा छिड़ी हुई थी; उधर देश की स्वतन्त्रता का इतिहास अपनी 'इति' पर पहुँचने के लिए हिलोरें ले रहा था, इधर डिप्टीगिरी का प्रार्थना-पत्र तैयार किया जा रहा था ; उधर विदेशी वस्त्रों की पिकेटिङ्ग पर हमारे कई लाड़ले सिपाहियों के सिर पर लाठियाँ बरस रही थीं, इधर 'बड़े साहब' से मिलने के लिए ख़ास विलायत के बने हुए कपड़े का सूट तैयार कराया जा रहा था ! वह पतित समाज, कहते दुख होता है, हमारा विद्यार्थी-समाज ही था !!

विद्यार्थी-समाज का यह कलङ्क कभी भी नहीं मिट सकता। उसने अपने मुख पर यह कलङ्क आप ही पोत लिया है। देश-द्रोह के इस महापाप का कोई प्रायश्चित्त नहीं। महायुद्ध के समय जब इङ्गलैण्ड जर्मनी से पूरी तरह पार नहीं पा सकता था, इङ्गलैण्ड के स्कूल-कॉलेज बन्द कर दिए गए थे और विद्यार्थी तथा अध्यापक युद्ध में जुट पड़े थे। उन सभी देशों में, जहाँ स्वतन्त्रता मिली है, जापान, आयर्लैण्ड, इटली आदि सभी जगह, देश के शिक्षित नवयुवक आगे बढ़ते हैं और ऐसे अवसरों पर युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं ; परन्तु इसके ठीक विपरीत जब भारतवर्ष में युद्ध का शङ्खनाद हुआ हमारे पढ़े-लिखे नौजवान कायरता की चादर ओढ़े अपने बन्द कमरों में अपने भावी जीवन की आशा के सुनहले स्वप्न देख रहे थे। हम क्या यह पूछ सकते हैं, कि उस शिक्षा से देश को क्या लाभ हुआ जो जवानों की धमनियों में नपुंसकता लाकर उन्हें सदा के लिए निर्वीर्य और तेजहीन कर मनुष्यत्व से पतित, महापतित कर शैतान के हाथों की कठपुतली बना छोड़ती है ? क्या ऐसे हो नपुंसक युवकों की इस दयनीय शिक्षा का दारुण परिणाम देख कर हम सहज ही इस निर्णय पर नहीं पहुँच सकते, कि हमारे विरोधियों के उस विष-वृक्ष में फल आने लगे हैं, जिसे हमारी स्वतन्त्रता के निश्चित विरोधियों ने अपना शासन दृढ़ एवं पराजित भारत की नवीन पीढ़ी के मस्तिष्क को विषाक्त तथा पतित बनाने के लिए आज से सौ वर्ष पूर्व बोया था और जिसकी अभिव्यक्ति लॉर्ड मेकॉले ने सन् १८३५ के अपने लिखित बयान में दिया है :—

"We must do our best to form a class, who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, words and intellect."

अर्थात्—"हमें भारत में इस तरह की एक श्रेणी पैदा कर देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो कि हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, समझाने-बुझाने का काम करें; ये लोग ऐसे होने चाहिएँ जो कि केवल रक्त और रङ्ग की दृष्टि से हिन्दोस्तानी हों, किन्तु जो अपनी रुचि, भाषा, भावों और विचारों की दृष्टि से अङ्गरेज़ हों।"

सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने अङ्गरेज़ी शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा था :—

". . . . . Now my belief is that the ultimate result of the policy of improving and educating India will be, to postpone the separation for a long—indefinite period."

अर्थात् "× × × मुझे विश्वास है कि भारतवासियों को शिक्षा देने का अन्तिम परिणाम यह होगा कि भारत तथा इङ्गलिस्तान का पृथक हो सकना दीर्घ तथा अनिश्चित काल के लिए टल जायगा।"

ठीक ऐसे ही विचार बेण्टिङ्क के भी हैं। भारतवर्ष में वर्त्तमान अङ्गरेज़ी शिक्षा के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य यह था, कि भारत के ऊपर इङ्गलैण्ड के राजनीतिक प्रभुत्व को अनन्त काल तक क़ायम रक्खा जाय ! आज तक अङ्गरेज़ी शिक्षा पाए हुए भारतवासियों के जीवन—उनके रहन-सहन और चरित्र से स्पष्ट है कि लॉर्ड मेकॉले और सर चार्ल्स ट्रेवेलियन की नीति कितनी दूरदर्शिता-पूर्ण थी; और जो देश लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक संसार के शिक्षित देशों की अग्रतम श्रेणी में गिना जाता था, वह डेढ़ सौ वर्ष के विदेशी शासन के बाद अब 'सभ्य' कहाने वाले देशों में सब से अधिक पिछड़ गया है ! हम देखते हैं, हमारे दुश्मनों की मुरादें पूरी हुईं, उनके मनसूबे फले और आज हम देखते हैं कि इस दूषित शिक्षा के अत्यन्त दयनीय प्रभाव से हमारे युवक बच नहीं सके और जब देश ने स्वतन्त्रता की पुकार की थी, जब आगे बढ़ कर अपने को होम कर देने का शुभ अवसर आया था, जब अपनी निजी लालसाओं एवं आकांक्षाओं को देश के नाम पर क़ुर्बान करना था ; जब आत्म-समर्पण एवं सर्वस्व-त्याग की सुन्दर अनमोल घड़ियाँ युद्ध के रूप में विजय का सन्देश सुनाने आई थीं, हमारे अभागे देश के पढ़े-लिखे युवक कान में तेल डाल कर सो रहे थे और जब जगे भी तो केवल 'सरकारी-नौकरी' के सुनहले स्वप्न में फिर डूब जाने के लिए !! देश की छाती पर पतन का ऐसा भयङ्कर ताण्डव ? देश के शिक्षित नवयुवकों की ऐसी अकर्मण्यता !!

सत्याग्रह-संग्राम में विद्यार्थियों को न आते देख, उन पर दया तो अवश्य आती थी, परन्तु वर्तमान शिक्षा-

प्रणाली की विष भरी नीति का अनुमान कर आश्चर्य नहीं होता था! इन पंक्तियों के लेखक को भारतवर्ष की सब से बड़ी युनिवर्सिटी में अपने जीवन का सब से सुन्दर और अधिक समय बिताने का मौक़ा मिला है। हमने 'राष्ट्रीय' विश्वविद्यालय नाम से सम्बोधित की जाने वाली भारतवर्ष की सब से बड़ी शिक्षा-संस्था काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए विद्यार्थियों की दिन-चर्या को बहुत नज़दीक से अध्ययन किया है! हम जानते हैं, देश के अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, वहाँ राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का अनुकूल वातावरण है, वहाँ प्रकृति का बहुत ही सुन्दर एवं अभिराम दृश्य है, वहाँ देश की जागृति की एक-एक धड़कन बड़ी सूक्ष्मता से सुनी जा सकती है; वहाँ के सुन्दर वायु-मण्डल में आचार्य ध्रुव एवं, महर्षि मालवीय जैसे तपस्वी विख्यात हैं। फिर भी वहाँ के विद्यार्थियों की दिनचर्या वैसी ही Machine-made है, जैसी अन्यत्र। समय का अधिकांश अपने शरीर के शृङ्गार पर नष्ट किया जाता है। रात-दिन फ़ैशन की नई-नई तरकीबें सोची जाती हैं। जीवन और विचारों में मौलिकता का सर्वथा अभाव हो जाता है; आचरण की सत्यता पर ध्यान देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती, नैतिक पतन अपनी पराकाष्ठा पर आकर वहीं ठहर जाता है, सरकारी नौकरियों के सुख-स्वप्न में रात-दिन कटती है......फिर ऐसी शिक्षा का यह कुत्सित परिणाम, जो हम देख रहे हैं, अवश्यभावी है। वर्तमान शिक्षा हमारे आचरण, हमारे चरित्र-बल, नैतिक दृढ़ता, आदर्श एवं सभ्यता की जड़ को काट रही है। हम जानते हैं, किस प्रकार आजकल के कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थी 'कवि' बन जाते हैं, किस प्रकार अपने पापपूर्ण वासनाओं एवं कुत्सित, कलुषित, कलङ्कपूर्ण कुचेष्टाओं को सुन्दर शब्दों में सजा कर 'अनन्त की ओर' की तानें भरने लगते हैं। होस्टलों के बन्द कमरों के रङ्ग-रहस्य के पापपूर्ण अभिनय से भी हम परिचित हैं। हम जानते हैं विद्यार्थी-समाज में ८० प्रतिशत व्यक्ति अनैसर्गिक प्रेम एवं अनैसर्गिक सम्बन्ध में घुल रहा है! प्रेम के नाम पर किस प्रकार वासना और व्यभिचार का भयङ्कर ताण्डव होस्टलों के इन 'अन्तःपुर' में हो रहा है; किस प्रकार इस पाप के दारुण अभिनय में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों लिप्त हैं, किस प्रकार 'सुन्दर' बनने और कहलाने की भयङ्कर चेष्टा में विद्यार्थी अपने दरिद्र किसान माता-पिता की गाढ़ी-कमाई स्वाहा करते हैं; अपने कङ्गाल माता-पिता की रूखी रोटी और रूखा साग भूल कर अपने 'वेज़लीन' और 'स्नो' में अपना धन बहा रहे हैं, किस प्रकार वाह्य सौन्दर्य के विकास के लिए अन्तस्थल का पुण्य लुटाया जाता है, आकर्षण के जादू पर पाप का सौदा होता है—यह सब हम भली-भाँति जानते हैं। फिर ऐसे 'नरक के कीड़ों' में आत्म-सम्मान, आत्म-गौरव, देश-प्रेम का न होना हमारे लिए कोई आश्चर्य-जनक नहीं। भगवान का बहिष्कार तो बड़ी सुगमता से हो ही जाता है, फिर उस उलझन में व्यर्थ क्यों फँसा जाय? वर्तमान विद्यार्थी-समाज में अधिकांश व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य ईश्वर की सृष्टि नहीं। देश-भक्ति के लिए समय ही कहाँ है? कमरे में जाकर देखिए तो विदेशी रमणियों के नङ्गे चित्र बड़ी सजावट के साथ, लगे हुए हैं। पुस्तकें भी वही सुहाती हैं, जिनमें वीभत्स शृङ्गार का विशद वर्णन हो। पत्र-पत्रिकाओं में अध्ययन या देखना जो कुछ समझिए स्त्रियों के चित्रों तक का ही है। गम्भीर लेखों को देख कर पसीना आ जाता है। रामायण और गीता उनके लिए 'गड़ेरियों का गीत' है!

यह है हमारे देश के भावी भाग्य-विधायक शिक्षित विद्यार्थी-समाज का जीवित चित्र। इन कायर, नपुंसकों को संग्राम में न कूदते देख आपको इन पर दया अवश्य आ सकती है, पर आश्चर्य क्यों हो? इनका नैतिक आचरण भ्रष्ट हो गया है, इनकी साधना मिट चुकी है, इनका गौरवपूर्ण इतिहास अतीत के गर्भ में विलीन हो गया........और यह अत्युक्ति नहीं होगी, यदि हम कहें कि हमारी ग़ुलामी को क़ायम रखने वाले ये अभागे देश के कलङ्क, पृथ्वी के भार (So-called) शिक्षित युवक ही हैं। इनका पुरुषत्व लोप हो गया है, आत्माभिमान जैसी कोई चीज़ नहीं है—देश-गौरव से परिचित ही नहीं, स्वतन्त्रता की कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे समाज को युद्ध में न आते देख हमें आश्चर्य क्यों हो?

आज देश के आँगन में युद्ध की भेरी नहीं बजती, यह ठीक है, आज शङ्ख-घोष सुनने में नहीं आ रहा है, फिर भी युद्ध-काल से भी बढ़ कर हमारे कन्धों पर महत्वपूर्ण दायित्व का भार आ गया है—वह है देश के दरिद्र-नारायण का सङ्गठन, वह दरिद्र-नारायण हमें किसानों, अशिक्षितों, कङ्गालों, भिखमङ्गों के रूप में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दृष्टि-गोचर हो रहे हैं। उनकी रोटी-साग का प्रबन्ध करना है। वे स्वतः निराश्रित, गत-आश, निस्साधन और निरीह हैं। उनकी अन्तर्ज्योति नष्ट हो गई है, उनका आत्म-प्रकाश धूमिल हो गया है; वे चाहते हुए उठने में अशक्त हैं। आवश्यकता है उन्हें उठाने की। उनके जगते ही राष्ट्र की सदियों से सोई आत्मा जग जायगी, देश जग उठेगा, माता के हृदय में सोए हुए उल्लास जग पड़ेंगे और वही होगा राष्ट्र के नवजीवन का विशुभ्र अरुणोदय!!

इस पुनीत अनुष्ठान के लिए माता कातर दृष्टि से हम नवयुवकों की ओर देख रही है। हम कितने ही पतित क्यों न हो गए हों, माँ की दृष्टि अभी तक हम पर है, अब भी अपने अभ्युदय के उन्नायकों के रूप में वह अपने जवान बेटों की ओर देख रही है। हमें चर्ख़ा और खादी का सन्देश देश के कोने-कोने में फैला देना है, व्यावहारिक रूप में, क्रियात्मक रूप में। वही दरिद्र-नारायण का प्रश्न हल कर सकेगा।

विद्यार्थियों का कॉलेज-स्कूल में तो सभ्य पुस्तकों से चिपटे रहने में बीतता ही है, अवकाश के समय का भी ख़ून वे बहुत बुरी तरह करते हैं। देश में कुछ ऐसे नवयुवक संन्यासियों, नौजवान फ़क़ीरों की ज़रूरत है जो देश के कल्याण में अपना कल्याण मिला दें, देश की उन्नति में अपनी उन्नति, देश के उत्थान में अपना उत्थान समझें। कुछ ऐसे मतवाले नौजवान हों जो देश के भाग्य ही के प्रश्न को अपने जीवन-मृत्यु का प्रश्न बना लें और देश की ग़ुलामी की कड़ियाँ तोड़ने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझें—उसी में अपने को मिटाने के लिए आगे बढ़ें, अपने को होम कर दें। आज़ादी का सौदा बड़ा मँहगा होता है, प्राणों की बाज़ी पर इसके लिए चेष्टा करनी होती है—क्या हम आशा कर सकते हैं, कि ये ग़ुलामी और व्यभिचार को प्रश्रय देने वाली वर्त्तमान यूनिवर्सिटियों के नरक-कुण्ड से ऐसे कुछ युवक-रत्न निकलेंगे जो युवक विद्यार्थी-समाज के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व को अनुभव करते हुए देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे और गत युद्ध-काल में लगे हुए विद्यार्थियों के कलङ्क की टीका को मिटाने की कोशिश करेंगे? देखना है विद्यार्थी-समाज अपने दायित्व को कहाँ तक समझता है?

* * *

फाँसी की सज़ा

पाठकों को यह जान कर अत्यन्त हर्ष होगा कि नेपाल के महाराजाधिराज भीम शेरजङ्ग बहादुर राणा ने अपने राज्य में पाँच वर्ष के लिए फाँसी की सज़ा स्थगित कर दी है और विश्वास दिलाया है, कि ऐसा करने से यदि अपराधों की संख्या में कमी हुई और राज्य का नैतिक आचरण पहले की अपेक्षा पवित्र एवं उन्नत हुआ तो नेपाल राज्य से प्राण-दण्ड की व्यवस्था सदा के लिए उठा दी जायगी। महाराजा साहब ने इस सम्बन्ध में सैनिक-क़ानून और राज्य-द्रोह के अपराधों के लिए प्राण-दण्ड को अपवाद रूप में रक्खा है। महाराजा साहब की इस आज्ञा का हम हृदय से अभिवादन करते हैं और आशा करते हैं कि दूसरे-दूसरे राष्ट्र भी इस दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता का अनुकरण करेंगे। अस्तु—

यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि एक बार श्री० गयाप्रसादसिंह ने हमारी केन्द्रीय धारा-सभा में फाँसी की सज़ा उठा देने के लिए एक बिल पेश किया था जिसे सरकार ने अव्यावहारिक कह कर सारतः अस्वीकार कर दिया था। कुछ दिन हुए ब्रिटिश पार्लामेण्ट ने एक विशिष्ट समिति नियुक्त कर प्राण-दण्ड के सम्बन्ध में जनता की राय जाननी चाही थी और उस कमिटी ने यह परामर्श दिया था कि परीक्षा-रूप में फाँसी की सज़ा पाँच वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाय और यह विश्वास दिलाया था कि इसका परिणाम बहुत ही सन्तोषजनक होगा; परन्तु पार्लामेण्ट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया!

प्राण-दण्ड की व्यवस्था के विरुद्ध जितना कहा जाय, थोड़ा ही है। किसी भी दण्ड का नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्व उस व्यक्ति के सुधार में है। प्रतिकार एवं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर किसी भी अपराध का जो कुछ भी दण्ड निर्धारित किया जाता है, उसका परिणाम दारुण, भयावह एवं असन्तोषजनक होता है। प्राण-दण्ड की प्रथा कितनी अमानुषिक, लज्जास्पद और किसी भी सभ्य सरकार के लिए निन्दनीय है, इसकी कल्पना करना कठिन ही नहीं, वरन् एकान्ततः असम्भव है। प्राण-दण्ड के गर्भ में प्रतिकार की भावना अपने अत्यन्त विकराल रूप में सम्मिलित रहती है। उसमें प्रतिहिंसा, सत्यानाश एवं दयनीय दमन का भयङ्कर ज्वालामुखी छिपा हुआ रहता है। प्राण-दण्ड में अपराधी के नैतिक एवं आचरण-सम्बन्धी सुधार का भाव रञ्च मात्र भी नहीं है—इसे कोई भी विवेकशील व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता।

मानव-जीवन का मूल्य वही आँक सकता है; जिसने इसकी सृष्टि की है। विधाता की इस सुन्दर सृष्टि की एक अनमोल जान को, जिसे संसार की सारी शक्ति एवं पराक्रम निर्माण नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि वह स्थान, समय एवं परिस्थितियों से बाध्य होकर हमारी स्थूल दृष्टि में एक महाभयङ्कर अपराध कर बैठा है, फाँसी की डोरी में झुला देना कितना करुण, कितना पैशाचिक एवं कितना बर्बरतापूर्ण है, इसे सहज ही सभी समझ सकते हैं। सभ्य कहलाने वाली कोई भी सरकार कम से कम न्याय एवं प्रजा-हितैषिता के नाम पर इस नारकीय अभिनय को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती! इसका परिणाम भी जो कुछ होता है, इस प्रथा से जो सुधार (!) हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष ही है! भगतसिंह, राजगुरु, हरिकिशन एवं दिनेश को फाँसी पर लटका कर यह 'न्याय और क़ानून' से प्रतिष्ठित ब्रिटिश सरकार अपने राज्य की नींव अपने ही

हाथों किस प्रकार खोद रही है, उसे समझना कठिन नहीं है।

सभ्यता एवं न्याय की बात कौन कहे, केवल मनुष्यता के नाम पर भी ऐसे दारुण दण्ड-विधान का हम समर्थन नहीं कर सकते। जो मनुष्य-जीवन की सृष्टि नहीं कर सकता, उसे उस जीवन को नष्ट कर देने का कोई भी अधिकार नहीं, जो शक्ति प्राण-दान नहीं कर सकती वह उस प्राण का अपहरण भी नहीं कर सकती, उसे यह अधिकार प्राप्त ही नहीं कि किसी भी अपराध का प्रतिकार प्राण-दण्ड से कर सके।

इस दशा में हम नेपाल-सरकार और नेपाल महाराज के इस प्रशंसनीय कार्य का अभिवादन करते हुए भारत-सरकार का ध्यान नेपाल महाराज के इस आदर्श कार्य की ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही हमें इस बात से लज्जा है कि हमारा पड़ोसी नेपाल इस मानवी-आदर्श में हमसे इतना आगे बढ़ गया; क्या हमारी इस परवशता का एकमात्र कारण हमारी ग़ुलामी ही नहीं है?

* * *

बर्मा ऑर्डिनेन्स

बर्मा ऑर्डिनेन्स लॉर्ड विलिङ्गडन का पहला ऑर्डिनेन्स है। नाम में तो वह मॉर्शल लॉ नहीं है; परन्तु प्रयोग में वह उससे कम भयानक और कम आतङ्कजनक प्रमाणित होने वाला भी नहीं है। अब तक जितने असाधारण अधिकारों द्वारा बर्मा का शासन किया जा रहा था वे यथेष्ट नहीं समझे गए। फ़ौजों द्वारा सम्पूर्ण बर्मा-प्रदेश ढक दिया गया, अनेकों को असाधारण अदालतों द्वारा फाँसी की सज़ाएँ दे दी गईं और सहज ही भावुक बर्मियों के सामने सरकार की ओर से आतङ्कजनक प्रदर्शन किए गए; परन्तु विद्रोह शान्त न हो सका। एक ओर असङ्गठित, साधनहीन, जङ्गलों में छिपे-छिपे फिरने वाले विद्रोही हैं दूसरी ओर सम्पूर्ण आधुनिक साधनों से सम्पन्न ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य शक्ति है! ऐसी बेजोड़ की शक्तियों का मुक़ाबला इतने समय तक बराबर जारी रहना, वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है। यदि इस देश की नौकरशाही को अपनी शक्ति का अनुचित अभिमान न होता तो सम्भवतः इतने समय तक दमन के ज़बर्दस्त उपायों के प्रयोग कर लेने के बाद वह एक बार गम्भीरतापूर्वक उन कारणों पर अवश्य विचार करती, जोकि बर्मा विद्रोह को इतने प्रबल दमन के सामने भी क़ायम किए हुए हैं। यह न करके उसने दमन के उसी उपाय को अधिक प्रबल कर देने का विचार किया है जो कि अब तक असफल प्रमाणित हुआ है। बर्मा-विद्रोह देश की ग़रीबी और विदेशियों के लगातार अर्थ-शोषण का एक स्वाभाविक क्रम-विकास है। इसे ऑर्डिनेन्सों और फ़ौजी क़ानूनों द्वारा रोकने का प्रयत्न करना निरर्थक है। परन्तु हृदयहीन नौकरशाही के पुर्ज़ों को प्राचीन परम्परा से अलग होकर सोचने की शक्ति ही कहाँ है?

लॉर्ड विलिङ्गडन ने बर्मा के लिए जिस ऑर्डिनेन्स की घोषणा की है और उसके अनुसार सरकारी अफ़सरों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें देखने के बाद यह प्रश्न उठता है कि बर्मा में नौकरशाही क्या नहीं कर सकती?

बर्मा-ऑर्डिनेन्स में 'विद्रोही' की परिभाषा ऐसी व्यापक है कि कोई भी व्यक्ति विद्रोही क़रार दिया जा सकता है। ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १२१,१२१-ए,१२२ या १२३ के अनुसार अपराध करने वाले तो विद्रोही समझे ही जायँगे; परन्तु साथ ही वे लोग भी विद्रोही समझे जायँगे, जिनके विरुद्ध सरकार की फ़ौज या पुलीस अमन और क़ानून की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई कर रही है! सरकारी आदमियों को, बिना वारण्ट के गिरफ़्तारी करने और उद्दण्ड व्यक्तियों को क़ाबू में करने का अधिकार रहेगा। गिरफ़्तारी करने के समय सरकारी आदमी जो उपाय आवश्यक समझें, प्रयोग कर सकते हैं। यह सन्देह हो जाने पर, कि किसी व्यक्ति ने विद्रोह की किसी प्रकार से सहायता पहुँचाई है या सहायता पहुँचाने की इच्छा की है, उसे लिखित आज्ञा द्वारा उसके रहने के स्थान से हटा देने और किसी विशेष स्थान में रहने के लिए बाध्य करने का अधिकार रहेगा! किसी की ज़मीन, उसके मकान या किसी सड़क को ज़ब्त कर लेने और फ़ौजी उपयोग में लाने का सरकार को अधिकार रहेगा। किसी भी बिल्डिङ्ग, वृक्ष या झाड़ी को गिरा देने और उसके स्थान पर फ़ौजी अड्डों के क़ायम करने का अधिकार रहेगा। किसी की—जिस सम्पत्ति को भी सरकार चाहे, लिखित आज्ञा द्वारा अपने क़ब्ज़े में कर सकती है। अर्ज़ी देने पर मैजिस्ट्रेट जो उचित समझे, उसका हर्जाना दे सकता है। मैजिस्ट्रेट जो हर्जाना निश्चय करेगा उसकी कहीं कोई अपील न हो सकेगी।

तार, डाकख़ाना आदि की कोई भी ख़बर बीच में रोक ली जा सकती है। समाचार-पत्र बिना सरकार को दिखलाए विद्रोह के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी बात न छापेंगे, जिससे सरकार की प्रजा में परस्पर विद्वेष बढ़ने की सम्भावना हो। इसके लिए सरकार पत्रों से २ हज़ार रुपए तक की ज़मानत ले सकती है।

किसी भी सरकारी नौकर को उसके भड़काने वाले व्यक्ति को एक साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसी प्रकार विद्रोहियों को शरण देना या किसी भी प्रकार से ग़लत ख़बरें फैलाना दण्डनीय माना गया है।

सारांश यह कि इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार बर्मा में सरकार जो चाहे वह कर सकती है। अपराधी होने के लिए केवल सन्देह मात्र यथेष्ट है। विद्रोहियों की सहायता की हो या न की हो, केवल सहायता की इच्छा मात्र दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई सैनिक या पुलीस का व्यक्ति हो, विद्रोही क़रार दिया जा सकता है। कोई भी वस्तु ज़मीन, जायदाद एक लिखित आज्ञा मात्र से ज़ब्त की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को कोई स्थान छोड़ देने और किसी स्थान-विशेष में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति के मकान की कोई भी चीज़ ले सकती है। अर्ज़ी देने पर मैजिस्ट्रेट जितना हर्जाना उचित समझेगा, दे देगा। उसकी कोई अपील न हो सकेगी!!

इतने पर भी लॉर्ड विलिङ्गडन साहब ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वैध राजनीतिक कार्यों पर कोई बाधा नहीं डाली जायगी। जहाँ कोई विधि ही नहीं, वहाँ वैध क्या हो सकता है? जहाँ सरकार जो चाहती है वही विधि है, वहाँ इस बात का निश्चय करना ही कठिन है कि कौन सा कार्य वैध राजनीतिक कार्य है। लॉर्ड विलिङ्गडन साहब ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से सहायता देने वाले कार्य जारी रहेंगे।

वास्तव में यह ग़रीबी का उपहास है। एक ओर तो सरकारी आश्वासन के कारण बेचारे विद्रोही आत्म-समर्पण कर रहे हैं दूसरी ओर ऑर्डिनेन्स निकाले जाते हैं। इसका रहस्य नहीं मालूम पड़ता कि क्या है। क्या सरकार बर्मा को फ़ौजी अड्डा बनाना चाहती है?

❀ ❀ ❀

बङ्गाल के पुलीस विभाग की रिपोर्ट

सन् १९३० की बङ्गाल पुलीस शासन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें सन् १९२२ और सन् १९३० के अपराधों की तुलना करके यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद जैसे सन् १९२२ में अपराधों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक हो गई थी, उसी प्रकार सन् १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन में अपराधों की संख्या अधिक हो गई थी!

'पायोनियर' के कथनानुसार रिपोर्ट में कहा गया है, कि सन् १९३० में उपद्रवों की संख्या ७४५ से १,६०८ हो गई, हत्याओं की संख्या ५०० से ६०१, डकैती की संख्या ६६३ से १,१०३ और लूट की ३८६ से ५२३ हो गई थी। गवर्नर-इन-कौन्सिल ने रिपोर्ट में अपनी राय देते हुए कहा है कि इन संख्याओं की अधिकता का मुख्य कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन रहा है! आर्थिक परिस्थिति का भी कुछ प्रभाव पड़ा है; परन्तु सविनय अवज्ञा के सिद्धान्तों का साल भर तक का लगातार प्रचार इसका मुख्य कारण रहा है। आपका कहना है कि बङ्गाल में अशान्त राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही साथ देखा गया है कि हिंसात्मक और डकैतियों के अपराधों की संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाया करती है! अपने इस अनुमान के समर्थन में आपने सन् १९२२ के अपराधों की संख्याओं का ज़िक्र किया है। आपके कथनानुसार उस सन् में डकैती, लूट और उपद्रव की संख्याओं में पहले की अपेक्षा ५५,३४ और ३६ फ़ी सदी के हिसाब से अधिकता हो गई थी।

अपराधों की संख्या में अधिकता का मुख्य कारण सरकार ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन बतलाया है! वास्तव में इन अपराधों की संख्या में अधिकता का मुख्य कारण वर्तमान शासन-प्रणाली ही है। राष्ट्रीय आन्दोलन के अवसरों पर अपराधों की संख्याओं में अधिकता हो जाने का कारण यह मालूम होता है कि पुलीस उस समय जितनी शक्ति शान्त जुलूसों को रोकने, उन्हें एक सड़क से न जाने देकर किसी दूसरी सड़क से जाने देने के लिए बाध्य करने और सभाओं को लाठियों द्वारा भङ्ग करने आदि के छोटे-छोटे कार्यों में व्यय करती है, उतनी उस समय चोरी, डकैती आदि कार्यों के रोकने में नहीं व्यय करती। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय नौकरशाही अपनी झूठी शान की रक्षा में ही व्यस्त रहती है। चोरी और डकैतियों से प्रजा की रक्षा करने की अपेक्षा उस समय दिन-रात लॉरियों में दूर-दूर से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को बन्द करके शहरों में बराबर भेजना अधिक उचित समझा जाता है।

उस समय बड़े-बड़े बदनाम बदमाश उतने ख़तरनाक नहीं समझे जाते, जितने कि शान्ति के साथ कार्य करने वाले समाज के उत्तरदायी नागरिक समझे जाते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के अवसरों पर अपराधों की ओर से ऐसी बेपरवाही होने पर यदि अपराधों की संख्या बढ़ जाय तो आश्चर्य की बात नहीं है। यदि इन अपराधों की अधिकता का सम्बन्ध राष्ट्रीय आन्दोलन से होता तो इतने बड़े देश में उपद्रवों, चोरियों, डकैतियों आदि की संख्याएँ केवल कुछ सैकड़े के हिसाब से न बढ़तीं, बल्कि इतनी अधिक बढ़तीं कि जिनकी संख्या का अनुमान लगाना भी कठिन था। राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव सदैव ही अपराधों के कम करने में ही प्रकट हुआ है।

सार्वजनिक हित-रक्षा के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी न होने के कारण पुलीस आन्दोलन के बाद प्रजा के प्रति प्रतिहिंसा का व्यवहार प्रारम्भ कर देती है। कहीं कोई सार्वजनिक अशान्ति, चोरी, डकैती या लूट

होने पर वह अपने कर्तव्य-पालन में उतना उत्साहित नहीं होती, जितना कि उसे होना चाहिए।

आन्दोलन के बाद सार्वजनिक उपद्रव आदि के अवसरों पर सरकार से सहायता की प्रार्थना करने पर सरकारी कर्मचारियों की ओर से बराबर यही ध्वनि उठती है कि 'कॉङ्ग्रेस' और 'गाँधी' से सहायता माँगो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नौकरशाही की ऐसी मनोवृत्ति के समय यदि चोरी-डकैती सार्वजनिक उपद्रव आदि अपराधों की संख्या अधिक हो जाय, तो कोई आश्चर्य की बात है?

अपराधों की संख्या की अधिकता के विषय में एक बात और भी विचारणीय है। आन्दोलन के समय अनेक स्थानों में शान्तिमय पिकेटिङ्ग करने वालों पर पिकेटिङ्ग का अपराध न लगा कर डकैती आदि के अपराध लगाए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अपराधों की संख्या में अधिकता के लिए उत्तरदायी सरकार ही है, राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं।

❁ ❁ ❁

काश्मीर और मुसलमान

काश्मीर की एक साधारण घटना को बढ़ा कर साम्प्रदायिक मुसलमानों ने उसे एक देश-व्यापी समस्या का स्वरूप प्रदान कर दिया है। ऐसी अनेक सभाएँ हो चुकी हैं, जिनमें काश्मीर की परिस्थिति पर विचार किए बिना ही काश्मीर के शासन के विरुद्ध निराधार दोषारोपण किए गए हैं। काश्मीर के कुछ उच्छृङ्खल मुसलमानों ने किस प्रकार क़ानून को अपने हाथ में लेकर एक साधारण अपराध के मामले में विचाराधीन मुसलमान को जेल से छुड़ाने के लिए हज़ारों की संख्या में जेल पर धावा किया, और जगह-जगह उपद्रव किया, इसका बिल्कुल भी विचार न करके, केवल इस ख़्याल से, कि काश्मीर हिन्दू रियासत है और प्रजा अधिकांश में मुसलमान है, साम्प्रदायिक मुसलमानों ने एक स्वर से उसकी निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया है। इलाहाबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स और जमायतउल-उलेमा के अधिवेशनों में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, वे वास्तव में बड़ी नीच मनोवृत्ति के परिचायक हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा काश्मीर-निवासी मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक अखिल भारतवर्षीय कमिटी स्थापित की है। जमायत-उल-उलेमा के प्रस्ताव में कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट काश्मीर के महाराज से काश्मीर की मुसलमान प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता देने और १३ जून को मुसलमानों की हत्या करने के ज़िम्मेदार समझे जाने वाले अफ़सरों को दण्ड देने और उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए सब मुसलमान अभियुक्तों को छोड़ देने के लिए कहे। इसके साथ ही जमायत-उल-उलेमा ने १४ अगस्त को उपर्युक्त प्रदर्शन करने के लिए "काश्मीर-दिवस" मनाने का भी निश्चय किया है। उपरोक्त प्रस्ताव, वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है।

काश्मीर-नरेश ने मुसलमानों के किन अधिकारों को छीन लिया है या उनके किन अधिकारों पर हस्तक्षेप किया है जिनकी रक्षा के लिए अखिल भारत-वर्षीय काश्मीर कमिटी बनाने की आवश्यकता पड़ी है? काश्मीर राज्य ने मुसलमानों की किस धार्मिक स्वतन्त्रता का अपहरण किया है, जिसके लिए जमायत-उल-उलेमा ने ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों की पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रार्थना की है? उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए मुसलमानों को छोड़ देने के लिए काश्मीर-नरेश से न कह कर ब्रिटिश सरकार से कहना बिल्कुल अविचारपूर्ण है। राज्य के आन्तरिक मामलों में जिनमें विचाराधीन अभियुक्तों पर राज्य की ओर से न्यायालय में विचार हो रहा है ब्रिटिश सरकार सब मुसलमानों को छोड़ देने के लिए काश्मीर राज्य को बाध्य करना उचित नहीं समझ सकती।

काश्मीर शासक के विषय में आवश्यकता से अधिक उत्साह प्रकट किया जाना और एक निराधार और अनुचित पक्ष को लेकर देश-व्यापी आन्दोलन खड़ा कर देना काश्मीर राज्य के विरुद्ध एक रहस्यमय षड्यन्त्र का सन्देह उत्पन्न करता है। इस षड्यन्त्र में उन सभी लोगों का सहयोग हो सकता है जो इस देश को मुस्लिम भारत और हिन्दू भारत में विभाजित कर देना चाहते हैं या जो लोग रियासतों में भी साम्प्रदायिकता फैला देना चाहते हैं, हम देख रहे हैं, दिनोंदिन काश्मीर का प्रश्न भी ठीक अफ़ग़ानिस्तान तथा बर्मा के समान गम्भीर हुआ जा रहा है।

✱ ✱ ✱

फाँसी का दृश्य देखने वाले में किन गुणों की आवश्यकता है ??

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की निन्दनीय मनोवृत्ति

"सहगल जो अवाञ्छनीय व्यक्ति हैं"

जब से भारत में अङ्गरेज़ी राज्य क़ायम हुआ है, तब से आज तक असंख्य व्यक्ति फाँसी पर लटकाए जा चुके हैं; किन्तु बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फाँसी का दृश्य देखा होगा। कहा जाता है कि इस देश में मनुष्य को फाँसी पर लटकाने का तरीक़ा बड़ा कष्टपूर्ण तथा अमानुषिक है। यह भी कहा जाता है कि कभी-कभी २० से ४० मिनिट तक मनुष्य के प्राण नहीं निकलते और भीतर ही भीतर उसका दम घुटा करता है। आज कल फाँसी पर लटकाए जाने की प्रथा यह है कि अभियुक्त के हाथ-पैर बाँध दिए जाते हैं और मुँह पर एक टोप पहना दिया जाता है। गले में छल्लेदार रेशम की डोरी एक ख़ास तरह के फन्दे के साथ डाल दी जाती है और जब जल्लाद तख़्ता खींचता है तो अभियुक्त एक बड़े झटके से नीचे बने हुए एक विशेष प्रकार के कुएँ में झूल जाता है और झटके से उसके रीढ़ की हड्डी (Back-bone) टूट जाती है, जिससे वह तुरन्त बेहोश हो जाता है। बहुतों के प्राण तुरन्त ही निकल जाते हैं; किन्तु प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि २० से ४० मिनिट तक अभागा व्यक्ति जीता पाया गया है और इसी कारण से फाँसी की क्रिया समाप्त हो जाने पर 'लाश' पूरे १ घण्टे तक उस कुएँ में लटकी रहती है तब डॉक्टर उसकी परीक्षा करता है.........। इत्यादि,

इन्हीं सब बातों की वास्तविकता जानने के लिए 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी ने १ली अगस्त को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को एक पत्र लिखा था जिसका आशय यह था, कि "एक तुच्छ पत्रकार होने के कारण मैं फाँसी का दृश्य देखने को उत्सुक हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि मुझे तथा मेरे एक सहयोगी श्री० नन्दकिशोर तिवारी को किसी भी फाँसी के दृश्य को देखने का अवसर प्रदान करें।" पत्र की नक़ल यह है:—

1st August, 1931

Dear Sir,

As an humble journalist I have always been curious to see how a man is hanged. I shall therefore feel extremely obliged to you if you be so good as to allow me and one of my colleagues Mr. N. K. Tewari to see any execution you think convenient and let me know the date and time.

Thanking you very much in advance.

Very truly yours,
(Sd.) R. SAIGAL

No. 2078/VII, Dated 3-8-31.

Sanctioned for next execution on Friday, at 5-30 A.M.

(Sd.) R. CLIFFORD
Lt.-Col. I. M. S.

इसी पत्र के नीचे डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने यह लिख कर कि "आज्ञा दे दी गई। आगामी फाँसी शुक्रवार को ५॥ होगी" पत्र सहगल जी को लौटा दिया। यह घटना ३री अगस्त की है। किन्तु बृहस्पतिवार की सन्ध्या को क़रीब चार बजे शाम को डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट लेफ़्टेनेण्ट-कर्नल आर० क्लिफ़र्ड ने (जिन्होंने 'आज्ञा' दे दी थी) टेलीफ़ोन पर कार्यालय के प्रधान मैनेजर से कहा कि "आप कृपया मि० आर० सहगल से कह दें कि मैंने फाँसी का दृश्य देखने के लिए जो स्वीकृति उन्हें दी थी, वह मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की दृष्टि में वे सर्वथा अवाञ्छनीय (Most Undesirable) व्यक्ति हैं। मुझे इसका खेद है।" यह सन्देशा मुश्किल से सहगल जी के पास पहुँच पाया था कि एक चपरासी रसीद लेकर एक ख़त भी दे गया, पत्र डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट का था और उसका आशय लगभग वही था जो फ़ोन द्वारा कहा गया था, पत्र में इतना और भी जोड़ दिया गया था "कि मैं पुनः आपके आने की स्वीकृति दे सकता हूँ, यदि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का विश्वास दिला सकें कि आप इस प्रकार की स्वीकृति दिए जाने के उपयुक्त पात्र हैं" पत्र का अविकल स्वरूप यह है:—

Civil Surgeon's Office, Allahabad

6th August, 1931

Sir,

I regret that I must withdraw the permission given to you to attend the execution of a condemned prisoner at the District Jail, tomorrow 7th August as I am advised that it is undesirable to permit you to do so.

I am willing to give you this permission if you can satisfy the District Magistrate that you are a suitable person to whom I can be advised to give permission.

I am,
Yours truly,
(Sd.) R. CLIFFORD

(शेष मैटर चौथे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

लाल कुरता

[श्रीमती तेजरानी पाठक, बी० ए०]

“माँ! मुझे भी एक लाल कुरता बनवा दो। अब तो होली आ गई, सब लोग नए-नए कपड़े बनवा रहे हैं।”

“बेटा! यहाँ कपड़ा अच्छा नहीं मिलता, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुरता ज़रूर बनवा देती।”

“वाह! ऐसे अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं, मेरे लिए कहीं कपड़ा ही नहीं मिलता! देखो, श्यामू का कुरता कैसा बढ़िया है।”

“तो जल्दी काहे की है मेरे बेटे! मैं तेरा कुरता सब से अच्छा बनवा दूँगी। कपड़ा तो आवे सब से अच्छा। तब तक धीरज रख।”

“माँ! मैं अब नहीं मानूँगा। तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूँगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुरता बनवा दो।”

कहते-कहते मदन ने हठ पकड़ ली। सुलोचना अब अपने को और न रोक सकी। एक लम्बी साँस उसके मुँह से निकल पड़ी और साथ ही साथ आँखों से दो बूँद आँसू भी निकल कर उसके गालों पर बह आए। उसने जल्दी से अपनी आँखें पोंछीं और फिर बच्चे को बहलाती हुई बोली—बेटा! आज तो अब शाम हो गई। अभी जाकर खेलो। कल ज़रूर तुम्हारे लिए कुरता ला दूँगी।

बालक का मुँह प्रसन्नता से खिल गया और वह ख़ुशी-ख़ुशी उछलता हुआ खेलने के लिए झोंपड़ी से बाहर हो गया। उसकी प्रसन्नता देख कर सुलोचना अपने उमड़ते हुए भावों को न दबा सकी और झोंपड़ी के एक कोने में बैठ कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद, जब जी कुछ शान्त हुआ, तब वह उठी और बाहर से कुछ लकड़ियाँ बीन कर चूल्हा जलाने लगी। फिर उसने अपनी हँड़िया झाड़ी। बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर चावल मिला। सुलोचना ने और कोई उपाय न देख, उतना ही चावल बना लिया। परन्तु ख़ाली चावल, बिना दाल आदि के, मदन कैसे खाएगा, यह सोच कर उसने उनमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया।

चावल बना कर वह मदन की प्रतीक्षा करने लगी। उसके चेहरे पर मनोवेदना के स्पष्ट चिह्न दिखाई दे रहे थे, वह मन ही मन अपने दुर्दिनों के लिए रो रही थी।

इतने में मदन आ गया। आज उसका मन बाहर खेलने में नहीं लगा। माँ ने बड़े प्यार से नमकीन चावल उसे खिलाया और सोने के लिए फूस ठीक करने लगी। मदन ने माँ को सोने की तैयारी करते देख कर कहा—माँ! मैं तुम्हारे पास बैठूँगा। आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम भी खा लो, फिर दोनों एक साथ ही सोएँगे।

माँ ने करुणा-भरी दृष्टि अपने भोले के बच्चे मुँह पर डाली और उसे बहलाने के लिए बोली—बेटा! मैं आज नहीं खाऊँगी। मुझे भूख नहीं है।

माँ का उत्तर सुन कर मदन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला—माँ! तुमने सुबह भी तो कुछ नहीं खाया था। क्या तुमको कभी भूख नहीं लगा करती? मुझे तो ख़ूब लगती है।

माँ की आँखें डबडबा आईं। हृदय ने बच्चे को उत्तर दिया, तुम क्या जानो बेटा! ग़रीबों की भूख ऐसी ही होती है। जिस दिन उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, उस दिन उन्हें भूख नहीं लगती!

अपने हृदय के उत्तर को अन्दर ही दाब कर माँ बोली—“मैं बड़ी हूँ, तू छोटा है, इसीसे मुझे भूख नहीं लगती और तुझे लगा करती है।” बच्चे ने घबड़ा कर माँ से कहा—“तो तुम भी छोटी क्यों नहीं हो जातीं? मैं तो माँ कभी बड़ा नहीं होऊँगा, नहीं तो मुझे भी भूख नहीं लगा करेगी और तुम्हारी तरह बिना खाए रहना पड़ेगा।”

सात साल के इस भोले बच्चे के शब्दों में न मालूम भविष्य की कैसी झङ्कार थी, जिसे सुन कर सुलोचना का मातृ-हृदय अन्दर ही अन्दर काँप गया!

२

प्रातःकाल का समय था। सूर्य भगवान को जल्दी-जल्दी सारे संसार को सुनहले रङ्ग में रँगते देख, सुलोचना भी शीघ्रता से उठी। पास ही मदन सो रहा था। उसने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। अचानक उसे मदन की कल वाली ज़िद याद आ गई। सुलोचना जल्दी से शय्या त्याग कर उठी और नित्य-कर्म से निवृत होकर बच्चे को जगाया। उसका हाथ-मुँह धो दिया और एक लोटा में पानी तथा वही कल वाला बासी भात उसके पास रख दिया। मदन खाने लगा और सुलोचना मज़दूरी करने चली गई। यही उसका नित्य-नियम था।

आज उसे बड़ी प्रसन्नता थी। क्योंकि उसके मालिक इतवार के दिन सबको मज़दूरी दिया करते थे और आज इतवार का दिन था। सुलोचना ने निश्चय कर लिया था कि आज दाम मिलने पर सब से पहले मदन के लिए एक लाल कुरता मोल लेगी। परन्तु साथ ही उसे इस बात की भी चिन्ता हुई कि सप्ताह भर के लिए खाने को कहाँ से आएगा।

कल दिन भर सुलोचना ने कुछ नहीं खाया था, अतएव आज उसे चलने में कमज़ोरी मालूम हो रही थी। परन्तु इस विचार ने कि मदन लाल कुरता पाकर कितना प्रसन्न होगा, उसने सारी कमज़ोरी भुला दी।

किन्तु आज काम करने में सुलोचना का जी बिलकुल नहीं लगा। दिन मानो समाप्त होना ही भूल गया था। सुलोचना बार-बार ऊपर आसमान की तरफ़ देखती, उसकी आँखें जैसे सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थीं कि वे आज अपनी यात्रा जल्दी समाप्त कर दें। मानो व्याकुल दुःखिनी की प्रार्थना सूर्यदेव ने सुन ली और वे शीघ्र ही अस्ताचल की ओर चल दिए। अपने मालिक को हिसाब बाँटने के लिए बैठते देख कर सुलोचना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। किसी प्रकार धीरज रख कर वह अपना हिसाब पाने की प्रतीक्षा करने लगी। हिसाब बाँटते-बाँटते मालिक ने आवाज़ दी—‘सुलोचना!’ अपना नाम सुन कर वह उत्सुकतापूर्वक मालिक की ओर देखने लगी। मालिक ने अपनी बही देखते हुए कहा—तुम साढ़े चार आने रोज़ पर हो। तुम्हारी कुल मज़दूरी हुई, दो पैसे कम दो रुपए। क्यों?

सुलोचना घबड़ा गई। बड़ी दीनता से बीच ही में बोल पड़ी—मालिक! इस बार पूरे दो रुपए दे दीजिए। अगली बार चाहे ये दो पैसे काट लीजिएगा। कल होली है.....!

सुलोचना ने मन ही मन हिसाब लगाया—“दस या बारह आने में एक अच्छा सा कुरता मिल जायगा। बाक़ी में किसी प्रकार सप्ताह भर का काम चला लूँगी।” इतने में मालिक की आवाज़ सुन कर सुलोचना की विचार-धारा टूट गई। मालिक कुछ तेज़ स्वर में कह रहे थे—“बीच में मत बोला करो। हिसाब में गड़बड़ी करना मुझे पसन्द नहीं। हर एक को यदि दो पैसे और चार पैसे दे दिया करूँ, तो मैं कहाँ तक याद रख सकूँगा?”

सुलोचना ने हाथ जोड़ कर कहा—मालिक! यदि आप भूल जाएँगे तो मैं आपको याद दिला दूँगी।

मालिक ने डाँट कर कहा—फिर बीच में बोली? तुम लोगों का ऐसा ही ईमान होता तो क्या बात थी। अब से अगर बीच में बोली, तो फिर जुर्माना कर दूँगा।

सुलोचना चुप रह गई। मालिक फिर बोले—एक दिन तुम घण्टा भर देर करके आई थी और एक दिन आधा घण्टा। ऐसा ही इस हाज़िरी-बही में कई बार लिखा है। कुल मिला कर तुम आधा दिन ग़ैर-हाज़िर रही। तुम्हारी इस ग़ैर-हाज़िरी के नौ पैसे कटेंगे। समझ गई?

सुलोचना पर मानो वज्र गिर पड़ा। वह गिड़-गिड़ाने लगी—मालिक, ऐसा मत करो। मैं बेमौत मर जाऊँगी। इस बार माफ़ कर दो; फिर कभी देर नहीं होगी।

मालिक ने फिर डाँटा। सुलोचना हाथ जोड़ कर बोली—मालिक! हमारे पास घड़ी नहीं है, जो हम बिल्कुल ठीक वक़्त पर आवें। एक ही बच्चा है, उसे बहलाने में कभी थोड़ी-बहुत देर हो गई होगी। अब की आप......!

मालिक ने गरजते हुए कहा—चुप रहो। शोर मत करो। मुझे बहुत परेशान करोगी, तो कुछ नहीं दूँगा। जाओ मेरे ऊपर दावा करो। अगर जीतो तो वे नौ पैसे ले लेना। बस, मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूँगा।

सुलोचना ने एक दीर्घ-निश्वास लेकर बड़ी कातरता से ऊपर आसमान की ओर देखा। मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो—तुम कैसे न्यायी हो, जो इतना अन्याय चुपचाप सह रहे हो। ग़रीब को ही पीसना क्या तुम्हारा भी न्याय है?

कुरता ज़रूर ख़रीदना है—न होगा कुछ दिन भूखों ही काट दूँगी। यह सोच कर सुलोचना ने एक रुपया सवा तेरह आने ही ले लिए और चुपचाप बाज़ार की ओर चल दी। उसके पैर एक मैशीन के समान अपने आप ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। पर हृदय अन्दर ही अन्दर रो रहा था......।

३

अहा! लाल कुरता पाकर मेरा मदन कितना प्रसन्न होगा? सुलोचना एक कपड़े वाले की दूकान के सामने खड़ी होकर मदन के लिए कुरता ढूँढ़ रही थी। एक कुरता उसे पसन्द आया। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि मदन भी इस कुरते को बहुत पसन्द करेगा। भावों में वह इतनी भर गई कि दूकानदार से पूछे बिना ही पास में टँगे हुए एक लाल कुरते को देखने के लिए उसने उतार लिया। कुरता अभी वह उतार ही रही थी कि दूकानदार चिल्ला पड़ा—चोर! चोर!!

सुलोचना घबड़ा गई। उसने दूकानदार को कुरता देते हुए कहा—"मैं चोर नहीं हूँ। इस कुरते को ख़रीदूँगी, इसी से ज़रा देख रही थी!" दूकानदार ने उसकी बात पर बिना कुछ ध्यान दिए ही उसे पकड़ लिया। चारों ओर शोर मच गया। लोग इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। सुलोचना ने अपनी बात फिर दोहराई और कहा—"इस कुरते के दाम बताओ। मैं अगर बिना दाम दिए यह कुरता लूँ तो कहना। मैं.........!"

सुलोचना की बात भी पूरी नहीं हो पाई कि वहाँ एक क़हक़हा मच गया। दूकानदार बोला—सूरत देखने से मालूम होता है, जैसे न मालूम कितने दिनों से खाना तक नहीं मिला और ख़रीदने चली है, यह डेढ़ रुपया वाला रेशमी कुरता! ज़रूर यह पक्की चोर है। मालूम होता है, दूकान में से कुछ दाम भी इसने नज़र बचा कर चुरा लिए हैं। यह फटे-हाल और यह कुरता! इसे ज़रूर पकड़वाना पड़ेगा।

सुलोचना दूकानदार के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने का जितना ही प्रयत्न करती, दूकानदार उसे उतनी ही दृढ़ता से पकड़ता जाता। गड़बड़ी सुन कर एक सिपाही, जो पास ही चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर था, वहाँ आ पहुँचा। लोगों के लिए मनोरञ्जन की सामग्री हो गई।

सुलोचना की तलाशी ली गई। उसके पास निकले वही एक रुपए और सवा तेरह आने। चोरी का माल कह कर सिपाही ने उसे अपने पास रख लिया। अन्त में कोई उपाय न देख कर, सुलोचना ने अपने मालिक का नाम बताया, जहाँ से उसे दाम मिले थे। इस पर सिपाही बोला—बातें फिर बनाना, पहले थाने में तो चल।

सुलोचना की बातों पर कुछ ध्यान न देकर सिपाही उसे घसीटता हुआ थाने की ओर चल दिया। अपने बचाव का कोई उपाय न देख, सुलोचना ने एक आह खींची और चुपचाप थाने की ओर चल दी। वहाँ थानेदार ने उसके वे पैसे रख लिए और उसे पीटपाट कर तथा गालियाँ देकर छोड़ दिया। एक तो थकी हुई, दिन भर की भूखी, हार्दिक वेदना, और ऊपर से थानेदार की मार!... अभागिनी सुलोचना बेहोश होकर गिर पड़ी और कब तक पड़ी रही, उसे कुछ मालूम नहीं।

रात्रि की ठण्ढी हवा पाकर सुलोचना को होश आया। दिन की सारी कथा सिनेमा के सीन के समान उसके मन के आगे नाच गई। मदन मुझे लौटते न देख कर घबड़ा रहा होगा। यह सोचते ही सुलोचना के मन में इच्छा हुई कि शीघ्र ही घर जाए। परन्तु इस इच्छा के उठते ही उसे मदन की लाल कुरते वाली हठ याद आ गई। उसने सोचा, आज के ही दिन उसे कुरता देने को मैंने कहा था। मुझे देर होती देख उसे पूर्ण आशा होगी कि आज कुरता अवश्य मिलेगा। परन्तु आह! कुरता न पाकर वह कैसा निराश होगा? पर अब तो पास के दाम भी छिन गए। कुरता किस प्रकार ख़रीदूँ? बिना कुरता लिए मदन के पास मैं जाऊँ किस प्रकार? आज कुरता न पाकर वह कितना दुखी होगा? मदन का उदास मुँह उसके सामने घूम गया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो, पर वह कुरता लेकर ही मदन के पास जाएगी। यह सोचते-सोचते उसे एक उपाय सूझा। चोरी तो मुझे लग ही गई। चाहे कुछ पाप करो या न करो, इस संसार में ग़रीब होना ही बड़ा भारी पाप है। जब कलङ्क मुझे लग गया है, तब फिर उस बच्चे की इच्छा ही क्यों न पूरी करूँ? दूकानें अभी खुली होंगी। मैं उस कुरते को अवश्य चुराऊँगी।

सुलोचना उठी, परन्तु उसके पैर डगमगाने लगे और उसके सिर में चक्कर आने लगा। वह लाचार होकर फिर वहीं बैठ गई। किन्तु चुपचाप बैठने से उसे शान्ति नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वह फिर उठी। अपने बच्चे को प्रसन्न देखने के लिए माँ की आत्मा अपना कष्ट भूल गई। वह धीरे-धीरे बाज़ार की ओर चली।

दूर से उसने देखा, वह दूकान अब तक खुली हुई थी। कोई अमीर ग्राहक वहाँ बैठा कपड़े देख रहा था। उसके चारों ओर कपड़ों का ढेर लग गया था, परन्तु उसे कोई पसन्द ही नहीं आता था। दूकानदार एक के बाद दूसरा कपड़ा निकाल कर दिखाने में लगा था। कपड़ों के उस ढेर में सुलोचना ने देखा कि वही लाल कुरता भी था। उस कुरते को देखते ही सुलोचना का हृदय धड़कने लगा। अचानक उसने देखा कि वह कुरता ढेर में से खसक कर नीचे सड़क पर गिर गया है। यह देखते ही वह प्रसन्न हो गई और चुपचाप आगे बढ़ी। दूकानदार दूसरा कपड़ा निकालने के लिए दूकान के अन्दर गया। सुलोचना ने अवसर पाकर चुपचाप वह कुरता नीचे से उठा लिया और धोती के नीचे छिपा कर जल्दी-जल्दी चल दी। वह बार-बार पीछे की ओर देखती जाती। उसे भय था कि चोरी करते किसी ने देख न लिया हो। किन्तु ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जब चोरी नहीं की थी, तब सुलोचना पकड़ी गई थी, किन्तु अब जबकि उसने चोरी की, तब किसी का ध्यान भी उसकी ओर नहीं गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि किसी ने उसे नहीं देखा। उसने कुरते को अच्छी तरह छिपा लिया। अपना परिश्रम सफल होते देख, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह जल्दी-जल्दी अपने पुत्र के पास जाने लगी। परन्तु अपना घर पास देख कर भी वह अन्दर नहीं जा पाई। घर के पास पहुँची ही थी कि थकान और प्रसन्नता के कारण उसके सिर में चक्कर आ गया और वह वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी।

४

प्रातःकाल का सुन्दर समय है। सब लोग निद्रा-देवी की सुखमयी गोद त्याग कर सांसारिक झञ्झटों में फिर फँस गए हैं, और सब से अधिक झञ्झट में फँस गए हैं, गाँव के ग़रीब, जो बेगार में पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि डिप्टी साहब आज ही गाँव में आने वाले हैं। कर्मचारी लोग स्वागत की तैयारी करने में लगे हैं। गाँव के मज़दूर अपने कामों पर नहीं जा पाए। सब बेगार में पकड़े गए हैं। फिर भी समय कम है, आदमी भी कम हैं। परन्तु काम बहुत ज़्यादा है। घास छील कर साफ़ करना, ईंटों के ढेर को सामने से हटाना, डेरा लगाना, रसद इकट्ठा करना—न मालूम कितना काम है! गाँव भर में हलचल मची हुई है।

मदन कल रात को बहुत देर तक अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा करता ही करता भूखा सो गया था। सुबह जागने पर भी माँ को अपने पास न देख कर वह उसे ढूँढ़ने के लिए जल्दी घर से बाहर निकला और बाहर आते ही माँ को बेहोश पड़ी देख कर वह 'माँ-माँ' कहता हुआ उसके पास दौड़ कर गया। उसे सोती समझ कर वह बोला—माँ! उठो। तुम यहाँ सो रही हो और मैं मारे भूख के रात भर तड़पता रहा। चलो, खाने को दो।

उसने माँ को हिलाया-डुलाया। पर जब वह इस पर भी न बोली, तब वह घबड़ा गया और अपने पड़ोसी को बुलाने के लिए दौड़ा। इतने में मज़दूरों को बेगार के लिए ढूँढ़ता हुआ तहसील का एक चपरासी उधर आ निकला और मदन को देखते ही बेगार के लिए पकड़ कर ले चला। मदन की अनुनय-विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

मदन ईंटें उठाने में लगाया गया। कल सुबह उसने वही थोड़ा सा बासी भात खाया था। इसके बाद अब तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। कुछ ईंटें उठा कर वह हाँफने लगा और काम करने से इन्कार कर दिया। इस पर कर्मचारियों ने उसे बहुत डराया-धमकाया, परन्तु तब भी जब वह काम करने को राज़ी नहीं हुआ तो एक चपरासी ने उसके दो-तीन बेंत मारे। मार खाकर बेचारा बालक तड़फड़ा गया और फिर रोते-रोते ईंटें उठाने लगा। मदन ने एक ईंट हटाई। ईंटें बहुत दिनों से वहाँ पड़ी थीं, उनके नीचे कितने ही जानवर हो गए थे। एक साँप ने चुपके से मदन के हाथ में काट लिया। उसकी वेदना से मदन तड़फड़ा गया और ईंट वहीं फेंक कर चिल्लाने लगा—"मुझे किसी ने काट लिया। हाय! किसी ने काट लिया!" दो-तीन मज़दूर, जो पास ही काम कर रहे थे, उसका चिल्लाना सुन कर वहाँ आ गए और ईंटें हटा कर ढूँढ़ने लगे कि किस जानवर ने काटा है। परन्तु कर्मचारी काम में नुक़सान होना न सह सके। वे भी वहाँ पर आ गए। मदन का सिर चकराने लगा था। उसे साँप का विष चढ़ रहा था। वह सिर थाम कर एक जगह बैठ गया और बिलख-बिलख कर रोने लगा। परन्तु सारे फ़साद की जड़ मदन को समझ कर एक कर्मचारी बोला—"मैं सब जानता हूँ। यह छोकड़ा है तो ज़रा सा, मगर बड़ा भारी बदमाश है। अभी-अभी यह ईंटें ढोने से इन्कार कर रहा था और अब इसने दूसरा ढोंग रचा है। यहाँ ईंटों में बैठा ही कौन है, जो इसे काटे। देखो, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूँ।" यह कह कर कर्मचारी ने अपना चाबुक सीधा किया। इतने में सुलोचना दौड़ी।

सुलोचना को जब होश हुआ, तब वह सीधी घर के अन्दर गई, पर वहाँ मदन को न पाकर घबड़ा गई। पास के लोगों से जब उसने बेगार का हाल सुना और यह भी सुना कि मदन भी वहीं गया है, तो वह जल्दी-जल्दी वहाँ गई। मदन को दूर से देखते ही वह प्रसन्न हो गई। इतने में उसने देखा कि कर्मचारी ने उसके प्यारे मदन को एक कोड़ा मारा, जिसकी चोट खाते ही मदन ज़मीन पर गिर पड़ा। सुलोचना मदन को बचाने के लिए दौड़ी। कर्मचारी ने दूसरी बार चाबुक चलाया,

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

रूस की अस्थायी सरकार

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

ट ड्यूमा के डिप्टियों ने अपनी बैठक १२ मार्च से आरम्भ की। एडज़िआङ्को से उन्हें पता मिला कि स्टेट ड्यूमा और स्टेट कौन्सिल की बैठकें रोक दी गई थीं। उन लोगों ने एक पास के मकान में जाकर अपनी एक कॉन्फ़्रेन्स की। इस कॉन्फ़्रेन्स का उद्घाटन किया था, स्वयं एडज़िआङ्को ने। उसने लोगों से कुछ न कुछ तय कर डालने को कहा। एडज़िआङ्को के पश्चात् नेक्रासाव ने बोलना आरम्भ किया। उसने कहा—"इस समय रूस में कोई भी सरकार नहीं है। अतएव एक सरकार का निर्माण करना अत्यावश्यक है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे आदमी को यह काम सौंप देना चाहिए जिस पर सब का विश्वास हो।" इसके लिए उसने जनरल मनिकोवस्की का नाम पेश किया। शेवस्की नाम के वक्ता ने कहा—"हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं है। जनता आसरा देख रही है। ज़िले के न्यायालय पर जनता का अधिकार है। फ़ौरन काम करना चाहिए।" एक कमिटी बनाई जाने का उसने प्रस्ताव किया। इस कमिटी का काम होगा, जनता तथा सेना में निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखना। एक महाशय ने प्रस्ताव किया कि ड्यूमा की कौन्सिल ऑफ़ दि एल्डर्स (Council of the Elders) को सारे अधिकार सौंप दिए जावें। केरेन्स्की ने यह अधिकार चाहा कि वह जाकर जनता से कह दे कि ड्यूमा जनता के साथ है और सब तरह से उनकी सहायता करेगी। कुछ लोगों ने चाहा कि ड्यूमा ही विधान-विधायक सभा घोषित कर दी जावे। प्रतिक्रियावादियों ने इसका घोर विरोध किया। अन्त में कॉन्फ़्रेन्स ने निश्चय किया कि (१) स्टेट ड्यूमा के मेम्बर पेट्रोग्राड से बाहर न जावें, (२) कौन्सिल ऑफ़ एल्डर्स एक अस्थायी कमिटी का निर्माण करे और स्टेट ड्यूमा का भविष्य निश्चित करे। कौन्सिल ऑफ़ एल्डर्स ने एक अस्थायी कमिटी का निर्माण किया, जिसमें निम्न-लिखित मेम्बर थे—एडज़िआङ्को, शलगिन, लोव, शिदलोव्स्की, काएलोव, कोनोवालोव, केरेन्स्की, शेवस्की, मिलिकोव, नेक्रासाव तथा चीट्ज़े।

इधर यह सब हो रहा था और उधर क्रान्तिकारियों को सफलता पर सफलता मिल रही थी। विद्रोही सिपाहियों तथा मज़दूरों ने जेल पर धावा बोल कर तमाम साम्यवादी क़ैदियों को जेल से बाहर कर दिया। जो क़ैदी छुड़ा दिए गए थे, उनमें केन्द्रीय युद्ध सहायक कमिटी का मज़दूर-दल भी था। इन लोगों ने मज़दूरों के सोवियट की अस्थायी कार्यकारिणी कमिटी का निर्माण किया। इस कमिटी का मुख्य कार्य था, पेट्रोग्राड सोवियट को बुलाना। कमिटी ने एक अपील निकाल कर पेट्रोग्राड के मज़दूरों से उसी दिन शाम के सात बजे टारिड-भवन में इकट्ठा होने को कहा। कमिटी ने विद्रोहियों को भोजन पहुँचाने का कार्य भी अपने हाथ में लिया। इसी कार्य के लिए एक अस्थायी भोजन-कमीशन नियुक्त किया गया। यही नहीं, विद्रोहियों की रक्षा के लिए उसी टारिड-भवन में मिलिटरी हेड-क्वार्टर्स स्थापित किए गए, ताकि ज़ार के सैनिकों से विद्रोहियों की रक्षा की जा सके।

टारिड-भवन में ठीक नौ बजे मज़दूरों के सोवियट की बैठक आरम्भ हुई। विद्रोही सेना तथा विद्रोही मज़दूरों का एक में सङ्गठन करने को सब ने निश्चय किया। इस सङ्गठन का नाम रक्खा गया, सोवियट ऑफ़ वरकर्स एण्ड सोलजर्स डिपुटीज़ (Soviet of workers and soldiers deputies) उसी बैठक में यह भी घोषणा की गई कि क्रान्स्टट (Kranstadt) भी विद्रोह में शामिल हो गया है। एक भोजन कमीशन का चुनाव किया गया। उसे उचित अधिकार दिए गए। और उसने फ़ौरन अपना कार्य आरम्भ कर दिया। इस कमीशन का चेयरमैन ग्रोमन था।

अब नगर की रक्षा का प्रश्न उठा। किसी ने प्रस्ताव किया कि प्रत्येक फ़ैक्टरी में एक-एक सेना (Militia) का सङ्गठन किया जावे। नगर की रक्षा के लिए जनता के नाम सोवियट की तरफ़ से एक अपील की गई।

अर्थ-कमीशन (Finance Commission) की सिफ़ारिश पर सोवियट ने निम्न-लिखित बातें तय कीं :—

(१) रूस के तमाम आर्थिक साधन पुरानी सरकार से छीन लिए जावें। स्टेट बैङ्क, आर्थिक भवन, टकसाल तथा बैङ्क नोटों के छापेख़ानों पर विद्रोही सिपाहियों का अधिकार हो।

(२) उपरोक्त निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए ड्यूमा की अस्थायी कमिटी को आदेश दिया जावे।

(३) जब तक अस्थायी सरकार के नवीन अर्थ-सचिव का चुनाव न हो जावे तब तक ज़ब्तशुदा धन तत्कालीन अफ़सरों के हाथों में रहे। पर उनकी निगरानी विद्रोही सिपाही करते रहें।

(४) मज़दूरों तथा सैनिकों की सोवियट तथा स्टेट ड्यूमा की अस्थायी कमिटी मिल कर अर्थ-कमिटी का चुनाव करें।

(५) सोवियट का तमाम रेवेन्यू अर्थ-कमीशन को दे दिया जाया करे।

१२वीं मार्च की शाम को ड्यूमा की कार्यकारिणी कमिटी ने पेट्रोग्राड की सेना के नाम दो अपीलें तथा एक आज्ञा-पत्र जारी किया। उसी दिन ज़ार का एक मन्त्री गिरफ़्तार कर लिया गया। शाम के ६ बजे मन्त्रियों की कौन्सिल ने एक तार भेज कर ज़ार से कैबिनट को भङ्ग करने की आज्ञा माँगी और कैबिनट को निर्माण करने के लिए एक ऐसे आदमी को चुनने की प्रार्थना की, जिस पर सबका विश्वास हो। ज़ार ने उत्तर दिया—"वर्तमान हालत में कैबिनट के निर्माण में मैं कोई भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हूँ।"

१२वीं मार्च को मास्को के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। उसी दिन रात को अस्थायी क्रान्तिकारी कमिटी का चुनाव किया गया। पेट्रोग्राड में ज़ार के तमाम मन्त्री एक-एक करके गिरफ़्तार कर लिए गए।

१४वीं मार्च को ड्यूमा की अस्थायी कमिटी नवीन सरकार के निर्माण पर विचार कर रही थी। कमिटी ने तय किया कि ज़ार निकोलस अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दे। ज़ार का भाई माइकेल रिजेण्ट (Regent) का काम करे। ज़ार को अपनी बात पर राज़ी करने के लिए कमिटी ने उसके पास एक डेपूटेशन भेजा। उसी दिन शाम को ज़ार ने तार भेज कर यह सूचना दी कि एडज़िआङ्को के प्रधान मन्त्रित्व में वह नवीन कैबिनट बनाने देने को तैयार है।

१५वीं मार्च रूस के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। यह वही तारीख़ है, जिस दिन ज़ार ने ज़ार निकोलाई रोमनोव ने अपना सिंहासन छोड़ा था। पर उसने अपना सिंहासन पुत्र के लिए न छोड़ कर भाई के लिए छोड़ा था। ज़ार ने सिंहासन छोड़ते हुए लिखा था :—

"बाहरी शत्रु से युद्ध करने के दिनों में—वह बाहिरी शत्रु जो पिछले तीन वर्षों से हमारे प्यारे देश को कुचलने में लगा है—ईश्वर ने रूस को अग्नि-परीक्षा पर चढ़ा दिया है। भीतरी अशान्ति ने युद्ध का जारी रखना मुहाल कर दिया है। रूस की क़िस्मत, हमारी बहादुर सेना की इज़्ज़त, राष्ट्र की सलामती तथा अपने प्यारे देश के भविष्य का यह तक़ाज़ा है कि युद्ध जारी रक्खा जावे, जब तक कि विजय न मिल जावे।

"हमारा निर्दयी शत्रु अपनी आख़िरी शक्ति इकट्ठा कर रहा है और वह घड़ी दूर नहीं है, जब हमारी बहादुर सेना शत्रु की शक्ति को दबाने में कामयाब होगी। रूस के जीवन से इस कठिन समय में हम इसे अपना महान कर्तव्य समझते हैं कि युद्ध में उद्योग करने के लिए जनता का कार्य सरल कर दिया जाए। स्टेट ड्यूमा की सम्मति से रूस का सिंहासन छोड़ देना हम उचित समझते हैं।

"चूँकि हम अपने प्यारे पुत्र से अलग नहीं होना चाहते, अतएव हम अपना सिंहासन अपने प्यारे भाई ग्रैण्ड ड्यूक माइकेल एलेक्ज़ण्ड्रोविच को देते हैं और उसे सिंहासन पाने पर आशीर्वाद देते हैं।

"हम अपने भाई से सिफ़ारिश करते हैं कि वह देश का शासन देश के लेजिस्लेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधियों की पूरी रज़ामन्दी से करे और प्यारे देश के नाम पर इस बात की प्रतिज्ञा करे।

"देश के सपूतों से हमारा यह अनुरोध है कि देश की इस सङ्कट की घड़ी में वे ज़ार के आगे सर झुका कर अपने कर्तव्य का पालन करें और जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से रूस को विजय तथा उन्नति के मार्ग में ले जाने में उसकी सहायता करें। ईश्वर रूस की सहायता करे।

—निकोलाई"

उसी दिन अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। केरेन्स्की (Kerensky) भी इसमें शरीक था। १६वीं मार्च को अस्थायी सरकार ने एक घोषणा निकाल कर अपनी नीति की व्याख्या की। उस घोषणा के अनुसार अस्थायी सरकार की कैबिनेट ने निम्न-लिखित सिद्धान्त अपने सामने रक्खे थे :—

(१) जिन लोगों को राजनीतिक तथा धार्मिक जुर्मों में सज़ाएँ दी गई हैं वे सब छोड़ दिए जावेंगे।

(२) जनता को बोलने, प्रेस को सङ्घ बनाने तथा सभा और हड़ताल करने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी।

(३) जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता की सब अयोग्यताएँ मिटा दी जावेंगी।

(४) विधान-विधायिनी सभा बुलाने की फ़ौरन तैयारी की जावेगी। इस सभा के सदस्य-निर्वाचन में प्रजा को सार्वजनिक मताधिकार होगा तथा इसके वोट गुप्त तौर से पड़ेंगे यही सभा शासन-विधान तैयार करेगी।

(५) पुलीस के स्थान पर मिलिशिया (Militia) रहेगी। इसके तमाम अफ़सर निर्वाचित होंगे। यह मिलिशिया स्वाधीन म्युनिसिपैलिटियों के अधीन रहेगी।

(६) म्यूनिसिपैलिटियों के चुनावों में सभी वोट दे सकेंगे तथा वोट गुप्त होंगे।

(७) जिन सेनाओं ने क्रान्ति में भाग लिया था वे पेट्रोग्राड में रक्खी जावेंगी। और उनके हथियार नहीं छीने जावेगें।

(८) सिपाहियों को एक नागरिक के सारे अधिकार दिए जावेंगे। पर जब वे काम पर होंगे, उन्हें सारे सैनिक नियम मानने होंगे।

उपर्युक्त घोषणा द्वारा अस्थायी सरकार ने यह भी वादा किया कि सुधारों को जारी करने में युद्ध के कारण कुछ भी देरी न होगी।

मज़दूरों तथा सिपाहियों के सोवियट की कार्यकारिणी कमिटी ने भी एक घोषणा निकाली जो इस प्रकार था :—

"कॉमरेडो और नागरिको,

नवीन सरकार की तरफ़ से, जिसमें देश के मॉडरेट शामिल हैं, आज एक घोषणा निकली है, जिसमें उन तमाम सुधारों का हवाला दिया गया है, जो नवीन सरकार पुरानी सरकार से युद्ध करते समय या युद्ध के पश्चात् करना चाहती है। राजनीतिक क़ैदियों का छोड़ा जाना, विधान-विधायिका सभा की तैयारी करना, नागरिक स्वतन्त्रताएँ देना तथा जातीय क़ानूनी अयोग्यताओं को मिटाना आदि सुधारों का तमाम लोकतन्त्रीय जनता स्वागत करेगी। जब तक नवीन सरकार उन सुधारों को कार्यान्वित करने का यत्न करती रहेगी तथा जब तक पुरानी सरकार से घोर युद्ध करती रहेगी तब तक जनता को इसका समर्थन करना चाहिए।"

उसी दिन रूस की सोशल डिमोक्रैटिक लेबर पार्टी (बोलशेविक) की केन्द्रीय कमिटी ने भी एक घोषणा निकाली। इस घोषणा द्वारा बोलशेविकों ने जनता से अपील की कि यदि किसी भी रूप में ज़ारशाही ढङ्ग की सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया जावे तो वे उसका घोर विरोध करें।

एक स्थान पर रेलवे के मज़दूरों की एक सभा हो रही थी। उस सभा में गुट्शकोव (Gutshkov) नाम के एक व्यक्ति ने नवीन ज़ार माइकेल के पक्ष में व्याख्यान देना चाहा। अभी वह ज़ार के पक्ष में दो-चार शब्द भी न कहने पाया था कि जनता क्रुद्ध हो उठी और वह बलपूर्वक सभा से निकाल दिया गया, कुछ लोग उसे गिरफ़्तार करने तथा मारने पर तुल गए। बड़ी मुश्किल से वह अपने को बचा सका।

उसी दिन ज़ार के महल में एक सभा हुई। उस सभा में नवीन अस्थायी सरकार के सभी मेम्बर शामिल थे और शामिल थे ड्यूमा के मुख्य-मुख्य सदस्य। नवीन ज़ार के भविष्य के प्रश्न पर विचार हो रहा था। प्रश्न यह था कि नवीन ज़ार माइकेल सिंहासन पर बैठा रहे या सिंहासन छोड़ दे? दो मेम्बरों को छोड़ कर बाक़ी सब सदस्य चाहते थे कि ज़ार सिंहासन छोड़ दे। स्वयं माइकेल भी सिंहासन छोड़ने के पक्ष में था, क्योंकि वह समझता था कि राजतन्त्र के दिन बीत चुके हैं। अन्त में माइकेल ने सिंहासन छोड़ दिया। उस समय जनता के नाम जो घोषणा-पत्र उसने निकाला था, उसमें लिखा था :—

"अपने भाई की इच्छा से, जिसने अद्वितीय युद्ध तथा जनता में घोर असन्तोष के समय मुझे ज़ार का

ख़ुद बख़ुद समझेंगे जब उनको समझ आ जायगी !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

यह वह डायन है, न छोड़ेगी हमें खा जायगी,
आने वाले, मौत अपने वक़्त पर आ जायगी !
लीडरों ने मल के पौडर, रङ्ग पैदा कर दिया,
हम समझते थे उदासी क़ौम पर छा जायगी !
कौड़ी-कौड़ी के लिए मुहताज हो जाएँगे सब,
घर की दौलत, रोज़ की 'टी-पारटी' खा जायगी !
हम उन्हें समझाएँ क्यों समझाने की हाजत[1] नहीं,
ख़ुद बख़ुद समझेंगे जब उनको समझ आ जायगी !
बेख़बर साहब थे, कब यह राज़[2] उन्हें मालूम था,
मेम साहब की अदा 'बिस्मिल' को भी तड़पाएगी !

१—आवश्यकता, २—भेद।

❀ ❀ ❀

सिंहासन दिया था, मेरे कन्धों पर एक भारी बोझ आ पड़ा है। मैं जनता के इस विचार से सहमत हूँ कि देश की भलाई का प्रश्न सब से पहले आना चाहिए और मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक समस्त देश की इच्छा न होगी, मैं शासन की बागडोर अपने हाथ में न लूँगा। रूसी साम्राज्य के विधान पर तथा देश की भावी सरकार के प्रश्न पर विचार करना जनता का ही काम है। जनता इस प्रश्न पर सार्वजनिक मताधिकार (Universal Suffrage) द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की विधान-विधायिनी सभा (Constituent Assembly) में विचार करे।"

अपने उपरोक्त पत्र के अन्त में ज़ार माइकेल ने जनता से प्रार्थना की थी कि जब तक विधान-विधायिनी सभा की बैठक न हो जाय, तब तक जनता ड्यूमा द्वारा स्थापित नवीन अस्थायी सरकार को ही अपनी सरकार माने।

मज़दूरों की अनेक सभाओं में अस्थायी सरकार पर कड़ी निगरानी रखने के प्रस्ताव पास हुए।

अस्थायी सरकार की नींव अभी दृढ़ भी न होने पाई थी कि तीसरी अप्रैल आ पहुँची। उस दिन पेट्रोग्राड स्टेशन में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। मज़दूरों का एक बहुत बड़ा जमघट गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। कई वर्ष पहिले रूस के एक 'लाल' को रूस छोड़ना पड़ा था और वह स्वीटज़रलैण्ड में रहता था। आज वह कई वर्षों बाद, अपनी जन्मभूमि को लौट रहा था। उसके आने की ख़बर लोगों को मिल गई थी। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वह सकुशल पहुँच जावे। वह महापुरुष था—रूस का भाग्य-विधाता लेनिन। यथा-समय ट्रेन आई। लेनिन ट्रेन से उतरा। जन-समूह द्वारा उसका ज़ोरों से स्वागत किया गया। सभी पुराने साथी उससे मिले। जब लेनिन सब से मिल चुका तो उसने एक व्याख्यान दिया। पाठकों को स्मरण होगा मज़दूरों तथा सिपाहियों की सोवियट की कार्यकारिणी ने एक घोषणा निकाल कर अस्थायी सरकार का समर्थन किया था, लेनिन ने उन लोगों को इस कार्य के लिए बड़ी फटकार बताई और अस्थायी सरकार का खुल्लमखुल्ला विरोध करने को कहा।

युद्ध के प्रश्न पर अस्थायी सरकार तथा बोलशेविकों में मतभेद पैदा हो गया, सरकार युद्ध को जारी रखना चाहती थी, पर बोलशेविक युद्ध का अन्त करना चाहते थे। बोलशेविक दल सरकार की नीति से इतना असन्तुष्ट था कि उस दल की केन्द्रीय कमिटी ने निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया :—

"अस्थायी सरकार के नोट ने पेट्रोग्राड टाउन कॉन्फ़्रेन्स की निम्न-लिखित राय को सही साबित कर दिया है :—

(१) अस्थायी सरकार पूर्णतया एक साम्राज्यवादी सरकार है। फ़्रान्स, इङ्गलैण्ड तथा रूस के पूँजीवाद से इसके हाथ-पाँव एकदम बँधे हैं।

(२) इस सरकार द्वारा दिए गए तथा दिए जाने वाले कोई भी वादे सच नहीं हो सकते !

(३) अस्थायी सरकार के मेम्बरों के व्यक्तिगत विचार चाहे जो हों, यह सरकार जीती हुई भूमि कभी भी नहीं लौटाएगी। इत्यादि।

इसलिए इन बातों से बचने का केवल एक ही उपाय है कि देश का तमाम शासनाधिकार सोवियट के हाथों में आ जावे और वही देश पर शासन करे।

११वीं अप्रैल को मेरिना नामक भवन के सामने सैनिकों का एक झुण्ड खड़ा था। "मिलिअक्षोव को दूर करो", "मिलिअक्षोव का अन्त हो", "अस्थायी सरकार का अन्त हो" आदि उनकी माँगें थीं। सैनिक लोग वहाँ से हटने को तैयार न थे। उन्होंने अपनी एक सभा की, जिसमें अपनी माँगें पेश कीं। उस दिन जनता ने भी अनेक प्रदर्शन किए। दूसरी तरफ़ दूसरे ढङ्ग के प्रदर्शन हो रहे थे। जिसमें "अस्थायी सरकार में विश्वास", "लेनिन का अन्त हो" आदि नारे लगाए जा रहे थे। एक स्थान पर दोनों प्रदर्शनों में मुठभेड़ हो गई। दोनों दलों में ख़ूब मार-पीट हो गई। सरकारी पक्ष का दल कमज़ोर साबित हुआ और उनका जुलूस तितर-बितर हो गया। दूसरे दिन भी पेट्रोग्राड में दिन भर सभा-जुलूस आदि की धूम मची रही।

अस्थायी सरकार के विरोधी दल ने अपना प्रदर्शन दोपहर से आरम्भ किया। अनेक स्थानों पर दोनों दलों में सङ्घर्ष हुए। गोलियाँ चलीं, लोग घायल हुए तथा मारे गए। रात के आठ बजे १५,००० मज़दूरों का एक जुलूस निकला। पर वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक मकान से उन पर गोलियाँ चलाई गईं। जनता ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। बहुत से मनुष्य मरे तथा घायल हुए। पेट्रोग्राड डिफ़ेन्स एरिया (Patrograd Defence Area) के कमा-

मण्डर-इन-चीफ़ ने सड़क पर दो मैशीनगनें घुमाने का हुक्म दिया। परन्तु उसके अधीनस्थ अफ़सरों तथा सिपाहियों ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया।

मास्को में भी अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे। क्रान्तिकारी गाने गाते हुए मज़दूरों के झुण्ड के झुण्ड फ़ैक्टरियों से चल पड़े। नगर के मध्य में आकर उन्होंने अपनी सभाएँ कीं जिसमें उन्होंने अस्थायी सरकार से लोहा लेने का निश्चय किया।

इस बढ़ते हुए विरोध को देख कर अस्थायी सरकार सहम गई। उसने साम्यवादियों से मिल कर शासन करना चाहा। १२वीं मई को गुट्शकोव (Gutshkov) ने युद्ध-मन्त्री ने पद से स्तीफ़ा दे दिया। मिलिअकोव भी अपने पद से अलग हो गया। केरेन्स्की युद्ध मन्त्री बनाया गया। पाँच स्थानों पर साम्यवादी मन्त्री रक्खे गए। इस सरकार की कैबिनट में साम्यवादियों का अल्प मत था।

अप्रैल के महीने में अखिल रूसी बोलशेविक कॉन्फ़्रेन्स हुई। इस कॉन्फ़्रेन्स ने बोलशेविक पार्टी को सुसङ्गठित कर दिया। कॉन्फ़्रेन्स में लेनिन की तूती बोलती थी यद्यपि कमनेव (Kamnev) आदि दो-एक ऐसे भी मनुष्य थे, जो लेनिन का विरोध कर रहे थे। परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ। इस कॉन्फ़्रेन्स ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। पहिले प्रस्ताव द्वारा युद्ध की निन्दा की गई तथा उसे पूँजीपतियों का युद्ध क़रार दिया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा अस्थायी सरकार की निन्दा की गई तथा उसकी नीयत पर हमला किया गया। किसान तथा भूमि के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। लेनिन के चौथी अप्रैल वाले प्रसिद्ध सिद्धान्त पूरी तरह मान लिए गए और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस की स्थापना की तैयारी की गई। इस कॉन्फ़्रेन्स द्वारा लेनिन के सिद्धान्तों पर बोलशेविक पार्टी में एका हो गया।

१६वीं जून को मज़दूरों तथा सैनिकों के सोवियट की पहली कॉङ्ग्रेस की बैठक हुई। इस कॉङ्ग्रेस में १०६० डेलीगेट शामिल हुए थे। इनमें से ८२२ डेलीगेटों को वोट देने का अधिकार था। सामाजिक क्रान्तिवादी (Social Revolutionaries), मेनशेविक (Menshevik), बोलशेविक (Bolshevik), अन्तर्राष्ट्रीय (Internationalists) तथा स्वतन्त्र साम्यवादी (Independent Socialists) पार्टियों के मेम्बर इस कॉङ्ग्रेस में शामिल थे। मज़दूरों तथा सैनिकों ने रविवार का दिन प्रदर्शन के लिए निश्चित किया। इस प्रदर्शन के लिए बोलशेविकों ने जो नारे निश्चित किए थे, उनमें से कुछ ये हैं—"चौथी स्टेट ड्यूमा तथा स्टेट कौन्सिल का अन्त हो!" "दस पूँजीपति मन्त्रियों का नाश हो!" "जनता की सेना तथा मज़दूर चिरञ्जीवी हों।"

इस भावी प्रदर्शन से कॉङ्ग्रेस इतनी भयभीत हो उठी कि उसने प्रदर्शन को रोकने का निश्चय किया। बोलशेविकों की केन्द्रीय कमिटी ने कॉङ्ग्रेस के निश्चय को मान लिया और प्रदर्शन बन्द कर दिया। पर मज़दूरों और सैनिकों को रोक रखना कठिन था। तमाम फ़ैक्टरियों में सभाएँ की गईं। इन सभाओं में जो कॉङ्ग्रेस के लोग बोले थे, वे 'विश्वासघाती' आदि नाम से सम्बोधित किए गए थे।

अब कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से पेट्रोग्राड में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में ५ लाख जनता शामिल थी। कॉङ्ग्रेस की बैठक ७ जुलाई तक होती रही। लेनिन ने इस कॉङ्ग्रेस के सामने एक कठिन प्रश्न उपस्थित कर दिया था। वह यह था कि या तो सोवियट तोड़ दी जावे या देश का सम्पूर्ण शासन-भार सोवियट के अधिकार में लाया जावे। कॉङ्ग्रेस में मेनशेविक तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों का बहुमत था। ये पार्टियाँ नरम विचार की थीं। अतएव कॉङ्ग्रेस की नीति भी नरम थी। कॉङ्ग्रेस धनिकों से समझौता करना चाहती थी और चाहती थी युद्ध का जारी रखना, बोलशेविकों तथा मज़दूरों की बातों से कॉङ्ग्रेस दूर रहना चाहती थी। इस कॉङ्ग्रेस की सब से महत्वपूर्ण बात लेनिन का भाषण था। लेनिन ने अपने भाषण में देश का शासनाधिकार अपने हाथ में लेने को सोवियट को आह्वान किया।

पैट्रोग्राड फ़ैक्टरी कमिटी की पहिली कॉन्फ़्रेन्स १२ जून को प्रसिद्ध टारिड-भवन में हुई। पैट्रोग्राड के मज़दूरों के स्वातन्त्र्य-संग्राम के इतिहास में इस कॉन्फ़्रेन्स का विशेष स्थान है। इस कॉन्फ़्रेन्स में ५६८ डेलीगेट शामिल थे, जिनमें से तीन चौथाई बोलशेविक थे और यही कॉन्फ़्रेन्स की विशेषता थी। नाविक, फ़ैक्टरियों तथा उनके सङ्घों में मेनशेविकों तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों का बहुमत था। हाँ, आर्टलरी फ़ैक्टरी कमिटियों तथा उनके सङ्घों में बोलशेविकों का बहुमत था।

मैं यह समझ रहा हूँ कि लीडर ज़रूर हूँ

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

उनकी नज़र में, ख़ुश तरो[1] बेहतर ज़रूर हूँ,
सरकार चाहते हैं, कि मैं 'सर' ज़रूर हूँ!
"पब्लिक" न माने मुझको तो मेरा क़ुसूर क्या,
मैं यह समझ रहा हूँ कि "लीडर" ज़रूर हूँ!
उनकी निगाह में मेरी तौक़ीर[2] कुछ नहीं,
मैं ख़ल्क़[3] की निगाह में बेहतर ज़रूर हूँ!
एक-एक को इस ख़्याल ने अहमक़ बना दिया,
बढ़ कर नहीं, तो उनके बराबर ज़रूर हूँ!
अहले[4] चमन निगाह करें इनक़ेलाब[5] पर,
जिस रङ्ग में भी मैं हूँ गुले[6] तर ज़रूर हूँ!
"बिस्मिल" यह कह रहा है मेरी शायरी का रङ्ग,
"अकबर" नहीं, तो पैरवे[7] "अकबर[8]" ज़रूर हूँ!

१—अच्छा, २—आदर, ३—संसार, ४—बाग़वाले ५—क्रान्ति, ६—फूल, ७—पथ पर चलने वाला, ८—"अकबर" साहब इलाहाबादी से मतलब है।

जुलाई के महीने में जनता शासन अपने हाथ में लेने को पागल हो उठी। वह किसी की भी बात सुनने को तैयार न थी।

तीसरी जुलाई को एक कॉन्फ़्रेन्स हो रही थी। एकाएक मैशीनगन-रेजीमेण्ट के दो डेलीगेट वहाँ आ पहुँचे। वे बहुत उत्तेजित थे तथा लोहा लेने को तैयार बैठे थे। कॉन्फ़्रेन्स के प्रेज़िडेण्ट ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शान्त किया। पर जनता को अब शान्त रखना नेताओं के क़ाबू के बाहर की बात थी। शाम को सैनिकों तथा मज़दूरों ने अपना जुलूस निकाला। जुलूस के आगे बड़े-बड़े झण्डे थे, जिनमें लिखा था—"तमाम अधिकार सोवियट को।"

टारिड-भवन में मज़दूरों ने एक सभा की। आन्दोलन का सञ्चालन करने के लिए १५ मेम्बरों की एक अस्थायी कमिटी का चुनाव किया गया। पैट्रोग्राड कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी ने चौथी जुलाई को प्रदर्शन करना निश्चित किया। इस प्रदर्शन में ५,००,००० मनुष्य शामिल थे। शहर में तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ रही थीं। कोई कहता था कि मन्त्री गिरफ़्तार कर लिए जावेंगे, कोई कहता था कि सरकारी भवन लूट लिया जाएगा। जब जुलूस जा रहा था, उस पर एक स्थान पर गोली चलाई गई। जनता में यह भी ज़ोरों से ख़बर उड़ाई गई कि लेनिन जर्मनी का जासूस है। पाँचवीं जुलाई की रात को मेनशेविकों तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों ने डिक्टेटरशिप की घोषणा करने का निश्चय किया, और निश्चय किया सैनिकों तथा मज़दूरों से हथियार छीनने का। अनेक स्थानों पर ख़ून-ख़राबियाँ हुईं। बोलशेविक नेता गिरफ़्तार कर लिए गए। 'प्रवदा' (Pravda) पत्र बन्द कर दिया गया तथा उसका सम्पादकीय विभाग नष्ट कर दिया गया। सरकार बोलशेविक पार्टी पर, जर्मनी से मिल कर रूस के साथ विश्वासघात करने का दोष लगा रही थी। युद्ध को जारी रखने के लिए सरकार ने क़र्ज़ लेना चाहा। बोलशेविकों ने जनता से सरकार को क़र्ज़ न देने की अपील की। इस समय रूस में दो दल हो गए। एक दल वह था, जो तत्कालीन सरकार का समर्थन कर रहा था और सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ करता था। इस दल में मेनशेविक तथा सामाजिक क्रान्तिवादी भी शामिल थे। दूसरा दल वह था, जो सरकार का घोर विरोधी था तथा उस सरकार को नष्ट कर सोवियट-सरकार की स्थापना करना चाहता था। इस दल में बोलशेविकों का विशेष हाथ था।

इसके बाद रूस की विख्यात तीसरी क्रान्ति हुई, जिसका उल्लेख हम इसके पहले वाले लेख में कर चुके हैं।

❀ ❀ ❀

लाल कुरता

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

परन्तु इस बार चाबुक मदन के ऊपर न पड़ कर सुलोचना की पीठ पर पड़ा। क्योंकि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपने शरीर से उसे ढक लिया था। कर्मचारी ने अब तीसरी बार चाबुक उठाया, मदन और उसकी माँ दोनों के लिए। गाँव वाले इतना अत्याचार न सह सके। उन्होंने कर्मचारी को धक्का देकर अलग कर दिया और उससे चाबुक छीन लिया। इतने में जो लोग ईंटें हटा कर ढूँढ़ रहे थे कि मदन को किसने काटा, वे चिल्ला पड़े—साँप! साँप!! सब लोगों को विश्वास हो गया कि मदन को साँप ने ही काटा है। चारों ओर शोर मच गया, लोग झाड़ने-फूँकने वालों को ढूँढ़ने लगे। सुलोचना ने घबड़ा कर आवाज़ दी—"बेटा!"

मदन ने आँखें थोड़ी सी खोल कर अपनी माँ की ओर देखा, फिर उन्हें बन्द कर ली। सुलोचना पागलों के समान बिलखती हुई बोली—बेटा! आज होली है, ले अपना लाल कुरता पहन।

मदन ने फिर आँखें खोलीं—सुलोचना ने कुरता निकाल कर उसकी ओर बढ़ाया। कुरता देख कर बच्चे के मुँह पर हल्की मुस्कराहट छा गई। उसने कुरता लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहा, किन्तु हाथ नहीं उठा। सुलोचना चीत्कार कर रो पड़ी और रोते-रोते उसने वही लाल कुरता अपने बच्चे के ऊपर डाल दिया। फिर बोली—बेटा! बेटा! मुझे छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? ग़ुस्सा मत हो, रूठो मत, अपना लाल कुरता पहनो।

किन्तु लाल कुरता पहनने के लिए वहाँ मदन कहाँ था! कुरते के लिए अपनी लालसा मन की मन में ही रख कर वह सदा के लिए अनन्त धाम को चला गया था। जब लाल कुरता आया तब मदन नहीं था। सुलोचना चीख़ मार कर अचेत हो गई और अपने एकमात्र पुत्र के शव पर गिर पड़ी!

झाड़ने-फूँकने वाले आए, किन्तु अब क्या था! जब कुछ हो सकता था, तब वहाँ चाबुक की लीला हो रही थी। कर्मचारी अब सब भूल कर सिटपिटा रहे थे और बग़लें झाँक रहे थे। किन्तु सब से अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे, अमीरों का अन्याय दिखाने वाले वहाँ पड़े हुए दो शव, एक के गालों पर आँसुओं के ताज़े चिन्ह और दूसरे पर पड़ा हुआ वही लाल कुरता!!*

* लेखिका की "अञ्जलि" शीर्षक पुस्तक की एक कहानी, जो शीघ्र ही इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाली है—स० 'भविष्य'

❀ ❀ ❀

हिन्दू और मुसलमान

[श्री० हरनारायण जी शर्मा, 'किङ्कर']

आज देश में हिन्दू और मुसलमानों के परस्पर सम्बन्ध की जो अवस्था है, उसे देख कर यह कल्पना करना भी कठिन है कि अब से दो शताब्दी पूर्व इनमें परस्पर अच्छा व्यवहार रहा होगा। हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य ने ज़ोर पकड़ कर देश को जो अवर्णनीय क्षति पहुँचाई है, उसे कौन समझदार मुसलमान या हिन्दू नहीं समझ सकता? ये दोनों पक्ष अपने सम्बन्ध को ऐसे भूल गए हैं, मानो ईश्वर ने इन्हें एक-दूसरे से विरोध करने ही को पैदा किया है, और इनका एक-दूसरे से काम ही न पड़ेगा। कुछ मुसलमान अब क्या से क्या हो गए हैं—यह देख कर आश्चर्य होता है। वे अपनी अदूरदर्शी बुद्धि से शायद यह सिद्ध कर रहे हैं, कि उनका अब उन बातों को अपनाना कर्त्तव्य नहीं रह गया, जो वे या उनके पुरखे दो शताब्दी पूर्व अपना चुके थे। प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति यह मानने को तैयार होगा कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य एकतर्फ़ा नहीं है। जितना अपराध या जितनी भूल मुसलमानों की है, उनसे अधिक नहीं तो उनके बराबर ही भूल हिन्दुओं की भी अवश्य है। हिन्दू, मुसलमानों के प्रति किए गए अपने अपराधों अथवा कुविचारों का मूल कारण उन्हें बता सकते हैं, पर वे यह बता कर ही भ्रातृ-द्रोह के अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। सभी हिन्दू और सभी मुसलमान, कभी आपसी झगड़ों से अपना मन हटा कर, यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि यदि आज भारतवर्ष के सम्मुख यह पारस्परिक विद्रोहाग्नि प्रज्वलित न हुई होती, तो वह उन्नति के किस उच्चतम शिखर पर पहुँच गया होता! इन दोनों प्रबल शक्तियों के सामने संसार की कौन सी सत्ता ठहर सकती थी? यह बात सहज ही समझ में आ सकती है!

हिन्दू और मुसलमान १,००० वर्षों से साथ-साथ भारतवर्ष में रह रहे हैं, परन्तु अभी तक वे एक-दूसरे को समझ नहीं सके। न हिन्दुओं को मुसलमानों के धर्म-तत्वों को सोचने का अवकाश है; न मुसलमानों को हिन्दू-सिद्धान्तों पर विचार करने की आवश्यकता। यदि हिन्दू, मुसलमानों को दुनिया भर के ऐबों का ख़ज़ाना समझते हैं, तो मुसलमान भी हिन्दुओं को निरे बुद्धू और असभ्यता की खान समझते हैं। दोनों एक-दूसरे को रहस्यमय समझ कर एक-दूसरे की छाया से बचते हैं। दोनों पक्षों के कुछ लोग इन भेद-भावों के प्रचार-कार्य में अग्रगण्य हैं। वे बेसिर-पैर की बातें बना कर आपस में सिर-फुटौवल करा देने में ही अपने नेतृत्व की सफलता और कर्त्तव्यपरायणता मान बैठते हैं।

हिन्दू समझते हैं, मुसलमानों में न दया है, न धर्म; न सदाचार है और न संयम। परन्तु यदि निष्पक्षता से विचार किया जाय, तो हम कहेंगे कि किसी भी धर्म ने न्याय को इतनी महत्ता नहीं दी, जितनी इस्लाम ने। यह मान लिया कि मुसलमानों ने बड़े-बड़े अन्याय और अधर्म किए हैं; पर हम पूछते हैं कि क्या अहिंसा-वादी हिन्दुओं ने, अहिंसा को ताक़ में रख कर, धर्म के नाम पर ख़ून की नदियाँ नहीं बहा दी हैं? व्यक्तिगत कुरीतियाँ और बुराइयों की बात दूसरी है और धर्माचार्य या धर्म-संस्थापकों के सिद्धान्तों की दूसरी। हज़रत मुहम्मद ने, धर्म-प्रचारकों को देश-देशान्तरों में भेजते हुए कहा था—"जब तुमसे कोई पूछे कि स्वर्ग की कुञ्जी क्या है? तो कहना कि वह है ईश्वर की भक्ति और सत्कार्य।" यह बात स्वयम्सिद्ध है कि "विनाश काले विपरीत बुद्धिः"। अधःपतित होने पर सभी जातियों के आदर्श भ्रष्ट हो जाते हैं; इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई किसी की क़ैद नहीं है। आज हम मुसलमानों को तअस्सुब से भरा हुआ देखते हैं; परन्तु जिन दिनों इस्लाम का झण्डा तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक के सभी देशों पर फहराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक उदारता संसार के इतिहास में अद्वितीय थी। पहले ईसाई-धर्म में पादरियों के सिवा किसी और को इञ्जील पढ़ने की स्वतन्त्रता न थी; हिन्दू-समाज ने भी शूद्रों को रचना करके तथा उनके अधिकारों को अपहरण करके अपने माथे पर एक भारी कलङ्क का टीका लगाया था, किन्तु इस्लाम ने क़ुरान पढ़ने की स्वतन्त्रता से किसी को वञ्चित नहीं रक्खा। इस्लाम ने नीचों के साथ जितनी उदारता दिखलाई है, उसे देखते हुए उनके प्रति किए गए अन्य समाजों के व्यवहार घृणास्पद और पाशविक प्रतीत होते हैं। किस समाज में स्त्रियों का जायदाद पर इतना अधिकार है, जितना मुस्लिम-समाज में? इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक और मानसिक उन्नति निःसङ्कोच कर सकता है। हज़रत मुहम्मद का यह सिद्धान्त स्वर्णाक्षरों में अङ्कित करने योग्य है—"ईश्वर की समस्त सृष्टि उसका परिवार है, और वही प्राणी ईश्वर का भक्त है, जो ख़ुदा के बन्दों के साथ नेकी करता है।"

इस्लाम के नियामक ने भ्रातृ-भाव का महत्व अन्य जातियों से अधिक समझा है, यह इससे स्पष्ट विदित होता है। इस्लामी धर्म और सभ्यता को संसार में जो भी सफलता मिली है, वह इसी भ्रातृ-भाव के कारण। हम तो कह सकते हैं कि जनता को आकर्षित करने की जितनी शक्ति इस्लाम में है, उतनी शायद ही किसी समाज या संस्था में हो। यदि इस्लाम की सङ्गठन-शक्ति के साथ हिन्दू जनता समझौता करके, स्वतन्त्रता-पथ की पथिक हो, तो कौन शक्ति ऐसी है, जो उनकी स्वतन्त्रता में बाधक होकर, उनकी गति को रोकने का सामर्थ्य कर सकती है? हिन्दू और मुसलमान दोनों, यद्यपि एक ही पथ के पथिक हैं, तथापि वे एक-दूसरे को अपना साथी नहीं समझ रहे हैं, और न एक-दूसरे की सहयोगिता की आवश्यकता ही समझते हैं। इस बखेड़े में किसी का भी कुछ सुधार नहीं हो सकता। यही कारण है कि उन्नति की इच्छा रखने पर भी दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका है। दोनों में अब भी सैकड़ों बुराइयाँ हैं। इस स्थिति में न उनमें ही अणुमात्र सुधार हो सकता है, न लक्ष्य-स्थान ही निर्दिष्ट हो सकता है। जिस वेग से हिन्दू-मुस्लिम-विरोध बढ़ रहा है, उस वेग से कम से कम हिन्दुओं का तो आन्तरिक सङ्गठन नहीं हो रहा है। दिनोदिन इसमें शिथिलता और उसमें स्फूर्त्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ मुसलमान शायद अब इस बात को मानने को तैयार न होंगे कि हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों पक्षों के पारस्परिक सम्बन्ध और सहयोग की आवश्यकता सदा थी और आज भी है। वह चाहे न मानें, परन्तु इतिहास के पृष्ठों में वह सम्बन्ध, वह ऐक्य सदा के लिए अङ्कित हो गया है। जब तक भारत और भारत का इतिहास है, हिन्दू और मुसलमानों का चिर-सम्बन्ध मिट नहीं सकता। वर्तमान शाकतपन्थी मुसलमान-समाज चाहे अपने को हिन्दू-समाज से कितना ही पृथक समझता हो, किन्तु इतिहास पृथक नहीं होने देगा। मुसलमान, चाहे हिन्दुओं को केवल पत्थरों के पूजने वाले, गर्दन में धागे डालने वाले, माथा रँगने वाले और ढीली धोती पहनने वाले ही समझते हों; किन्तु उन्होंने नहीं तो मध्यकाल में भारत में आए हुए अनेक मलकाना मुसलमानों ने हिन्दू-सभ्यता से बहुत सी बातें ग्रहण की थीं। राजकीय महत्वाकांक्षा तथा वीरता के भावों से प्रेरित होकर भले ही उन्होंने भारत को भली-भाँति पददलित किया हो, परन्तु भारत में बस कर भारतीय भावों तथा रीतियों को ग्रहण करने में उन्होंने तनिक भी सङ्कोच नहीं किया।

राणा संग्रामसिंह की मृत्यु के पश्चात् जब मेवाड़ की शक्ति क्षीण हो गई, तो मालवा के राजा सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जिस चित्तौड़ को पाँच सदियों तक निरन्तर प्रयत्न करते रहने पर भी कोई विदेशी शक्ति अधीन नहीं कर सकी थी, उसी चित्तौड़ की, सुल्तान बहादुर की प्रबल शक्ति के सामने, ३२ हज़ार राजपूत योद्धाओं के बलि चढ़ाने, और १३ हज़ार राजपूत स्त्रियों के जुहार-व्रत द्वारा ध्वंस हो जाने पर भी, रक्षा न हो सकी। सुल्तान बहादुर ने उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किन्तु बहुत समय तक वह इस वीर-भूमि को अपवित्र न कर सका। चित्तौड़ के राणा उदयसिंह की माता और राणा संग्रामसिंह (साँगा) की पत्नी रानी कर्णावती ने मुग़ल सम्राट वीरवर हुमायूँ के पास 'राखी' भेजी। कैसी विचित्र घटना है। एक आक्रान्ता हिन्दू-स्त्री मुसलमान को भाई के नाते रक्षार्थ, राखी भेजती है। बङ्गाल की लड़ाई में व्यस्त होते हुए भी, हुमायूँ, अपनी बहिन के सन्देश की उपेक्षा न कर सका, और प्राणपण से चित्तौड़ की रक्षा की। वह (हुमायूँ) भारतीय त्योहार व रिवाजों के महत्व को समझता था; उसे हिन्दू-संस्कृति से घृणा न थी। इसीलिए राखी मिलते ही उसने कहा—वे जो कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ। अगर वे रणथम्भोर का क़िला भी माँगें, तो मैं निःसङ्कोच दे दूँगा

केवल एक हुमायूँ ने ही नहीं, प्रसिद्ध मुग़ल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और यहाँ तक कि औरङ्गज़ेब ने भी इस राखी के पवित्र सम्बन्ध से अपने को कृतकृत्य समझा था। औरङ्गज़ेब के पास मेवाड़ की महारानी ने राखी भेजी थी, तब भी औरङ्गज़ेब ने राखी के महत्व को समझ कर अपने कर्त्तव्य का पालन किया था। यह और भी ध्यान रखने योग्य बात है कि औरङ्गज़ेब के समय में उदयपुर और मेवाड़ का ही एक राज्य था, जो मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं हुआ था। आधुनिक मुसलमानों के व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए, ऐसी कौन हिन्दू स्त्री है, जो किसी मुसलमान के पास राखी भेजने का साहस कर सके?

और भी सुनिए, विधाता के कठिन विधान के अनुसार, जब मेवाड़ की स्वाधीनता मुग़ल साम्राज्य के हाथों बिक गई थी, उस समय भी जहाँगीर अथवा उनके पुत्र ख़ुर्रम ने कभी भी मेवाड़ के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, जैसा विजित जाति के साथ जीतने वाला करता है। सुल्तान ख़ुर्रम राणा कर्ण को सगे भाई के समान मानते थे। कितना उच्च आदर्श है। इन दोनों जातियों के बीच इतनी घनिष्टता का व्यवहार कैसे हुआ? अब क्यों नहीं होता? इसका उत्तर हम सङ्कुचित हृदय रखने वाले क्या दे सकते हैं? जिस जाति

को उनके पुरुषाओं ने मुक्त-कण्ठ से श्रेष्ठ कह कर पुकारा था, आज उसी जाति को, अभिमानोन्मत्त मुसलमान, असभ्य और निकृष्ट कह कर, उसे तअस्सुब से देख रहे हैं। कैसा विचित्र परिवर्तन है !

जिन मुसलमान इतिहास-लेखकों ने हिन्दू राजाओं को "मुग़ल साम्राज्य का स्तम्भ" और "अलङ्कार स्वरूप" लिखा है, आज उन्हीं की सन्तान हिन्दुओं को अपना शत्रु समझ रही है। हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के उपकारों को आज बुरी तरह भूल रहे हैं। इसी कारण विद्वेष के विचार पुष्ट होते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों को उलट कर देखने से प्रतीत होगा कि हिन्दू और मुसलमानों को सदा से एक सूत्र में बँधने की आवश्यकता रही है। और दोनों एक-दूसरे के आभारी रहे हैं। यदि हिन्दू राजाओं ने मुग़ल बादशाहों के प्रसाद से एक समय महान शक्ति प्राप्त की थी, तो हिन्दू राजाओं ने भी मुग़ल साम्राज्य को चिरस्थायी बनाने के उद्योग में कसर नहीं रक्खी थी, और अपने परिवार तथा मातृभूमि के साथ लड़ना स्वीकार करके भी, मुग़ल साम्राज्य के रक्षार्थ अपने को बलिदान कर दिया था। प्रत्येक इतिहासवेत्ता को यह मानना पड़ेगा कि यदि अकबर के पृष्ठ-पोषक मानसिंह और यशवन्तसिंह जैसे महान वीर न होते, तो कदाचित वह इतना ऐश्वर्यशाली न हो सकता। हिन्दू आज मुसलमानों में सभ्यता और विद्वत्ता की कमी बताते हैं। मुसलमान आज हिन्दुओं को अत्यन्त निर्बल और निरुत्साहसी कहते हैं। बस, यही विचार ऐसे हैं, जो चिर-विघ्नकारी विद्रोह की जड़ को दृढ़ करते जाते हैं। यह मानी हुई बात है कि जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने समान नहीं मान लेता, तब तक उन दोनों की मित्रता चिरस्थायी नहीं हो सकती। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, यह कह देने में हानि नहीं है कि वास्तव में दोनों पक्ष भूल में हैं। न सारे मुसलमान ही मुस्टण्डे हो सकते हैं, और न सारे हिन्दू ही निर्बल। न समस्त हिन्दू ही वीर्यवान हो सकते हैं, और न तमाम मुसलमान ही कायर। न समस्त हिन्दू ही विद्वान होने का दावा कर सकते हैं और न सारे मुसलमान ही। एक-दूसरे को नीचा समझने का परिणाम सिवा आपसी लड़ाई के किसी भी प्रकार सार्थक और कुछ नहीं हो सकता है।

बल को ही लीजिए। यदि औरङ्गज़ेब, नादिरशाह, अकबर, शहाबुद्दीन जैसे मुसलमान सम्राटों ने हिन्दुओं की प्रबल सत्ता को मिटाने में सफलता प्राप्त की है, तो पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप और वीर-केशरी शिवाजी आदि ने भी उन्हें चैन से नहीं सोने दिया। यदि मुसलमान सम्राटों को भारत को बार-बार पददलित और ध्वंस कर देने का गर्व हो सकता है, तो भारतीय हिन्दुओं को केवल एक छोटे से मेवाड़ के आत्माभिमान पर गुमान करने का अधिकार है। मुसलमान बादशाहों के बार-बार के आक्रमणों से खोखला हो जाने पर भी भारत उसी गर्व के साथ मस्तक ऊँचा करके संसार के राष्ट्रों के सामने खड़ा रहा। महान सत्ताधारी मुग़ल साम्राज्य के भरसक नष्ट कर देने के उद्योग करने पर भी भारत का छोटा सा राज्य मेवाड़ भारत में उसी अभिमान से सिर उठाए हुए खड़ा रहा। यदि हिन्दू राजाओं ने मुग़ल सम्राटों से प्रभावान्वित होकर, उनकी अधीनता स्वीकार की है, तो दिल्लीश्वर के प्रधान सामन्त ख़ानख़ाना, प्रताप की महिमा पर मोहित होकर कहते हैं—"इस जगत में समस्त वस्तुएँ अनित्य हैं, राज्य और धन समस्त ही लोप हो जायँगे, परन्तु एक महापुरुष की असीम कीर्ति सदा ही अमर रहेगी। प्रताप ने अपने राज्य, धन इत्यादि समस्त पदार्थों को छोड़ा, परन्तु कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया।"

हिन्दुओं ने भी सम्राट अकबर को "दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा" कह कर सम्मानित किया, और 'जगद्गुरु' की उपाधि से विभूषित कर, अपनी गुण-ग्राहकता का परिचय दिया। अकबर ने भी हिन्दुओं के महत्व को समझ कर उनके प्रति जो व्यवहार किए हैं, वे आदर्श हैं और वर्तमान मुसलमान समाज के लिए अनुकरणीय हैं। आज हिन्दू और मुसलमान गाय की क़ुरबानी पर झगड़ते हैं। इस प्रश्न को वे अभी तक हल नहीं कर सके। किन्तु हिन्दुओं के श्रद्धालु और उदारचेता सम्राट अकबर कई सौ वर्ष पहिले ही उसका निर्णय कर चुके थे। वह सबको मालूम है। क्या यह निर्णय आजकल के मुसलमानों को मान्य नहीं है ? अकबर अपने समय के हिन्दू सभासदों, पण्डितों और वीरों का जितना सम्मान करते थे, उसके लिए कौन सहृदय हिन्दू उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश नहीं करेगा ? हम साहस के साथ कह सकते हैं कि यदि कुछ सुयोग्य हिन्दुओं के कारण सम्राट अकबर का गौरव बढ़ा था, तो उन हिन्दुओं के भी यशस्वी होने का स्पष्ट कारण भी सम्राट अकबर थे। मुसलमानों को तअस्सुब से देखने वाले हिन्दू, सोचें और बतावें कि अकबर की सभा के नवरत्नों में हिन्दू अधिक थे या मुसलमान ? आज जो हिन्दू, मुसलमानों के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास करते हैं; उन्हें 'जहानारा' द्वारा अमरसिंह राठौड़ की पुत्री 'तारा' की रक्षा वाली घटना को स्मरण करना चाहिए और जो मुसलमान, हिन्दुओं पर दुराचार का दोषारोपण करते हैं, उन्हें दुर्गादास और राजसिंह का मुसलमान सम्राज्ञियों के प्रति किया हुआ व्यवहार इतिहास में टटोल कर देखना चाहिए।

हिन्दू और मुसलमान केवल मनोभावों से ही नहीं, भाषा, वेश-भूषा और रीति-रिवाज आदि प्रायः सभी विषयों में ईर्ष्या और वैमनस्य की मात्रा को क़ायम रखना चाहते हैं। हिन्दू, उर्दू को मुसलमानों की भाषा और सलवार इत्यादि को मुसलमानों की पोशाक समझ कर उनसे घृणा करते हैं। इसी तरह मुसलमान धोती को हिन्दुओं की पोशाक तथा हिन्दी को उनकी भाषा मान कर उनसे बुरी तरह चिढ़ते हैं। वास्तव में ये बातें देश और प्रान्त के अनुकूल उचित और प्रचलित हुआ करती हैं। सभी हिन्दू धोती नहीं पहिनते, न सभी हिन्दू हिन्दी ही जानते हैं। पञ्जाब के हिन्दू अधिकतर सलवार पहनते और उर्दू पढ़ते हैं। उनको हिन्दू घृणा की दृष्टि से क्यों नहीं देखते ? इसी तरह मुसलमानों का भी धोती आदि से घृणा करना निरी मूर्खता ही कही जा सकती है। प्रायः देखने में आता है कि शिक्षित और अप-टू-डेट मुसलमान सज्जन हैट, पैण्ट, बूट आदि का व्यवहार करते हैं, लेकिन धोती, पगड़ी, अचकन को त्याज्य समझते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकृति के पदार्थों को मुख्य रूप से ये हिन्दुओं के लिए, और ये मुसलमानों के लिए बताने लगते हैं। ऐसी दो भारतीय जातियाँ, जो कुछ भारतीय वस्तुओं के कारण परस्पर मनोमालिन्य या अश्रद्धा के भाव रखती हैं, कभी एक भारतीय सङ्गठन की सहायक नहीं हो सकतीं।

जब हम प्राचीन हिन्दी के मुसलमान कवियों की भावुकता पर दृष्टि डालते हैं, तो उसके सामने हम वर्तमान मुस्लिम मनोवृत्ति को अत्यन्त शोचनीय दशा में पाते हैं। आजकल मुसलमान, हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति कैसे भाव रखते हैं, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दू भी दिनोंदिन मुसलमानों के व्यवहारों का प्रतिकार करने में जिस शीघ्रता से काम ले रहे हैं, प्रकट ही है। शुद्धि-सभा और तबलीग़ की भगदौड़ ने राष्ट्रीय सङ्गठन-कार्य को जो ठेस पहुँचाई है, वह भी छिपा नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो अनर्थकारी समय अधिक दूर नहीं है। जो मुसलमान और हिन्दू उक्त वैमनस्यकारी भावों के पोषक हैं, उन्हें नव्वाब अब्दुर्रहीम ख़ानख़ाना का यह श्लोक कदाचित बुरा न प्रतीत होगा :—

अहिल्या पाषाणः प्रकृति पशुरासीत् कपिचमूः ।
गुहःश्चाण्डालोऽपि तृतिय मुपनीतं निजपदम् ॥
अहं चित्ते नाश्मा पशुरपि तवार्चादि करणे,
क्रियाभिश्चाण्डालो रघुवर नमाम्युद्धरसि किम् ।

सम्भव है, जैसे पक्षपाती हिन्दू अपने पक्ष के विरुद्ध बातों को अपने मान्य ग्रन्थों में भी पाकर किसी विधर्मी द्वारा जोड़ी हुई बता देते हैं, वैसे ही तअस्सुब का चश्मा चढ़ाए हुए मुसलमान भी इसको मानने में आपत्ति करें ? किन्तु उन्हीं के पूर्वज अनेक कवि-हृदय मुसलमानों ने अपनी निश्छल और प्रेमपूर्ण सहृदयता से हिन्दुओं के हिन्दी-साहित्य को अपना कर अपनी कीर्ति को अमर बना लिया है—

उदाहरणार्थ रसखान को ही लीजिए। देखिए, उनकी क्या प्रार्थना है :—

मानुस हौं तो वही रसखान
बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
जो पशु हौं तो कहा बस मेरो
चरौं नित नन्द की धेनु मँझारन ॥
पाहन हौं तो वही गिरि को
जो धरयो कर छत्र पुरन्दर कारन ।
जो खग हौं तो बसेरो करौं
मिलि कालिन्दि-कूल कदम्ब की डारन ॥

खोज करने से पता लगेगा कि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दू देवी-देवताओं की उपासना की है। मुसलमान देवताओं के हिन्दू-भक्तों के उदाहरण व्यर्थ से हैं, क्योंकि असंख्य हिन्दू अब तक मुसलमान देवताओं को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। इस क्रान्ति और जागृति के युग में भी ऐसे हिन्दुओं की कमी नहीं है जिन पर वर्तमान हिन्दू सुधारकों और नेताओं से भी ज़्यादा मुसलमान देवताओं का प्रभाव है। हिन्दुओं में, आज भी मुसलमान और उनके देवताओं के प्रति प्रेम रखने वाले पर्याप्त संख्या में दीख पड़ते हैं। लेकिन मुसलमानों में हिन्दू देवताओं के भक्त नहीं या नहीं के बराबर हैं।

राष्ट्रीय नेताओं के वर्षों के प्रयत्न के पश्चात् भी वास्तव में इस विषय में विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। इसका कारण यही है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को समझने का प्रयत्न ही नहीं करता। एक पक्ष दूसरे की महत्ता ही नहीं समझता। प्रत्येक पक्ष अपने अभिमान में आकर यह समझने लगता है कि दूसरा पक्ष अनावश्यक और भार के समान है। परन्तु वास्तव में बात यह है कि हरेक के लिए दूसरा बड़ा ज़रूरी है। पुरखों की बातों को जाने दीजिए, सदियों के समय को भी भूल जाइए, तोभी हम कहने का दावा करते हैं कि यदि आज हिन्दू और मुसलमान अपना पारस्परिक सम्बन्ध बिल्कुल तोड़ लें, तो अपने पैरों पर इनमें से कोई भी अधिक समय तक खड़ा न रह सकेगा। हिन्दू और मुसलमान दोनों वीर-प्रसू भारतमाता के लाड़ले लाल हैं, सदियों उसी की गोद में पले हैं। दोनों ही भारतीय कहे जाते हैं। किसी भी दूसरे देश में वह हिन्दू या मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध, निन्दनीय अथवा वन्दनीय नहीं होते। हर एक दूसरे देश की दृष्टि में भारत-निवासियों की जाति है—भारतीय। बस इसी नाते उन्हें अपने कर्तव्य-पालन का पाठ मिल कर पढ़ना चाहिए।

* * *

माया

[श्री० श्यामापति जी पाण्डेय 'श्याम']

सौन्दर्य, प्रेम-जल-निधि में,
जो पड़ी तुम्हारी छाया ।
हा ! वही आज सूने की,
हो गई हमारी माया ॥

❀

पीड़ा का सुख हो जाना,
ज्योत्स्ना का जलन बढ़ाना ।
आँखों का शोक-निलय से,
आकर मोती बरसाना ॥

❀

शीतल समीर के झोंकों—
का विकल व्यथा का देना ।
फिर तप्त-भूमि पर सुख से,
मस्ती की करवट लेना ॥

❀

पलकों का झपकी लेना,
कुछ दबे चरण से जाना ।
मानस-निकुञ्ज में तेरा,
उन्माद रङ्ग बरसाना ॥

❀

रजनी का दिवस बनाना,
सन्ध्या प्रभात का होना ।
हँसना विषाद के लय में,
सुखमयी घड़ी का रोना ॥

❀

सान्त्वना के लिए तेरा—
सीने पर कर का लाना ।
सुख की स्मृतियों के आगे,
दुख का सपना हो जाना ॥

❀

उन मतवाली आँखों में,
बेहोश सुप्त सी छाया ।
दुर्लभ दुलार का सौदा,
जो किया, बनी आ माया ॥

* * *

विधवा का अनुरोध

[श्री० मिज़ाजीलाल 'मिज़ाजी']

काट लीजै रसना या कीजै स्वादहीन प्रभो,
सी दीजै मुखड़ा कि हँस-बोल न निकल जाय ।
कीजै हिय पवि जैसा, लोह-सा शरीर कीजै,
निकसे न आह चाहे जैसी कड़ी चोट खाय ॥
दीजै 'मार' मार, कीजै हाथ-पैर दस गुने,
थके नाहि रात-दिन, काम करें धाय-धाय ।
हा ! हा ! भगवान, कीजै एते कर काम याते,
विधवा बिचारी निज जीवन बिताय जाय ॥

* * *

महाराणा प्रतापसिंह

[श्रीयुत 'किङ्कर']

हे हिन्दू-कुल-सूर्य ! विश्व में तेरी अमर कहानी,
तेरे अमित ओज साहस की है बस अमिट निशानी ।
प्रिय प्रताप ! तेरा सिंहासन था कितना अभिमानी,
ज्ञानी थी यह बात किसी ने होकर पानी-पानी ।

❀

हे भारत-गौरव ! स्वतन्त्रता के निर्भीक पुजारी !
तेरी बलि पर बलिवेदी भी बार-बार बलिहारी ।
बुझती सा जाती है अब आज़ादी की चिनगारी,
सूख चली जिसको शोणित से सींचा था वह क्यारी

❀

कौन रखेगा आज दीन भारत के मुख की लाली,
किसकी चाल यहाँ तेरी सी गरबीली मतवाली ।
आती हैं फिर वही घटाएँ दुख की काली-काली,
बन फ़क़ीर जिनको तूने थी अहो, किसी विधि टाली ।

❀

रुकती नहीं आज भारत की अश्रु-प्रवाहित धारा,
दुर्विपाक ने बुरे समय में बुरी तरह से मारा ।
रोता है चित्तौड़ बिचारा भी चित तोड़ तुम्हारा,
'हा ! ले गया प्रताप प्रतापी अरे ! प्रताप हमारा ।'

❀

अनाचार अन्याय दमन उत्पीड़न दुःख घना था,
निज गौरव को भूल क्षत्रि-कुल मुग़ल-गुलाम बना था ।
क्लीब हुआ था, कायरता-पङ्किल में देश सना था,
रत्नाकरा मातृभू ने तब तुम्हें प्रताप ! जना था ।

❀

कुछ अजीब जादू था तेरे भाव-भरे भाषण में,
इन्द्र-कुलिश की कर्कशता थी तेरे पावन प्रण में ।
मुक्त-कण्ठ से गाते थे गुणगण अरि समराङ्गण में,
था जीवन, अमरत्व निहित तेरे रणवीर ! मरण में ।

❀

एक ओर अकबर अदम्य साहसी सूर प्रतिघाती,
कुटिल नृशंस नरेश निरङ्कुश निर्दय कुमति कुजाती ।
इधर किन्तु थोड़ी सी सेना देश-प्रेम मदमाती ।
सच्ची धुन धीरता तुम्हारी, धन्य तुम्हारी छाती ।

❀

बाधाओं का विकट व्यूह था तेरे लिए खिलौना,
थी फूलों की सेज कण्टकाकीर्ण कठोर बिछौना ।
चाहे मिले न रोटी सुख से, हो न चैन से सोना,
था न अभीष्ट कभी आजीवन पराधीन पर होना ।

❀

नर-पुङ्गव ! जिज्ञासु जगत को जीवन-पाठ पढ़ाया,
आज़ादी का मोल एक तूने समझा समझाया ।
स्वाभिमान की रक्षा में अपना सर्वस्व नसाया,
किन्तु किसी सत्ता के सम्मुख झुका न शीश झुकाया

❀

इतिहासों के पन्नों में अब गाथा है, युग बीता,
पर न हो सका हाय आज तक तेरा वह मनचीता !
हार चुके हम उसे जिसे जीवन में तूने जीता,
जागे विश्व श्रवण कर तेरी फिर पावन गुण गीता ।

* * *

मयङ्क

[श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी]

यामिनी लतिका ललित के दल हटा,
क्या कुसुम कोई धवल विकसित हुआ ?
दिग्वधूटी मुख विलोकन के लिए,
या मुकुर कोई धवल निर्मित हुआ ?

❀

क्या गगन-सर की मनोहर लहर में,
यह अनोखा हो कमल है सोहता ?
या किसी कुल-कामिनी का कान्तिमय,
वर-वदन है विश्व का मन मोहता ?

❀

नभ नहीं यह क्षीर-सागर है बना,
और यह विधु कुण्डलित सित शेष है ?
या जलधि के मथन से निकला हुआ,
अमृत का यह कलश शुभ्र-विशेष है ?

❀

रँग रहा है चाँदनी से विश्व को,
क्या रजक कोई निपुण है यह नया ?
या इसी के व्याज ताण्डव नृत्य का,
पिण्डमय हर हास्य वर देखा गया ?

* * *

कामना

[श्री० उत्तमचन्द्र जी श्रीवास्तव]

अभिलाषा है नहीं स्वर्ग के,
वैभव को मैं पा जाऊँ ।
चाह नहीं है ज्ञानी बन कर,
नाम कमाऊँ, सुख पाऊँ ॥
नहीं लालसा सूर्य-चन्द्र बन,
निज गौरव पर इठलाऊँ ।
चाह नहीं है मोक्ष-दायिनी,
शान्ति जगत में मैं पाऊँ ॥
मेरी है बस यही कामना
कर्मवीर मैं कहलाऊँ ।
ऊँच-नीच का भाव छोड़ कर
ममता निज मन में लाऊँ
दीन-दुखी जन के दुःखों को,
दूर करूँ, अति हर्षाऊँ ।
अन्त समय में देश-धर्म की,
वेदी पर बलि हो जाऊँ ॥

* * *

'गरल-माधुरी'

['शशाङ्क']

रोक-रोक ले वंशी वाले, अपनी मादक तानें ।
थाम-थाम ले युगलाङ्गुलियाँ, तनिक ठहर दीवाने ॥
रूठ रही है ये मदमाती, किसको आह ! रुलाने ।
उगल रही है गरल-माधुरी, कुञ्ज लगे लहराने ॥
प्रलय-गान ये रोक ले, जाता तन-मन सब जला ।
सप्त-स्वरों से खींच ले, अपनी अँगुली-चञ्चला ॥

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

चर्ख़ा-रूपी तोप से लङ्काशायर का मुक़ाबला करने वाला भारत का 'अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर'

'स्थायी शान्ति' की उपासना करने वाले भारत के वर्त-
मान भाग्य-विधाता—लॉर्ड विलिङ्गडन

बाल-भारत-सभा के उत्साही सङ्गठन-कर्ता—१० वर्षीय बालक, मास्टर
रौशनलाल से बातें करते हुए शिमला-सिटी कॉङ्ग्रेस कमिटी के
प्रधान—डॉक्टर नन्दलाल वर्मा। बीच में दफ़ा १०८ के अनु
सार १ वर्ष का दण्ड पाने वाले श्री० शिवदत्त जी।

महिला कॉङ्ग्रेस कमिटी (शिमला) की प्रधाना—कुमारी सत्यवती खोसला

२४ मार्च की रात को ११ बजे लाहौर सब-जेल में स्वर्गीय
'सरदार भगतसिंह' के वियोग में नारे लगाने के अपराध
में कहा जाता है, आपको जूतों से पीटा गया
और 'डण्डे-बेड़ी' की सज़ा दी गई थी।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

चटगाँव के अभागे विप्लवकारी और उनका अन्त

इस चित्र में ग़ौर से देखने पर पाठक ३ नवयुवकों के मृतक शरीर अथवा विक्षत अङ्ग इधर-उधर पड़े देखेंगे। ये तीनों ही नवयुवक १८ वीं एप्रिल को जलालाबाद में फ़ौज तथा पुलिस से लड़ते हुए मारे गए थे। इनके नामों का पता नहीं चला है।

२६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस से लड़ते हुए मरने वाले नवयुवक—(१) श्री० जतीनदास गुप्ता (१८ वर्ष), (२) श्री० मधुसूदन दत्त (१७ वर्ष) और (३) श्री० पुलिनविकाश घोष (१६ वर्ष)

१४ वर्षीय नवयुवक स्वर्गीय अमरेन्द्र नन्दी, जिन्होंने आत्म-रक्षा का कोई साधन न देख कर स्वयं आत्म-हत्या कर ली थी।

'कलारपोल' में पुलिस से लड़ते हुए मरने वाला एक विप्लवकारी, जिसके नाम का पता नहीं चला है।

२६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर फ़ौज और पुलिस से लड़ते हुए मरने वाले १७ वर्षीय विप्लव-कारी—श्री० नरेश रॉय (नम्बर २)

२६वीं एप्रिल, १६३० को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस तथा फ़ौज से लड़ते हुए मरने वाले तीन नौजवान विप्लवकारो, जिनके नाम का पता नहीं चल सका है।

२६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस तथा फ़ौज से लड़ते हुए मरने वाले तीन विप्लवकारी नवयुवक—(१) श्री० नरेश रॉय (२१ वर्ष), (२) श्री० त्रिपुरा सेन (१९ वर्ष), (३) श्री० बिशेन भट्टाचार्या (२१ वर्ष)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

चटगाँव के अभागे विप्लवकारी और उनका अन्त

२० वर्षीय नवयुवक स्वर्गीय माखम घोषाल, जो चन्दननगर में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे।

स्वर्गीय नवयुवक श्री० विकाश दस्तीदार, जिन्होंने कहा जाता है, अपने जीवन-रक्षा का कोई साधन न देख कर स्वयं आत्म-हत्या कर ली थी।

१६ वर्षीय युवक स्वर्गीय अमरेन्द्र नन्दी, जो फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।

श्री० माखम घोषाल (नम्बर २), जो चन्दननगर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए।

बाँईं ओर से—स्वर्गीय हरिगोपाल बॉल (१४ वर्ष) और श्री० मोती कम्मू गोके (१७ वर्ष), जो १८वीं एप्रिल को जलालाबाद में फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।

स्वर्गीय (१) देबू गुप्ता (१७ वर्ष), (२) श्री० मनोरञ्जन सेन (१६ वर्ष), (३) श्री० रजत सेन (१८ वर्ष) और (४) स्वदेश रॉय (१८ वर्ष) ये चारों ही नवयुवक ६ठी मई, १६३० को 'कलारपोल' में फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

कोचीन के सुप्रसिद्ध वकील श्री० ई० नवायणकर की कन्या-रत्न—श्रीमती कल्याणी कुट्टी अम्मल, बी० ए०। आपको प्रतिभाशाली छात्रा होने के कारण अनेक पदक तथा पारितोषिक मिलते रहे हैं।

कन्जीवरम (मद्रास) गर्ल्स स्कूल की प्रधान अध्यापिका—श्रीमती अम्माकुटी अम्मल, बी० ए०, एल्० टी०

रानी कॉलेज (मैसोर) की सर्व-प्रथम ग्रेजुएट महिला—श्रीमती एन० लक्ष्मी अम्मा, बी० ए०। आपको भी विश्वविद्यालय से कई स्वर्णपदक तथा पारितोषिक मिल चुका है।

पाश्चात्य महिलाएँ प्रतिदिन पुरुषों के कार्य-क्षेत्र पर सफलतापूर्वक आक्रमण करती जा रही हैं। विलायत की अनेक महिलाओं ने आग बुझाने के कार्य में भी विशेषता प्राप्त की है। पाठक इस चित्र में आग बुझाने का कार्य करने वाली महिलाओं को ड्रिल करते हुए देखेंगे, जो वे अभ्यास के लिए नियमित रूप से नित्य करती हैं। इन महिलाओं के पीछे पाठक आग बुझाने वाली मोटर को भी खड़े देखेंगे। मोटर भी महिलाएँ ही हाँकती हैं। अपने निर्धारित कार्य में पुरुषों को पास तक फटकने देना वे अपना अपमान समझती हैं।

दे चुके हम तो उन्हें सर भी, जिगर भी, दिल भी, देखना यह है कि वह अब हमें क्या देते हैं !
कोई हसरत और कोई हौसला बाक़ी नहीं, मिट गया अब दिल, तो दिल का वलवला बाक़ी नहीं ?

दिल को लेकर, वह ग़मे होश रुबा[१] देते हैं,
क्या सितम करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं।
हर घड़ी वह हमें आज़ार[२] नया देते हैं,
भूलते भी हैं, तो हम याद दिला देते हैं।
इश्क़ो उलफ़त की वहाँ ख़ाक भी तौक़ीर[३] नहीं,
ख़ाक में चाहने वालों को मिला देते हैं।
क्यों न हो और ज़ियादह मुझे पहले से ग़शी,
अपने दामन से वह झुक-झुक के हवा देते हैं।
हाय हम, हाय यह दिल, हाय यह मजबूरिए दिल,
कोसता भी है जो कोई तो दुआ देते हैं।
दे चुके हम तो उन्हें, सर भी, जिगर भी, दिल भी,
देखना यह है कि वह अब हमें क्या देते हैं ?
"नूह" बाज़ आएँ वफ़ा से कभी हम क्या मुम्किन,
मरने वाले उन्हें, जीने की दुआ देते हैं।

—"नूह" नारवी

जब वह भरपूर कोई वार लगा देते हैं,
सब लबे ज़ख़्म से, हँस-हँस के सदा देते हैं।
जब वह दीदार कभी अपना दिखा देते हैं,
मिस्ले[४] मूसा मुझे बेहोश बना देते हैं।
जब तसव्वुर[५] में कभी आते हैं ख़ूबाने[६] जहाँ,
ख़ानए दिल को परीख़ाना बना देते हैं !
एक हम, रो के रुला देते हैं, जो आलम को,
एक वह हँस के जो रोतों को हँसा देते हैं।
उनकी रफ़्तार[७] में एजाज़[८] मसीहाई है,
कुश्तए[९] नाज़ को ठोकर से जिला देते हैं।
किस तरह दिल को हसीनों से बचाए कोई,
बातों-बातों में यह फ़ौरन ही उड़ा देते हैं।
सख़्त बे रह्म हैं यह सर्व से क़ामत[१०] वाले,
अपने आशिक़ को सूली पे चढ़ा देते हैं।
बाल बेका ही न हो उनका कभी ऐ "शाकिर",
"नूह" साहब को यह हम दिल से दुआ देते हैं।

—"शाकिर" बरेलवी

बाँध कर ज़ुल्फ़ में, उलफ़त का सिला देते हैं,
दिल लगाने की यह बुत ख़ूब सज़ा देते हैं।

१—होश ले जाने वाला, २—दुख, ३—आदर, ४—मनसूर की तरह (मनसूर, जिसे सूली दी गई थी) ५—ध्यान, ६—सुन्दरी, ७—चाल, ८—हज़रत मसीह के मोजज़े का असर, जिससे मुर्दे जी उठते थे, ९—आदर पर मरने वाले, १०—क़द।

जब सुलगती है तेरे हिज्र[११] की आतिश[१२] जानाँ,
दीदए[१३] तर उसे अश्कों[१४] से बुझा देते हैं।
काँप जाती है, ज़मीं आह जो मैं करता हूँ,
नालए दिल मेरे गरदूँ[१५] को हिला देते हैं।
हमने दिल, जान, जिगर, हुस्न की ख़ैरात किया,
देखिए इसके एवज़ वह हमें क्या देते हैं।
खो गया दिल तेरे कूचे में हमारा अफ़सोस,
तेरी गलियों में भटकते हैं सदा[१६] देते हैं।
एक दीदार की हसरत तो निकल जाती है,
और अरमान सभी दिल से भुला देते हैं।
उनसे कहना तेरी फ़ुरक़त[१७] में हैं मुज़्तर[१८] "अफ़ज़ल",
तुझको पैग़ाम यह हम बादे सबा देते हैं।

—"अफ़ज़ल" मेरठी

पहले दिल ले चुके, अब मुझको दग़ा देते हैं,
क्या सितम है, कि वह क्या लेते हैं क्या देते हैं!
चाहते हैं कि कोई दिन भी यह ज़िन्दा न रहे,
देख कर वह मुझे मरने की दुआ देते हैं।
हो गया अब तो मेरा होश में आना मुश्किल,
अपने दामन से वह ख़ुद मुझको हवा देते हैं!
अपनी महफ़िल में यह करते हैं वह इज़्ज़त मेरी,
मैं जहाँ बैठता हूँ, मुझको उठा देते हैं।
निगहे शौक़ में बिजली सी चमक जाती है,
चिलमन अपनी जो उठा कर वह गिरा देते हैं।
क्या करे क्या न करे उनका मरीज़े उलफ़त,
न कभी ज़हर, न वह उसको दुआ देते हैं।
वह उठाने नहीं पाते उधर अपनी तलवार,
हम इधर पहले ही गर्दन को झुका देते हैं।
देखना यह है अभी इश्क़ में ऐ हज़रते दिल,
जुर्मे उलफ़त की, वह क्या तुमको सिला देते हैं।
हम वह जाँबाज़[१९] हैं जो मौत से डरते ही नहीं,
हुक्म दो मर के अभी तुमको दिखा देते हैं।
लोग देखें तो मुहब्बत में यह इन्साफ़ उनका,
कोई तक़सीर[२०] करे मुझको सज़ा देते हैं,
फ़ायदा "नूह" की सोहबत से हुआ यह 'बिस्मिल'
हम भी तूफ़ान ज़माने में उठा देते हैं।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

११—विरह, १२—प्रेम की आग, १३—आँसू भरी हुई आँख, १४—आँसू, १५—आकाश, १६—आवाज़, १७—विरह, १८—बेचैन, १९—जान पर खेलने वाले २०—क़ुसूर,

इब्तदाए[२१] इश्क़ का वह हौसला बाक़ी नहीं,
अब सिवा मरने के, कोई वलवला बाक़ी नहीं।
आप अब आए कि जब अबतर है तज़्मे[२२] कायनात
आमदो[२३] रफ्ते नफ़स[२४] का सिलसिला बाक़ी नहीं।
मर गया बीमारे उलफ़त, उनसे इतना कहके बस,
जाइए अब आपसे कोई गिला बाक़ी नहीं।
जब तुम्हीं ने हमसे बातें कीं तवक़्क़ा[२५] के ख़िलाफ़,
अब ज़माने में किसी से भी गिला बाक़ी नहीं।
हाथ आ पहुँचा गरेबाँ तक बमुश्किल ही सही,
नातवानी[२६] अब तो कोई मरहला[२७] बाक़ी नहीं।
हुस्न के दरबार में कोई हुआ है मोजिज़ह[२८],
हज़रते नासेह[२९] का अब वह मशग़ला बाक़ी नहीं।
उनकी महफ़िल में यह देखो शोख़िए तब्अ[३०] "अज़ीज़"
बैठे हैं यूँ जैसे कोई हौसला बाक़ी नहीं।

—"अज़ीज़" लखनवी

कोई हसरत, और कोई हौसला बाक़ी नहीं,
मिट गया अब दिल, तो दिल का वलवला बाक़ी नहीं।
आगए तुम मेरी मय्यत[३१] पर बहुत अच्छा हुआ,
अब मुझे शिकवा नहीं, कोई गिला बाक़ी नहीं।
कूचा गर्दी[३२] हो चुकी, सैहरा नवुर्दी[३३] हो चुकी,
ऐ जुनूँ अब और कोई मरहला बाक़ी नहीं।
जितनी थी मुझको शिकायत मिट गई जाती रही,
वह गले आकर मिले कोई गिला बाक़ी नहीं।
चाक दामन हो गया, टुकड़े गरेबाँ हो गया,
अब जुनूँ[३४] के वास्ते कुछ मशग़ला बाक़ी नहीं।
वह मेरी बालीं[३५] पर आ जाएँ उन्हें मैं देख लूँ,
मरते दम अब और कोई हौसला बाक़ी नहीं।
सो रहा हूँ जान देकर क़ब्र में राहत[३६] के साथ,
अब तो कोई ज़िन्दगी का मरहला बाक़ी नहीं।
जिस क़दर अहबाब[३७] थे वह रफ़्ता-रफ़्ता उठ गए,
दिल बहलने का कहीं अब मशग़ला बाक़ी नहीं।
हज़रते "बिस्मिल" जो सच पूछो तो मरने के सिवा,
अब हमारे दिल में कोई हौसला बाक़ी नहीं।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२१—शुरू, २२—संसार की देख-भाल, २३—आना-जाना, २४—साँस, २५—आशा, २६—कमज़ोरी, २७—मन्ज़िल, २८—मजूबा, २९—नसीहत करने वाला, ३०—चञ्चल तबीयत, ३१—जनाज़ा, ३२—गली-गली फिरना, ३३—जङ्गल-जङ्गल फिरना, ३४—दीवानगी, ३५—सिराहना, ३६—आराम, ३७—मित्र।

कविवर रवीन्द्र ने रूस में क्या देखा?

[जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने रूस से वापस आने पर रूस के वर्तमान शासन-विधान एवं उसकी नवीन शिक्षा-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए अपने विभिन्न व्याख्यानों में उसे एक आदर्श राष्ट्र बतलाया था, तब उनके विरोधियों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी और उनके अनुभवों को निस्सार तक कहने की धृष्टता की थी; किन्तु हाल ही में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर भी भ्रमणार्थ रूस गए थे। वयोवृद्ध विश्वकवि ने मॉस्को से २० सितम्बर, १९३० को एक पत्र लिखा था, जिसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ सहयोगी "विशाल-भारत" से यहाँ उद्धृत किया जाता है। क्या इसे भी भारत के एङ्गलो इण्डियन पत्र पागल का प्रलाप कहने की धृष्टता करेंगे ?

—सं० 'भविष्य']

आख़िर रूस में आया। जो देखता हूँ, आश्चर्य होता है। अन्य किसी देश से इसकी तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल जड़ से प्रभेद है। आदि से अन्त तक सभी आदमियों को इन लोगों ने समान रूप से जगा दिया है।

हमेशा से देखा गया है कि मनुष्य की सभ्यता में अप्रसिद्ध लोगों का एक ऐसा दल होता है, जिनकी संख्या तो अधिक होती है, फिर भी वे ही वाहन होते हैं; उन्हें मनुष्य बनने का अवकाश नहीं, देश की सम्पत्ति के उच्छिष्ट से वे प्रतिपालित होते हैं। वे सब से कम खाकर, सब से कम पहर कर, सब से कम सीख कर अन्य सबों की परिचर्या या ग़ुलामी करते हैं; सब से अधिक उन्हीं का परिश्रम होता है, सब से अधिक उन्हीं का असम्मान होता है। बात-बात पर वे भूखों मरते हैं, ऊपर वालों की लातें खाते हैं,—जीवन-यात्रा के लिए जितनी भी सुविधाएँ और मौक़े हैं, उन सब से वे वञ्चित रहते हैं। वे सभ्यता की दीवट हैं, सिर पर दिया लिए खड़े रहते हैं,—ऊपर वालों को सबको उजेला मिलता है, और उन बेचारों के ऊपर से तेल ढलकता रहता है।

मैंने इनके बारे में बहुत दिनों से बहुत सोचा है, मालूम हुआ कि इसका कोई उपाय नहीं। जब एक समूह नीचे न रहेगा, तो दूसरा समूह ऊपर रह ही नहीं सकता, और ऊपर रहने की आवश्यकता है ही। ऊपर न रहा जाय, तो बिल्कुल नज़दीक की सीमा के बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता; मनुष्यत्व सिर्फ़ जीविका-निर्वाह करने के लिए नहीं है। एकान्त जीविका को अतिक्रम करके आगे बढ़े, तभी उसकी सभ्यता है। सभ्यता की उत्कृष्ट फ़सल तो अवकाश के खेत में पैदा होती है। मनुष्य की सभ्यता में एक जगह अवकाश की रक्षा करने की ज़रूरत तो है ही। इसीलिए सोचा करता था कि जो मनुष्य सिर्फ़ अवस्था के कारण ही नहीं, बल्कि शरीर और मन की गति के कारण नीचे रह कर काम करने को मजबूर हैं और उसी काम के योग्य हैं, जहाँ तक सम्भव हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख और सुविधा के लिए उद्योग करना चाहिए।

मुश्किल तो यह है कि दया के वश कोई स्थायी चीज़ नहीं बनाई जा सकती; बाहर से उपकार करना चाहें, तो पद-पद पर उसमें विकार उत्पन्न होते रहते हैं। समान बन सकें, तभी सत्य सहायता मिल सकती है। कुछ भी हो, मैं अच्छी तरह कुछ सोच नहीं सका हूँ—फिर भी इस बात को मान लेने में कि अधिकांश मनुष्यों को नीचे रख कर उन्हें अमानुष बनाए रख कर ही सभ्यता ऊँची रह सकती है, हमारा मन धिक्कारों से भर जाता है।

ज़रा सोचो तो सही, भूखे भारत के अन्न से इङ्गलैण्ड परिपुष्ट हुआ है। इङ्गलैण्ड के अधिकांश लोगों के मन का भाव यह है कि इङ्गलैण्ड का चिरकाल पोषण करना ही भारत की सार्थकता है; इङ्गलैण्ड बड़ा होकर मानव-समाज में बड़ा काम कर रहा है, और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमेशा के लिए एक जाति को दासता में बाँध रखने में कोई बुराई नहीं; यह जाति अगर कम खाती है, कम पहनती है, तो उससे क्या बनता-बिगड़ता है; फिर भी कृपा करके उनकी अवस्था की कुछ उन्नति करना चाहिए, यह बात उनके मन में बैठ गई है। परन्तु एक सौ वर्ष हो चुके, न तो शिक्षा ही मिली, न स्वास्थ्य ही मिला और न सम्पद ही देखी।

प्रत्येक समाज अपने अन्दर इसी एक ही बात का अनुभव करता है। मनुष्य जिस मनुष्य का सम्मान नहीं कर सकता, उस मनुष्य का मनुष्य उपकार करने में असमर्थ है। और कहीं नहीं तो, जब अपने स्वार्थ पर आकर ठेस लगती है, तभी मार-काट शुरू हो जाती है। रूस में एकदम जड़ से लेकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा, इस बात पर विचार करने का समय नहीं आया, मगर फ़िलहाल जो कुछ आँखों के सामने से गुज़र रहा है, उसे देख कर आश्चर्य होता है। हमारी सम्पूर्ण समस्याओं का सब से बड़ा रास्ता है शिक्षा। अभी तक समाज के अधिकांश लोग शिक्षा की पूर्ण सुविधा से वञ्चित हैं—और भारतवर्ष तो प्रायः पूर्णतः ही वञ्चित है।

यहाँ—रूस में—वही शिक्षा ऐसे आश्चर्यजनक उद्यम के साथ समाज में सर्वत्र व्याप्त होती जा रही है कि जिसे देख कर दङ्ग रह जाना पड़ता है। शिक्षा की तौल सिर्फ़ संख्या से नहीं हो सकती, वह तो अपनी सम्पूर्णता से—अपनी प्रबलता से ही तौली जा सकती है। कोई भी आदमी निस्सहाय और बेकार न रहने पावे, इसके लिए कैसा विराट आयोजन और कैसा विशाल उद्यम हो रहा है। केवल सफ़ेद रूस के लिए ही नहीं—मध्य-एशिया की अर्ध-सभ्य जातियों में भी ये बाढ़ की तरह शिक्षा-विस्तार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिससे साइन्स की अन्तिम फ़सल तक उन्हें मिले, इसके लिए इतने प्रयत्न हो रहे हैं, जिनका अन्त नहीं। यहाँ थिएटर के अभिनयों में बड़ी ज़बर्दस्त भीड़ होती है, मगर देखने वाले कौन हैं—किसान और मजूर। कहीं भी इनका अपमान नहीं। इसी अरसे में इनकी दो-एक संस्थाएँ भी देखीं, और सर्वत्र ही मैंने इनके हृदय का जागरण और आत्म-सम्मान का आनन्द पाया। हमारे देश के सर्वसाधारण की तो बात ही छोड़ दो, इङ्गलैण्ड के मजूर-समाज के साथ तुलना करने से ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ नज़र आता है। हम श्रीनिकेतन में जो काम करना चाहते हैं, ये लोग देश भर में अच्छी तरह उस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर कुछ सीख जा सकते, तो बड़ा भारी उपकार होता। रोज़मर्रा मैं हिन्दुस्तान के साथ यहाँ की तुलना करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। मेरे अमेरिकन साथी डॉक्टर हैरी टिम्बर्स यहाँ के स्वास्थ्य-व्यवस्था की चर्चा करते हैं—उनकी कार्य-पद्धति देखने से आँखें खुल जाती हैं। और कहाँ पड़ा है रोग-सन्तप्त, भूखा, अभागा, निरुपाय भारतवर्ष! कुछ वर्ष पहले भारत की अवस्था के साथ यहाँ की साधारण जनता की दशा में बिल्कुल समानता थी—इस छोटे से समय में बड़ी तेज़ी के साथ उसमें कैसा परिवर्तन हुआ है। हम अभी तक जड़ता के कीचड़ में ही डूबे हुए हैं।

इसमें कोई ग़लती ही न हो, यह बात मैं नहीं कहता—गहरी ग़लती है। और वह किसी दिन इन्हें बड़े सङ्कट में डाल देगी। संक्षेप में वह ग़लती यह है कि शिक्षा-पद्धति को इन्होंने एक साँचा सा बना डाला है, पर साँचे में ढला मनुष्यत्व कभी स्थायी नहीं हो सकता—सजीव हृदय-तत्त्व के साथ यदि विद्या-तत्त्व का मेल न हो, तो या तो किसी दिन साँचा ही टूट जायगा या मनुष्य का हृदय ही मर कर मुर्दा बन जायगा या मैशीन का पुर्ज़ा बना रहेगा।

यहाँ के विद्यार्थियों में विभाग बना कर, हर विभाग पर पृथक्-पृथक् कार्य सौंपे जाते हैं, छात्रावास की व्यवस्था वे ख़ुद ही करते हैं—किसी विभाग पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी भार है, तो किसी पर भोजनादि का—कर्तृत्व सब उन्हीं के हाथों में है, सिर्फ़ एक परिदर्शक रहता है। शान्ति-निकेतन में मैंने शुरू से ही इस नियम को चलाने की कोशिश की है, पर वहाँ सिर्फ़ नियमावली ही बन कर रह गई, कुछ काम नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने स्वभावतः ही पाठ-विभाग का लक्ष्य बनाया परीक्षा पास करना, और सबको उपलक्ष्य मात्र समझा; यानी हो तो अच्छा, न हो तो कोई हर्ज नहीं—हमारा आलसी मन ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी के बाहर काम बढ़ाना नहीं चाहता। इसके सिवा बचपन से ही हम किताबें रटने के आदी हो गए हैं। नियमावली बनाने से कोई लाभ नहीं—नियामकों के लिए जो आन्तरिक विषय नहीं, वह उपेक्षित बिना हुए रह ही नहीं सकता। गाँवों की सेवा और शिक्षा-पद्धति के विषय में मैंने जो-जो बातें अब तक सोची हैं, यहाँ उसके अलावा और कुछ नहीं है, है केवल शक्ति, है केवल उद्यम और कार्यकर्ताओं की व्यवस्था-बुद्धि। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत-कुछ शारीरिक बल पर ही निर्भर है—मलेरिया से जर्जरित, अपरिपुष्ट शरीर को लेकर पूरी तेज़ी से काम करना असम्भव है। यहाँ इस जाड़े के देश में लोगों की हड्डी मज़बूत होने से ही काम इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। सिर गिन कर हमारे देश के कार्यकर्ताओं की संख्या का निर्णय करना ठीक नहीं—उनमें से प्रत्येक को एक-एक आदमी समझना भूल है।

❀ ❀ ❀

[पं० रतनलाल जी मालवीय, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

आँखों का सौन्दर्य

स्त्रियों के सौन्दर्य का आँखों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सारा शृङ्गार-शास्त्र आँखों की महिमा से भरा पड़ा है। कवियों ने आँखों की प्रशंसा में उपमाओं का दिवाला निकाल दिया है और अन्त में थक कर उन्हें अपनी क़लम थाम लेनी पड़ी है। केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि अशिक्षित स्त्रियाँ भी अपनी आँखों के सौन्दर्य की रक्षा के लिए तरह-तरह के मरहमों, लोशनों और कज्जल, सुरमा आदि का उपयोग किया करती हैं। परन्तु अधिकांश स्त्रियों को इन उपचारों से प्रायः हताश होना पड़ता है। इसके लिए उपचारों को दोष नहीं दिया जा सकता। वे अपना प्रभाव उस समय अवश्य दिखाते हैं, जब आँखें बाहरी कारणों से, जैसे ऋतु-परिवर्तन, अपूर्ण निद्रा, धूप लग जाने अथवा आँखों से अधिक परिश्रम लेने आदि से, मलिन और निर्बल हो जाती हैं। परन्तु जब शारीरिक निर्बलता, तेज प्रकाश में पढ़ने या बहुत छोटे टाइप की पुस्तकें पढ़ने और दाँतों की गन्दगी के कारण आँखें निर्बल हो जाती हैं, तब इन वाह्य उपचारों का अधिक लाभप्रद और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता।

एक पेन्सिल या कोई अन्य नुकीली वस्तु लेकर उसे आँखों से थोड़ी दूरी पर पकड़िए। फिर उस पर दृष्टि जमाइए और इसी अवस्था में १५ तक गिनिए।

फिर दृष्टि को शीघ्रता-पूर्वक पेन्सिल पर से हटा कर बहुत दूर के किसी चिन्हित पदार्थ पर जमाइए और इस अवस्था में १५ तक गिनिए। इस प्रकार प्रतिदिन १० बार करने से आँखों की ज्योति बढ़ेगी!

चश्मे का उपयोग

आँखों के जितने रोगी आँख के विशेषज्ञों के पास आते हैं, उनमें से अधिकांश वे ही लोग रहते हैं, जिनकी आँखें अधिक परिश्रम द्वारा निर्बल हो गई हैं। इसका मुख्य कारण शरीर के स्नायुओं की निर्बलता है, और डॉक्टरों के हाथ में इसका उपचार केवल चश्मे का उपयोग है। उनका मत है कि चश्मा आँखों को आराम पहुँचाता है, जिससे आँखों की साधारण शक्ति वापस आ जाती है। यह सच है कि चश्मे के उपयोग से आँखों का परिश्रम कम हो जाता है, इससे आँखों को आराम मिल जाता है और वे साधारण काम के योग्य बनी रहती हैं। परन्तु चश्मे का आँख के अभ्यन्तर रोगों से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और न वे आँखों को उनसे मुक्त ही कर सकते हैं। उन रोगों का वास्तविक सम्बन्ध आँखों के स्नायुओं से है और उनसे छुटकारा पाने के लिए स्नायुओं को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बहुत से लोग सिर की असह्य पीड़ा से कराहते रहते हैं, परन्तु उन्हें उसके कारण का पता नहीं लगता। इस पीड़ा का प्रधान कारण आँखों के स्नायुओं से सम्बन्ध रखता है। यों तो सिर में अनेक कारणों से पीड़ा उत्पन्न होती है, परन्तु उसका प्रधान कारण प्रायः आँखों से अधिक परिश्रम लेना ही है। ऐसे रोगों का सब से अच्छा उपाय है आँखों के स्नायुओं को स्वस्थ और शक्तिपूर्ण रखना।

पहले जब कोई पुरुष या स्त्री चश्मे का उपयोग करती है, तो आँख धीरे-धीरे स्वयं चश्मे के उपयुक्त बन जाती है और फिर वह चश्मे के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। चश्मे के इस प्रकार निरन्तर उपयोग से अधिकांश लोगों की आँखें और भी अधिक निर्बल हो जाती हैं, क्योंकि चश्मे से आँखों के वास्तविक रोग या निर्बलता का निवारण नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि वे अधिक शक्ति वाले चश्मे का उपयोग करने के लिए विवश हो जाते हैं। आँखों के इस प्रकार चश्मे पर निर्भर हो जाने से आँखें अधिकाधिक निर्बल होती जाती हैं। इस निर्बलता को रोकने के लिए अधिक शक्ति वाले चश्मों का बहिष्कार करना ही सब से अच्छा उपाय है। परन्तु केवल चश्मे के वहिष्कार से आँखों के दोष दूर न होंगे। उसके साथ ही कुछ प्राकृतिक नियमों के अवलम्बन की और व्यायाम की भी आवश्यकता पड़ेगी।

आँखों का व्यायाम

आँखों में भी स्नायुएँ और मांस-पेशियाँ उसी प्रकार होती हैं, जिस प्रकार शरीर के अन्य अङ्गों में। अतः आँखों को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए व्यायाम की उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस प्रकार अन्य अङ्गों को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए। आँखों को चश्मे के उपयोग की अपेक्षा समुचित व्यायाम, उचित उपयोग और आराम के द्वारा अधिक नीरोग और स्वस्थ रक्खा जा सकता है। परन्तु केवल व्यायाम से भी आँखें पूर्ण रूप से स्वस्थ और नीरोग नहीं होने पातीं। इसका प्रधान कारण शारीरिक अस्वस्थता और स्नायुओं की निर्बलता है। जितने आदमी नेत्र-रोगों से पीड़ित रहते हैं, उनमें से नब्बे प्रतिशत ऐसे हैं, जिनके शरीर, गैसों की उत्पत्ति के कारण, विषैले हो गए हैं। ऐसे लोगों की आँखों पर उपचार का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। चश्मे का उपयोग करके वे आँखों से अपना काम भले ही निकालते रहें, परन्तु उन्हें स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। नीरोग और जोतिपूर्ण आँखें तो उन्हें उस समय प्राप्त होंगी, जब वे उपयुक्त व्यायाम और अन्य प्राकृतिक उपायों द्वारा अपने शरीर को विषैले द्रव्यों से मुक्त कर लेंगे। किसी विद्वान ने कहा है कि आँखें 'आत्मा की खिड़कियाँ' हैं। परन्तु वे केवल 'आत्मा की खिड़कियाँ' ही नहीं हैं, मनुष्य के 'शारीरिक सङ्गठन का दर्पण' भी हैं। जब शरीर विषैले द्रव्यों से युक्त रहता है और उसकी जीवनी-शक्ति कम हो जाती है, तब आँखें मलिन, आभा-रहित और निस्तेज हो जाती हैं। इसके विपरीत, सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त होने पर आँखें भी अपना रङ्ग-रूप बदल देती हैं। इसलिए जो स्त्री-पुरुष अपने नेत्रों को चमकीला, तेजपूर्ण और स्वस्थ रखने के इच्छुक हों, उन्हें अपने सारे शरीर को स्वस्थ रखने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए।

एक अमेरिकन महिला के अनुभव

नीचे हम एक अमेरिकन महिला के नेत्र-सम्बन्धी अनुभव और उसके व्यायाम देते हैं, जिनके सहारे उसने चश्मे से अपना पिण्ड छुड़ा कर अपनी आँखों को चमकीली और तेजपूर्ण बनाया था।

"प्रत्येक स्त्री की हार्दिक आकांक्षा स्वस्थ और सुन्दर बनने की रहती है और इसी के लिए वह तरह-तरह के वस्त्राभूषण, तेल, इत्र, क्रीम, पाउडर आदि का उपयोग करती हैं। यदि मेरे हृदय में भी यही उमङ्ग हिलोरें मारती थी, तो यह कुछ अप्राकृतिक न था। परन्तु ईश्वर ने मुझे सुन्दर बनने के सब साधन न दिए थे। मैं युवती अवश्य थी, परन्तु छुटपन से ही अस्वस्थ रहा करती थी। अजीर्ण मेरा प्रधान रोग था, जिसके कारण मेरा समस्त शारीरिक सङ्गठन जर्जरित हो गया था। मेरी आँखें इसके प्रभाव से बच न सकीं। कई वर्षों तक लगातार चश्मे के उपयोग के अनन्तर भी मैं उनकी निर्बलता से अपना पिण्ड न छुड़ा सकी। आँख के बहुत से डॉक्टरों के पास मैं उपाय पूछने गई, परन्तु किसी ने अधिक शक्ति के चश्मे के सिवा अन्य कोई उपाय न बतलाया। सौभाग्य से एक दिन मेरी भेंट एक सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक से हो गई और उसने मुझे आँखों

के सम्बन्ध में बहुत से प्राकृतिक व्यायाम और अन्य उपाय बतलाए, जिनका मैं नित्यप्रति अभ्यास करने लगी।

सब से पहिला व्यायाम हथेलियों से आँखों को बन्द करना और खोलना था। इसकी पद्धति बिल्कुल सरल है। अपनी अँगुलियाँ एक-दूसरे से चिपका कर मैं हथेली की एक कटोरी सी बना लेती थी और फिर दोनों हथेलियों को आँखों पर इस तरह रख लेती थी कि अन्दर प्रकाश न पहुँचने पावे। इसी अन्धकार में मैं अपने मन में ३० तक संख्या गिनती थी और फिर हथेलियाँ हटा लेती थी। कुछ ही दिनों के बाद आँखों पर इस व्यायाम के आश्चर्यजनक प्रभाव का आभास मिलने लगा। यह व्यायाम मैं दिन में तीन बार करती थी।

आँखों का एक दूसरा उत्तम व्यायाम, जो मैं प्रतिदिन किया करती थी, आँखों की दृष्टि को किसी नुकीली वस्तु पर जमाना था। इस व्यायाम के लिए मैं प्रायः सीसे की पेन्सिल का उपयोग करती थी। उसे हाथ की पूरी लम्बाई पर पकड़ कर उसकी नोक पर कुछ देर तक अपनी दृष्टि जमाए रहती थी; फिर उस पर से दृष्टि हटा कर जितनी दूर का पदार्थ दृष्टिगोचर होता था, उसे देखती थी। इसी प्रकार मैं कई बार दृष्टि-परिवर्तन किया करती थी।

इन दो व्यायामों के साथ ही मैं सिर को कड़ा कर आँखों के तारों को चित्र में बतलाई हुई रीति से ऊपर आकाश की ओर, नीचे पृथ्वी की ओर, दोनों कोणों पर और फिर चारों ओर फेरती थी। मैं इन व्यायामों की हर एक क्रिया थोड़े समय ठहर-ठहर कर करती थी। इस व्यायाम को करते समय सब से अधिक आवश्यकता उसकी प्रत्येक क्रिया में बल लगाने की पड़ती थी। मैं यह व्यायाम प्रतिदिन कई बार दुहराती थी। इसके लिए न तो किसी निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है और न स्थान की।

आँखों के इन विशेष व्यायामों के साथ मैं अजीर्ण दूर करने के लिए नियमित रूप से पेट का व्यायाम भी किया करती थी। मेरे प्राकृतिक चिकित्सक ने अजीर्ण के दूर करने के जो व्यायाम बतलाए थे, उनमें मुझे कभी लेटी हुई स्थिति से, एड़ियाँ ज़मीन से छुआए बिना तथा बिना किसी सहारे के, उठ कर पैर के अँगूठे छूने पड़ते थे, कभी शरीर को चारों ओर मोड़ना पड़ता था और कभी बछड़ों की नाईं पैर फटकारने पड़ते थे। ये सभी व्यायाम ऐसे थे जिनमें पेट के पट्ठों पर बहुत अधिक ज़ोर पड़ता था। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस उपचार से, थोड़े ही दिनों में मेरी आँखें ज्योतिर्मय और चमकीली हो गईं। आँखों पर व्यायाम के इस आश्चर्यजनक प्रभाव में बहुत कम लोगों को विश्वास होगा।

नेत्रों की मालिश

एक बार मुझे मालूम हुआ कि न्यूयार्क में पेरिस से एक सौन्दर्य-विशारदा आई है। मुझे उसे देखने का बहुत कौतूहल हुआ। मैं आँखों के सौन्दर्य का उपचार जानने के लिए बहुत उत्सुक थी और इसलिए मैंने उससे आँखों का उपचार करवाया। उसने मेरी आँखों में कोई क्रीम लगा कर कहा—"अब मैं तुम्हें नेत्र-स्नान कराऊँगी।"

"नेत्र-स्नान!"—मैंने आश्चर्य से कहा।

"हाँ"—उसने कहा—"ज़रा सोचो, तुम्हारी आँखों में दिन भर मोटरों का धुँआ और वायु के वेग से उड़े हुए धूलि के कण प्रवेश करते रहते हैं; उन पर उष्ण और शीत का भी प्रभाव पड़ता रहता है, इससे वे मलिन और तेजहीन हो जाती हैं।"

इसके बाद उसने मेरी किसी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही मेरी आँखों की मालिश प्रारम्भ कर दी। वह उस क्रिया को जिस रीति से करती थी, मैं उसका पूर्ण ध्यान रखती थी। पहले उसने अँगुलियों से मेरी आँखों की दोनों पलकों को दबाया और उसके बाद बारी-बारी से थपकियाँ दे-देकर नाक से लेकर माथे में बालों की रेखा तक दबाया। फिर उसने अपने दोनों हाथों को ललाट के बीच में रक्खे और धीरे-धीरे अँगूठे और तर्जनी को मिला कर ललाट के बीच से दोनों कनपटियों तक मांसपेशियों को चुटकी से दाबना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर तक यह क्रिया करने के उपरान्त वह अपने अँगूठे को मेरे दोनों पलकों पर फिराती रही। अब उसने नाक के पास पलक के नीचे की स्नायु दबाना प्रारम्भ किया। और थोड़ी देर ठहर कर पलकों को ऊपर

सिर को सीधा रखिए। फिर आँखों को बलपूर्वक ऊपर उठाइए। थोड़ी देर इसी अवस्था में ठहरिए। फिर दृष्टि को जहाँ तक हो सके नीची कीजिए। थोड़ी देर बाईं ठहरिए। फिर ओर दूर तक देखिए। थोड़ी देर योंही ठहरिए। फिर दाईं ओर दूर तक देखिए। एक क्षण योंही ठहरने के बाद पुतलियों को चारों ओर घुमाइए।

उठाया। इसके बाद मालिश समाप्त हो गई और मेरी आँखों पर किसी सुगन्धित बूटी की दो गर्म पोटलियाँ रख दी गईं।

ये पोटलियाँ थोड़ी देर आँखों पर रक्खी रहीं। फिर शीघ्र ही आँखों पर से ये उठा ली गईं और अबकी बार बर्फ़ की नाईं ठण्डी अँगुलियों से उसने आँखों पर मालिश प्रारम्भ कर दी। बाद में मेरी पलकों के नीचे बर्फ़ से भीगी हुई रुई की छोटी-छोटी गद्दियाँ रख दी गईं और एक पट्टी से आँखें बाँध मुझे अँधेरे में अकेली छोड़ कर वह चली गई। थोड़ी देर में जब पट्टी खोली गई तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नेत्र-स्नान, मालिश और विश्राम से आँखों में नया प्रकाश आ गया था। आँखें पहले की अपेक्षा मुझे बड़ी मालूम होने लगी थीं; तारे और भी अधिक चमकने लगे थे और आँखों से तेज, ओज और जीवनी-शक्ति टपकने लगी थी। ऐसा स्वास्थ्यप्रद अनुभव मेरे जीवन में पहले मुझे कभी नहीं हुआ था।

ऊपर नेत्र-स्नान का जो ज़िक्र आया है, उसके अनुसार भारतीय स्त्री-पुरुषों को त्रिफला—हर्रें, बहेरा और आँवले—के पानी से नेत्र-स्नान कराना सदैव लाभदायक है। मुझे विश्वास है, ऊपर जिन उपचारों का उल्लेख हुआ है उनसे प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपनी आँखों को स्वस्थ और सुन्दर बनाए रख सकता है।

* * *

जल्दी मँगा लीजिए ! नहीं तो पछताना पड़ेगा !!

मानिक-मन्दिर

यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :—

"उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्जकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। उपन्यास में वर्णनात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्य होगी। 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का काफ़ी लिहाज़ रक्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाङ्ग सुन्दर। सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति। पुरुषों में ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पत्नी से प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओङ्कार ही पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पर्शी हुए हैं। सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में आने का वर्णन बड़े ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि।" सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !!

समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ में यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनाओं का नग्न चित्र देखना हो अथवा 'महाशय जी' व 'देवी जी' नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए। कुछ ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चर्य की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगेंगे। जो स्त्री कि वाह्य जगत् में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणी, कलङ्किनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है—इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी वर्णन इसमें किया गया है।

सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सञ्चालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया ऐंठा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य बनी रहीं—इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) रु० !

समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और असन्तोषपूर्ण बन जाता है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का सुख-स्वाच्छन्द्यपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेष और कलह का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी आलोचना की गई है।

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण किया है! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता मारी जाती है! लेखक के भावों में जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !!

पुस्तक में स्त्री और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता। पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष के जीवन को सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों में स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र !

केवल विवाहित स्त्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगावें !

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त पक्ष के वकील के जिरह करने पर मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि पञ्जाब षड्यन्त्रकारी दल का दृष्ट मेरे प्रति बहुत अनियन्त्रित ढङ्ग का था। वे लोग मुझसे अपनी स्कीमों के विवरण नहीं बतलाया करते थे।

यह प्रश्न करने पर कि लाहौर में रहने के समय क्या मुख़बिर को अपने माता-पिता के सम्बन्ध में कोई ख़बर मिली थी, मुख़बिर ने कहा कि मोज़ङ्ग हाउस में रहने के समय मुझे विजयकुमार सिनहा के द्वारा अपने पिता की ख़बर मिली थी। "लीडर" पत्र से भी मुझे मालूम हुआ था कि उनके विरुद्ध पोस्ट ऑफ़िस का रुपया लेकर भाग जाने के कारण गिरफ़्तारी का वारण्ट निकला था।

प्र०—क्या तुम्हें याद है कि लाहौर से दिल्ली लौटने पर तुम्हारे पास कितना रुपया था?

उ०—मुझे नहीं मालूम। मैं इसके पहले दिल्ली नहीं आया था।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि दिल्ली पहुँचने पर पूर्व निश्चय के अनुसार हार्डिञ्ज लायब्रेरी के पास मुझे विजयकुमार सिनहा मिले। मैंने सिनहा से कहा कि मैं दल का कार्य पञ्जाब की अपेक्षा यू० पी० में करना चाहता हूँ। इस पर सिनहा ने मुझसे दिल्ली में कुछ समय तक रुकने के लिए कहा।

इसके अतिरिक्त और मुझे याद नहीं है कि सिनहा से क्या बातें हुई थीं। जयदेव भी वहाँ आए थे। सिनहा ने उनसे मेरा परिचय कराया और उनसे मेरे लिए जमनाघाट में कहीं रहने का प्रबन्ध कर देने के लिए कहा। मैं जयदेव के साथ चला गया। इसके बाद दिल्ली में विजयकुमार सिनहा मुझसे नहीं मिले। मैंने उनके निवासस्थान का पता पूछने का प्रयत्न नहीं किया।

प्र०—क्या तुम्हें मालूम है कि उस समय विजयकुमार सिनहा दिल्ली में कहाँ रहते थे?

उ०—मुझे नहीं मालूम।

इस पर मि० बोस ने मुख़बिर के बयान का वह अंश पढ़ कर सुनाया, जिसमें विजयकुमार सिनहा से मिलने का ज़िक्र किया गया था। मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि बयान का जो अंश मुझे पढ़ कर सुनाया गया है, वह मेरे बयान में था या नहीं।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं दिल्ली में काशीराम और जयदेव के साथ जमनाघाट में ठहरा था। और पास के एक होटल में भोजन किया करता था। मैं उस समय दिल्ली में रहने के समय कोई विशेष कार्य नहीं किया करता था।

प्र०—जमनाघाट के मकान पर जयदेव कितने दिन ठहरे थे?

उ०—मार्च सन् १९२९ तक ठहरे थे। जयदेव और शिव वर्मा ने शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। जयदेव जमनाघाट के मकान से वहाँ रहने के लिए चले गए थे। इसके बाद हम लोग प्रायः मिला करते थे। मैं दिल्ली में मार्च सन् १९२९ तक ठहरा था।

इसके बाद मुख़बिर से दिल्ली में उसके साथियों और कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए।

प्रोफ़ेसर निगम से मिलने पर क्रान्तिकारी दल की स्कीम पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि दल का पहला उद्देश्य आतङ्क फैलाना है।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

मुख़बिर कैलाशपति के दिल्ली में रहने के सम्बन्ध में मि० बोस ने जिरह जारी रक्खी।

मि० बोस के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि फ़रवरी और मार्च सन् १९२९ में दिल्ली में रहने का मेरा ख़र्च काशीराम ने दिया था।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि जयदेव से तुम कहाँ मिले थे?

उ०—मैं जयदेव से जमनाघाट में काशीराम के कमरे में मिला था।

प्र०—मिलने पर क्या बातचीत हुई?

उ०—मुझे याद नहीं है। जयदेव ने मुझसे आते ही कहा कि दिल्ली से तुम आज ही चले जाओ। उन्होंने मुझे कुछ रुपए भी दिए।

प्र०—तुमसे और कौन सी चीज़ें ले जाने के लिए कहा था?

उ०—उन्होंने मुझसे अपनी सब चीज़ें बिस्तर वग़ैरह ले जाने के लिए कहा, जोकि मैं दिल्ली लाया था।

प्र०—तुमने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में फ़रवरी और मार्च में रहने के समय तुम प्रायः भवानीसिंह से मिला करते थे।

उ०—हाँ, मैं उनसे आठ या दस दफ़ा मिला था। वे पहाड़ी धीरज में रामजस स्कूल बोर्डिङ्ग हाउस के नज़दीक आनन्द-पर्वत में ठहरा करते थे।

मुख़बिर ने कहा कि भवानीसहाय ने मुझसे भवानीसिंह से मिलने के लिए कहा था। मैं भवानीसिंह से षड्यन्त्रकारी कार्यों के विषय में बातचीत किया करता था। यह पूछने पर कि षड्यन्त्रकारी कार्यों के विषय में बातचीत कैसे प्रारम्भ हुई, मुख़बिर ने कहा कि दल में सम्मिलित होने के समय से ही मैं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का प्रतिनिधि था।

प्र०—उस समय तुम दल में किस ओहदे पर थे?

उ०—मैं एक साधारण सदस्य था।

मुख़बिर ने कहा कि मैं विजयकुमार सिनहा से दिल्ली में दल के किसी कार्य के सम्बन्ध में आदेश लेकर नहीं आया था। मैं दिल्ली में भी अक्सर शिव वर्मा से मिला करता था। वह काशीराम के पास आया करता था और रात में वहीं रह जाता था।

प्र०—दिल्ली में आने पर तुम पहले-पहल शिव वर्मा से कब मिले थे?

उ०—लाहौर से दिल्ली आने के दस-बारह दिन बाद। वह उस मौक़े पर एक दिन के लिए ठहरा था। मेरी उससे कोई विशेष बातचीत नहीं हुई।

प्र०—दूसरी बार शिव वर्मा दिल्ली कब आया था?

उ०—मुझे याद नहीं है।

प्र०—शिव वर्मा के दूसरी बार दिल्ली आने पर तुमने उनसे कितनी बार बातचीत हुई थी?

उ०—मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि वह काशीराम के कमरे में दो दिन तक मेरे साथ ठहरा था। हम लोगों ने दल के कार्यों के सम्बन्ध में अक्सर बातें की थीं। इसके बाद मुख़बिर ने शिव वर्मा के तीसरी बार दिल्ली आने की बात बतलाई और कहा कि उनके चौथी बार आने के विषय में मुझे नहीं मालूम।

प्र०—दिल्ली में तुम गोपालकृष्ण पौराणिक से पहले कब मिले थे?

उ०—जहाँ तक मुझे याद है, मैं दिल्ली पहुँचने के दस या पन्द्रह दिन बाद उनसे मिला था। पौराणिक ग्वालियर के कुछ विद्यार्थियों के साथ लछमनदास की धर्मशाला में ठहरे थे।

इसके बाद मुख़बिर से पौराणिक के साथ जो बातें हुई थीं और जिनके परिणाम-स्वरूप वह ग्वालियर स्टेट में भटनावर में स्कूल का हेड मास्टर नियुक्त हो गया था, उनके सम्बन्ध में प्रश्न किए गए। उसने भटनावर में हेड मास्टर के पद पर ढाई महीने कार्य किया था।

प्र०—पौराणिक से तुम कितनी बार मिले थे?

उ०—मुझे याद नहीं है। हम लोग प्रतिदिन दो-तीन बार मिला करते थे, क्योंकि वह नज़दीक ही रहता था। साधारणतया मेरे साथ काशीराम भी रहा करता था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, काशीराम पौराणिक के दिल्ली आने के पहले से ही उसे जानता था। काशीराम ने पौराणिक से मेरा परिचय दयाकृष्ण श्रीवास्तव, बी०ए० के नाम से कराया था।

प्र०—पौराणिक से ग्रेजुएट की हैसियत से परिचय देने में क्या कोई उद्देश्य था?

उ०—मैं समझता हूँ, कोई उद्देश्य नहीं था।

मुख़बिर ने कहा कि पौराणिक से जब मेरा परिचय हुआ था, तब मैंने उसे राष्ट्रीय विचारों का व्यक्ति समझा था।

प्र०—राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति से तुम्हारा क्या तात्पर्य है?

उ०—राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति से मेरा तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो।

प्र०—क्या क्रान्तिकारी व्यक्ति की भी यही परिभाषा है?

उ०—हाँ, जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो वह 'क्रान्तिकारी' है।

प्र०—क्या तुमने पौराणिक से इस विषय में बातचीत की थी कि देश को कैसे स्वतन्त्र करना चाहिए?

उ०—मैंने इस विषय पर उसके विचार सुन लिए थे, परन्तु अपने विचारों की ओर कोई विशेष सङ्केत नहीं किया था। वह अपने विचारों में गाँधी जी का अनुयायी था।

प्र०—जब काशीराम ने तुमसे १७ मार्च को दिल्ली से चले जाने के लिए कहा था, तब तुम गोपालकृष्ण पौराणिक से मिले थे?

उ०—हाँ, उन्होंने मुझे भटनावर में स्कूल की हेडमास्टरी के लिए एक पत्र दिया था। भटनावर स्कूल की हेड मास्टरी के विषय में मैंने पौराणिक से बातचीत की थी। मेरा उद्देश्य वहाँ जाकर यह देखना था कि षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए वहाँ कोई क्षेत्र है या नहीं। पौराणिक ने मुझे जो पत्र दिया था, उसमें पता "नारायनदास शिवपुरी बाज़ार" लिखा हुआ था। पौराणिक से पत्र मिल जाने के बाद मैंने उस पत्र के विषय में काशीराम से ज़िक्र किया था। मैंने ग्वालियर जाने का अपना निश्चय जयदेव को भी बता दिया था।

प्र०—क्या तुम्हें पहले से ही कोई ख़याल था कि ग्वालियर में षड्यन्त्रकारी विचार के लोग रहते हैं?

उ०—वहाँ जाकर मैं यही तो पता लगाना चाहता था। ग्वालियर पहुँचने पर मैं एक धर्मशाला में ठहरा था और अपना नाम दयाकृष्ण श्रीवास्तव बतलाया था। दूसरे दिन मैं शिवपुरी के लिए रवाना हो गया, जो कि ग्वालियर से ६० या ७० मील दूर है। शिवपुरी से मैं भटनावर गया, जोकि शिवपुरी से २७ या २८ मील दूर है। भटनावर पहुँचने पर मैं स्कूल में ठहरा था। वहाँ स्कूल के कुछ लड़कों को बुलवाया। इसके बाद मैं स्कूल गया और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उसी दिन हेड-मास्टर पद के अधिकार को ग्रहण कर लिया था।

मैं भटनावर में क़रीब ढाई महीने रहा था, इसके बाद षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए उपयुक्त क्षेत्र न पाकर मैंने स्कूल को छोड़ दिया।

प्र०—क्या भटनावर में तुमने किसी से षड्यन्त्रकारी कार्यों के सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी?

उ०—नहीं। मैंने वहाँ किसी से भी इस विषय में कोई बातचीत नहीं की।

प्र०—तुमने स्कूल कैसे छोड़ा?

उ०—मैंने अपने पिता की बीमारी का बहाना किया। पौराणिक उस समय भटनावर में थे, मैंने उनसे भी ऐसा ही बतलाया। इसके बाद मुख़बिर ने भटनावर में रहने के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

प्र०—भटनावर में रहने के समय क्या दिल्ली में तुम्हारा किसी से पत्र-व्यवहार था?

उ०—नहीं, मैंने किसी को भी पत्र नहीं लिखा।

मुख़बिर ने कहा कि स्कूल छोड़ कर मैं दिल्ली चला आया। इसके बाद एक व्यक्ति से मिलने के लिए मैं फिर ग्वालियर गया। मेरे साथ काशीराम भी गया था, जिसको मैंने झाँसी एक व्यक्ति को लाने के लिए भेज दिया। उस व्यक्ति का पता शिव वर्मा मुझे दे गए थे। मैं ग्वालियर चला गया, क्योंकि उस समय मैं फ़रार था और ग्वालियर को झाँसी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित समझता था।

प्र०—क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों के लिए झाँसी जाना ख़तरनाक था?

उ०—हाँ, फ़रार षड्यन्त्रकारियों के लिए ख़तरनाक था। झाँसी में पुलीस की कार्रवाई बहुत अधिक चल रही थी और लाहौर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ़्तारियाँ भी हो रही थीं।

प्र०—झाँसी में पुलीस की कार्रवाइयों का पता तुम्हें कब मिला?

उ०—दिल्ली में रहने के समय मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था। अन्य स्थानों के अतिरिक्त दिल्ली और कानपुर में भी पुलीस षड्यन्त्रों के सम्बन्ध में बहुत प्रयत्नशील थी। लोगों के साथ ख़ुफ़िया लगी रहती थी और तलाशियाँ और गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं।

दिल्ली में सी० आई० डी० के आदमी रेलों की देख-रेख किया करते थे।

प्र०—क्या सी० आई० डी० के आदमी सादी पोशाक में रहते थे?

उ०—हाँ, मैंने दिल्ली स्टेशन में उन्हें सादी पोशाक में देखा था।

प्र०—तो मेरा ख़्याल है कि तुम सी० आई० डी० के आदमियों को जानते हो।

उ०—उनके पहनावे और विचित्र ढङ्ग से उनकी पहचान की जा सकती है। वे साधारणतया सलवार और कुल्लादार साफ़ा बाँधते हैं?

प्र०—लेकिन ऐसी ही क्या एक साधारण पञ्जाबी की पोशाक नहीं होती?

उ०—हाँ, परन्तु मैं सी० आई० डी० के आदमियों को उनकी चाल से पहचान सकता हूँ।

प्र०—उनकी किस विशेषता को देख कर तुम सी० आई० डी० के आदमियों को पहचान सकते हो?

उ०—लोगों की तरफ़ उनके देखने के विचित्र ढङ्ग से और उनका पता लगाने के लिए उनके साथ चलने के ढङ्ग से मैं उनकी पहचान कर सकता हूँ। मि० बोस के दूसरे प्रश्न के पूछने पर मुख़बिर ने कहा कि काशीराम जब झाँसी गया था, तब मुझे काशीराम की गिरफ़्तारी का डर नहीं था। सी० आई० डी० के आदमी ग्वालियर में भी प्रयत्नशील थे।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं ग्वालियर में ९ सितम्बर, सन् १९२९ तक ठहरा था। वहाँ रहने के समय अगस्त महीने में दल की एक सभा मि० ख़ैरात नबी और मि० हार्टन के मारने के लिए, जोकि मेरठ षड्यन्त्र केस में सबूत की ओर से कार्य कर रहे थे, हुई थी। कार्यक्रम निश्चय किया गया था कि भगवानदास और एक अन्य व्यक्ति मि० ख़ैरात नबी और मि० हार्टन पर अदालत से निकलते ही बम फेंकें।

इसके बाद मुख़बिर ने ग्वालियर में पोद्दार के साथ रहने के सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाईं। ग्वालियर में एक "फ़ैक्टरी" थी, वहाँ मैं पिकरिक एसिड और बम बनाया करता था।

प्र०—ग्वालियर से लौट आने पर क्या ग्वालियर में दल के किसी सदस्य से तुम्हारा पत्र-व्यवहार था?

उ०—नहीं।

प्र०—न तुमने दल के किसी कार्य के सम्बन्ध में पोद्दार का नाम ही सुना?

उ०—मैंने कभी नहीं सुना कि पोद्दार ने किसी लूट के कार्य में भाग लिया था। ग्वालियर से चले आने के कुछ समय बाद मुझे मालूम हुआ था कि पोद्दार ने दल को छोड़ दिया। मैंने तैलङ्ग के विषय में भी कभी नहीं सुना कि उसने दल के किसी लूट के कार्य में भाग लिया था।

प्र०—ग्वालियर से चले आने पर क्या ग्वालियर में कोई दल था?

उ०—ग्वालियर से मेरे चले आने पर ग्वालियर का दल असङ्गठित हो गया था और बाद में सदस्यों की संख्या भी धीरे-धीरे कम हो गई थी।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि ग्वालियर की फ़ैक्टरी में तुमने कितनी पिकरिक एसिड बनाई थी?

उ०—क़रीब एक पाउण्ड।

प्र०—और पारे का सत कितना बनाया था?

उ०—क़रीब एक या दो ग्राम।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने २१ नवम्बर, सन् १९३० को पुलीस के सामने अपने बयान में कहा था कि ग्वालियर की फ़ैक्टरी में एक टीन का बम बना कर मैं, भगवानदास और वैशम्पायन जब परीक्षा करने के लिए ले गए थे और वह सफल प्रमाणित हुआ था, तब सदाशिव भी साथ थे।

मि० बोस ने मुख़बिर के पुलीस के सामने दिए हुए बयान और ट्रिब्यूनल के सामने दिए हुए बयान में तैलङ्ग के नाम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की एक और भी अन्तर की बात अदालत के सामने दिखलाई। सरकारी वकील ने कहा कि तैलङ्ग के नाम के सम्बन्ध में मुख़बिर के बयानों में कोई अन्तर नहीं है।

इस प्रश्न के क़ानूनी महत्व पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि मुख़बिर को अपने बयानों के अन्तर को स्पष्ट करने का अधिकार है।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि जब मैं दूसरी दफ़ा ग्वालियर गया था, तब मैं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दस या बारह सदस्यों के नामों से परिचित था, जिनमें छः या सात ग्वालियर में थे।

प्र०—दूसरे चार या पाँच कौन थे?

उ०—झाँसी के शङ्करराव, काशीराम, एम० पी० अवस्थी और कुन्दनलाल, इसके अतिरिक्त और मुझे याद नहीं है।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० २३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर कैलाशपति से मि० बोस की जिरह जारी रही। आज की जिरह में मुख़बिर कैलाशपति ने दिल्ली में सन् १९२९ में षड्यन्त्रकारी दल के सङ्गठन और सदस्यों के भर्ती किए जाने का वर्णन किया।

मि० बोस के यह प्रश्न करने पर कि सन् १९२९ में ग्वालियर में रहने के समय मुख़बिर को षड्यन्त्रकारी दल से सहानुभूति रखने वाले किसी व्यक्ति का नाम मालूम था, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैंने कानपुर के गणेशशङ्कर विद्यार्थी का नाम सुना था।

मैं सितम्बर सन् १९२९ में ग्वालियर से दिल्ली रुपए एकत्र करने के उद्देश्य से लौट आया था। काशीराम और विमलप्रसाद जैन के द्वारा रुपए एकत्र करने का विचार था। इस बार मैं विमलप्रसाद जैन के पास ठहरा था।

प्र०—तुमसे और विमल से क्या बातचीत हुई थी?

उ०—मैं ठीक नहीं कह सकता कि मुझसे और विमल से क्या बातचीत हुई थी।

प्र०—तुमसे और काशीराम से क्या बातचीत हुई थी?

उ०—मैंने काशीराम और विमलप्रसाद जैन दोनों से कहा था कि षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए धन एकत्र करना चाहिए। मैंने उनसे दल से किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति से धन लाने के लिए कहा था।

प्र०—तो क्या तुम ग्वालियर वापस चले गए?

उ०—हाँ।

प्र०—वैशम्पायन ग्वालियर में क्या किया करता था?

उ०—कोई कार्य नहीं करता था। आज़ाद उसका ख़र्च चलाया करता था।

मि० बोस के यह प्रश्न करने पर कि सितम्बर सन् १९२९ में ग्वालियर से दिल्ली चले आने पर ग्वालियर में षड्यन्त्रकारी कार्य-क्रम जारी रहा या नहीं, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि उस समय दल के सामने कोई विशेष कार्य-क्रम नहीं था, क्योंकि ग्वालियर में वह असङ्गठित हालत में था। मुख़बिर ने कहा कि सितम्बर महीने में दिल्ली वापस आने पर मैंने दिल्ली के दल को केन्द्रीय कौन्सिल के ढङ्ग पर सङ्गठित करना प्रारम्भ कर दिया था। विचार किया गया था कि वह कार्यकर्ताओं को आदेश दिया करेगी।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि उस बार ग्वालियर से दिल्ली आने के समय वहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें लाए थे?

उ०—मैं अपना सामान, एक बम और एम० पी० अवस्थी का सामान लाया था। मैं विमलप्रसाद जैन के घर पर ठहरा था, जोकि खरी बावली में है।

इसके बाद मुख़बिर ने विमल के घर का कुछ विवरण बतलाया। उसने कहा कि विमल के रिश्तेदार अक्सर आकर विमल के यहाँ ठहरा करते थे। मैं विमलप्रसाद के घर पर दो या तीन दिन तक ठहरा था, उसके बाद मैं शहर में दूसरी जगह चला गया। मैं विमल के यहाँ अक्सर आया करता था। विमल के साथ तीन दिन रहने के समय मैंने उससे दल के कार्यक्रम के विषय में बहुत सी बातें की थीं। यद्यपि उन दिनों कॉलेज बन्द थे, फिर भी भवानीसिंह शहर में एक मकान में रहा करते थे। उस समय भागीरथ भी दिल्ली में ही था और साधारणतया अकेले रहा करता था।

प्र०—सितम्बर महीने में दिल्ली में तुम भवानीसिंह के साथ कितने दिन रहे थे?

उ०—दूसरे तीसरे मैं हमेशा उसके पास जाया करता था और उसके मकान में ठहरा करता था।

प्र०—सितम्बर महीने में तुम्हारा ख़र्च किसने चलाया था?

उ०—मुझे भवानीसिंह और भवानीसहाय रुपए दिया करते थे। उस महीने में मेरा ख़र्च क़रीब बीस रुपए हुआ था। मैंने दल के लिए इलाहाबाद से कुछ किताबें मँगाई थीं, जिनका रुपया भवानीसिंह ने दिया था। किताबें भवानीसिंह के नाम वी० पी० से आई थीं।

प्र०—तुम किताबों के नाम जानते हो?

उ०—उन किताबों में जो मुख्य किताबें मुझे याद हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—"रूस की राज्य-क्रान्ति", "बन्दी जीवन", और "क्रान्ति राजकुमार"। इलाहाबाद में रहने के समय इनमें से कुछ किताबें मैंने पढ़ी थीं। मुझे याद नहीं है कि इन किताबों को पहले मैंने दिल्ली में देखा था या नहीं।

प्र०—मेरा ख़याल है कि उस समय दल के पास धन नहीं था?

उ०—हाँ, नहीं था।

प्र०—जो बम तुम ग्वालियर से लाए थे, वह तुमने विमलप्रसाद जैन को कब और कहाँ दिखलाया था?

उ०—बम मेरे सूटकेस में था, जोकि मैंने विमल के घर पर रख दिया था। मैंने विमल को बम उसी के घर पर दिखलाया था।

प्र०—उस समय तुमने कोई हिसाब लगाया था कि उस तरह के और कितने बमों के बनाने की ज़रूरत है?

उ०—नहीं, यह बात तो धन पर निर्भर थी।

प्र०—क्या इस विषय में तुमने विमल से कोई बातचीत की थी?

उ०—हाँ, बम बनाने में प्रति बम के हिसाब से कितना रुपया लगेगा, इस विषय में मैंने विमल से बातचीत की थी।

मुख़बिर ने कहा कि विमल ने बिजली का कार्य करने वाले एक मिस्त्री से बम बनाने के सम्बन्ध में पूछा था, परन्तु यह बातचीत मेरी उपस्थिति में नहीं हुई थी। सम्भवतः यह बात सितम्बर सन् १९२९ की है।

मुख़बिर ने कहा कि विमलप्रसाद जैन, भागीरथ और भवानीसिंह के अतिरिक्त मैं सितम्बर महीने में दिल्ली में भवानीसहाय से भी मिला करता था। भवानीसहाय रिवाड़ी में रहा करता था, परन्तु दिल्ली में भवानीसिंह के यहाँ ठहरा करता था। मैंने भवानीसहाय से कोई विशेष बातचीत नहीं की थी। और जहाँ तक मुझे मालूम है, दिल्ली आने में उसका कोई ख़ास उद्देश्य नहीं था।

सदस्यों की भर्ती

इन दिनों मैंने भवानीसहाय को षड्यन्त्रकारी दल की नियमावली दिखलाई थी और उसे सदस्य भर्ती किया था। इसी प्रकार से मैंने विमलप्रसाद जैन, भागीरथ, हज़ारीलाल और भवानीसिंह को षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों में भर्ती किया था।

प्र०—क्या उन्हें भर्ती करने के पहले तुमने दल के किसी उत्तरदायी सदस्य से इजाज़त ले ली थी?

उ०—मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं ही सङ्गठनकर्ता था।

प्र०—क्या केन्द्रीय कौन्सिल की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं थी?

उ०—उस वक्त उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।

प्र०—उस समय दल का सब से पुराना सदस्य कौन था?

उ०—जहाँ तक मुझे मालूम है, आज़ाद दल का सब से पुराना सदस्य था।

प्र०—उस समय निगम कहाँ थे?

उ०—वह कलकत्ता में थे और सितम्बर के आख़ीर में दिल्ली आए थे। विमल ने जमनाघाट के पास मुझसे उनका परिचय कराया था। कुछ बातचीत के बाद निगम भी दल के सदस्य होने के लिए तैयार हो गए।

प्र०—क्या सितम्बर महीने में दल में इतने सदस्यों के भर्ती किए जाने के सम्बन्ध में तुमने कहीं कोई रिपोर्ट भेजी थी?

उ०—नहीं।

प्र०—तुम रजिस्टर रखते थे या भर्ती होने के फ़ॉर्म?

उ०—नहीं, हम कोई रजिस्टर या भर्ती होने का फ़ॉर्म नहीं रखते थे। अगर किसी सदस्य को दिल्ली के बाहर दल के किसी सदस्य से मिलने की ज़रूरत होती थी, तो उसके लिए उसका विश्वास-पत्र या तो मेरा परिचय-पत्र हुआ करता था या कोई "इशारे का शब्द" हुआ करता था। दिल्ली में इशारे का शब्द। प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि दिल्ली में सदस्य एक-दूसरे से परिचित थे और उसके प्रयोग करने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी।

प्र०—क्या दिल्ली से बाहर गए हुए सदस्यों के सम्बन्ध में इशारे के शब्द प्रयोग किए जाते थे?

उ०—हाँ।

प्र०—इशारे के शब्द कैसे प्रयोग किए जाते थे?

उ०—अगर मुझे दल के किसी सदस्य को दिल्ली के बाहर किसी सदस्य के पास भेजना पड़ता था, तो मेरे द्वारा भेजा हुआ सदस्य दिल्ली के बाहर के सदस्य से उसी इशारे के शब्द का प्रयोग करता था, जो मेरे और दिल्ली के बाहर के सदस्य के बीच पहले से ही नियत हो जाता था। उदाहरण के लिए मेरे और आज़ाद के बीच में "दया" इशारे का शब्द नियत हुआ था। इसलिए अगर मुझे किसी सदस्य को आज़ाद के पास भेजना पड़ता था, तो वह सदस्य से "दया" शब्द द्वारा अपना परिचय दिया करता था। दल के मुख्य-मुख्य सदस्यों के बीच ऐसे इशारे के शब्द नियत हो गए थे।

इसके बाद मुख़बिर ने दिल्ली की अन्य कार्रवाइयों और अभियुक्त निगम के सम्बन्ध की बातें बतलाईं। मुख़बिर ने कहा कि मैं अभियुक्त निगम के साथ एक स्थानीय कॉलेज-होस्टल में क़रीब तीन महीने तक रहा था। मैंने होस्टल के कॉमन रूम में कभी भोजन नहीं किया। मैं हमेशा होस्टल में निगम के साथ उनके कमरे में भोजन किया करता था। निगम न्यू हिन्दू होस्टल का सुपरिण्टेण्डेण्ट था। मुख़बिर ने कहा कि मैं वहाँ रहने के समय होस्टल के विद्यार्थियों से दूर ही रहा करता था।

प्र०—उस होस्टल में कोई क्लब या एसोसिएशन था?

उ०—जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई नहीं था।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि मि० निगम होस्टल में लोकप्रिय थे या नहीं?

उ०—पहले लोकप्रिय थे, परन्तु जब उन्होंने सिगरेट न पीने का नियम जारी किया, तो होस्टल में हड़ताल हो गई और लोकप्रियता घट गई।

प्र०—नवम्बर महीने में दिल्ली में दल की क्या हालत थी?

उ०—जैसी अक्टूबर में थी।

प्र०—क्या तुमने धन एकत्र करने का प्रयत्न किया था?

उ०—नवम्बर महीने में मैं दल की सभा में शामिल होने के लिए कानपुर गया था। वहाँ धन एकत्र करने का निश्चय हुआ था। मुझसे धन एकत्र करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिए कहा गया था।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २२ जुलाई को सुखदेवराज के विरुद्ध मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही समाप्त होने पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के वकील मि० श्यामलाल से मुख़बिर से जिरह करने के लिए कहा।

इसी बीच में अभियुक्त सुखदेवराज ने अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें कहा गया था कि मैं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त धन्वन्तरि, वैशम्पायन, जिनका दूसरा नाम शिव है और विद्याभूषण से बिना मिले मुख़बिर से जिरह नहीं करना चाहता। दो मुख़बिरों ने अपने बयानों में कहा है कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उन मुख़बिरों से किसी विषय में बयान दिए हैं। मैं इन अभियुक्तों से मिल कर यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुख़बिरों से कोई बात कही थी या नहीं।

इस अर्ज़ी पर दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट से सिफ़ारिश करूँगा कि वह अभियुक्त सुखदेवराज के दिल्ली षड्यन्त्र के उपरोक्त अभियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध कर दे।

ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट को इस सम्बन्ध में एक आवश्यक पत्र लिखा। सुखदेवराज और दिल्ली षड्यन्त्र के अभियुक्तों से मिलने के समय तक मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से मुख़बिर मदनगोपाल को पेश करने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा कि मैं मुख़बिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरह के बाद पेश करूँगा।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से दूसरे गवाहों को पेश करने के लिए कहा।

सुखदेवराज ने कहा कि जो गवाह दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में पेश हुए हैं, वही मेरे विरुद्ध भी पेश किए जायँगे। इसलिए उनकी जिरह तब तक न होनी चाहिए जब तक कि मैं दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिल न लूँ।

अदालत ने जेल-सुपरियटेण्डेयट को अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त देने के लिए लिखा।

मुख़बिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यूनल ने उससे कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का और अदालत में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने का प्रबन्ध रहेगा। उसी समय वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें भी पेश कर सकता है। इसके बाद उससे कुछ चीज़ों और काग़ज़ों की शनाख़्त करने के लिए कहा गया, जोकि भावलपुर रोड के बँगले पर पाए गए थे। उसने एक धोती की शनाख़्त करके कहा कि यह मेरी है।

सुखदेवराज ने कहा कि यह धोती इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह औरत की धोती है।

मुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा कि हंसराज "वायलेंस" ने मुझसे कहा था कि अभियुक्त अमरीकसिंह मीठा-बाज़ार की बम-घटना के समय वह सूट-केस ले गया था, जिसमें बम बनाने का सामान और हंसराज की डायरी थी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि सुखदेवराज से मालूम हुआ है कि दल ने २०,००० रुपए एकत्र करके सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया है।

मि० सलीम के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि मैंने पुलीस के अत्याचारों से बचने के लिए माफ़ी स्वीकार कर ली थी।

ता० २२ जुलाई को मि० देवराज साहनी एडवोकेट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुख़बिर इन्द्रपाल की ओर से ज़मानत पर छोड़ने के लिए एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार थी :—

"(१) मुख़बिर इन्द्रपाल एक कोठरी में रक्खा गया है और उसे दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। यद्यपि वह एक अच्छी श्रेणी का क़ैदी है, फिर भी उसे इस गर्मी की ऋतु में अपनी छोटी कोठरी के अन्दर ही सोना पड़ता है। वह एक ऐसी कोठरी में रक्खा गया है, जिसमें जेल-नियमों के भङ्ग करने वाले अपराधी क़ैदी रक्खे जाते हैं। दिन के समय भी उसे अपनी कोठरी के हाते के बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। जेल में उसे अपने सम्बन्धियों या क़ानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किल के बाद अदालत के सामने अर्ज़ी पेश करने पर मुख़बिर को अपने क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त मिली, जिसे कि जेल के अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। विचाराधीन क़ैदी होने के कारण उसे अपना भोजन जेल के बाहर से मँगाने का अधिकार है। उसके सम्बन्धी उसके लिए किताबें और दूसरी आराम की चीज़ें भेजने के लिए तैयार हैं, परन्तु जेल के अधिकारी उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते।

(२) जेल के अधिकारियों का यह कार्य ग़ैरक़ानूनी है और अदालत को इन मामलों में, जैसा कि हाईकोर्ट ने सरकार बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्णय किया है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

(३) मुख़बिर इन्द्रपाल से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ यह सब व्यवहार गवर्नमेण्ट के आदेशों के अनुसार किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेण्ट का ख़्याल है कि मुख़बिर ने सबूत-पक्ष का समर्थन पूर्णतया सन्तोषजनक रीति से नहीं किया। मुख़बिर को यह भी मालूम हुआ है कि उसके और अन्य मुख़बिरों के बीच में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दूसरे मुख़बिरों को लोगों से मिलने और खुले में सोने के लिए पूरी सुविधा दी जाती है। वास्तव में उन्हें जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी जाती हैं।

(४) इस ग़ैरक़ानूनी हिरासत से मुख़बिर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

(५) इसलिए मुख़बिर की प्रार्थना है कि अदालत उसकी गवाही लेने के लिए अधिकारियों को आज्ञा दे कि मुख़बिर ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से हटा दिया जाय और उसके साथ विचाराधीन क़ैदियों का सा व्यवहार हो। निम्न-लिखित सुविधाओं के लिए उसकी विशेष प्रार्थना है :—

(१) खुले में सोने की इजाज़त दी जाय।

(२) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी जाय।

(३) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों की तरह उसे अपने सम्बन्धियों और क़ानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त दी जाय।

(४) प्रिज़न ऐक्ट के अनुसार उसके सम्बन्धियों को किताबें और दूसरी आराम की चीज़ों के भेजने की इजाज़त मिले।

(५) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाय। जेल-अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे ज़मीन पर ही सोना पड़ता है। अब तक वह अपनी कोठरी में तीन बिच्छुओं को मार चुका है।

(६) मुख़बिर की प्रार्थना है कि वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाय। अब तक किसी अदालत ने उसकी ज़मानत की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ३३७ दफ़ा के अनुसार मुख़बिर को ज़मानत पर छोड़ने के विषय में विचार नहीं किया।"

ट्रिब्यूनल ने जेल के सुपरियटेण्डेयट से इस विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

ता० २४ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि० श्यामलाल ने उन सबूत के गवाहों से जिरह नहीं की, जिनकी गवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल ने आज दर्ज की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था कि सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेयट ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने देने और ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के हटा लेने के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो आज्ञा दी थी, उसका पालन नहीं किया।

ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० ब्लैकर ने मि० श्यामलाल से कहा कि जेल के सुपरियटेण्डेयट ने अदालत के पास सूचना भेजी है कि हम अदालत के हुक्मों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे हुक्म पुलीस के इन्स्पेक्टर जेनरल की आज्ञाओं के विरुद्ध हैं।

अभियुक्त सुखदेवराज की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो फ़ैसला सुनाया था, उसका प्रान्तीय सरकार ने पालन नहीं किया। इसके विरोध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कल सबूत के गवाहों से जिरह करने से इन्कार कर दिया था। ता० २५ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने उसने निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :—

"कल मैंने अपने वकील लाला श्यामलाल को सबूत के गवाहों से जिरह न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्न-लिखित कारण थे :—

"(१) लाहौर सेण्ट्रल जेल में ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में होने के कारण मैं अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता।

"(२) यद्यपि अदालत ने न्याय की दृष्टि से मुझे अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त दे दी थी, फिर भी लाहौर सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेयट ने अदालत के हुक्मों को पालन करने से इन्कार कर दिया।

"(३) मैंने अदालत से तब तक के लिए अपनी कार्रवाई स्थगित कर देने के लिए कहा, जब तक कि मेरी शिकायतें न दूर हो जायँ और सफ़ाई के लिए मुझे उचित सुविधाएँ न दे दी जायँ, परन्तु अदालत ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कार्रवाई प्रारम्भ कर दी।

"कल अदालत से जेल लौटने पर जेल के डिप्टी सुपरियटेण्डेयट ने मुझसे मिल कर कहा कि मेरी कोठरी के दरवाज़े के पास सुबह से शाम तक तीन सी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मेरे साथ रहने के लिए बैठे रहा करेंगे। रात के वक़्त वे क़ैदी विचाराधीन क़ैदियों के वार्ड में अपनी बैरकों में चले जाया करेंगे।

"इधर कुछ हफ़्तों से सरकार का जैसा हठपूर्ण रुख़ रहा है, उसे देख कर मेरे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जायगा। सरकार ने अदालत के फ़ैसलों की अवज्ञा करने में कोई सङ्कोच नहीं किया। जब उसने मामला अधिक गम्भीर देखा, तो उसने अदालत के हुक्मों का अर्थ पक्षपात-

पूर्ण भाव से करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमान, मेरे साथ पर्दे के आड़ में जैसा खेल खेला जा रहा है, वह गन्दा है। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी के प्रति असम्मान प्रकट करना चाहता हूँ, चाहे वह मेरा कैसा ही कट्टर दुश्मन क्यों न हो। परन्तु कुछ कारणों से मुझे यह विश्वास हो गया है कि पञ्जाब-सरकार मेरे मामले से दिलचस्पी रखती है और वह दिलचस्पी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। मेरे सामने जो बातें मौजूद हैं, उनको देखते हुए मैं अपने विश्वास को बदल नहीं सकता। मैंने अपनी आँखों से उस पत्र को पढ़ा है, जोकि गवर्नमेण्ट के गृह-विभाग से इन्स्पेक्टर जेनरल ऑफ़ प्रिज़न्स के पास भेजा गया है और जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध में पूरे विवरण के साथ आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई होने से अदालत के हाथ में कुछ नहीं रह जाता।

मैं न्याय चाहता हूँ

"आपने जो निर्णय किया है कि मेरी हिरासत ग़ैर-क़ानूनी है, वह बिल्कुल उचित है। हाईकोर्ट ने क़ैदियों की शिकायतों की जाँच करने और उन्हें दूर करने के प्रबन्ध करने के लिए आप लोगों को अधिकार दिया है, इसलिए न्याय की आशा से आपके सामने मैं अपना मामला पेश कर रहा हूँ। मैं दया नहीं चाहता, श्रीमान, मैं फिर से दुहराता हूँ कि मैं न्याय चाहता हूँ। अगर अदालत न्याय करने में असमर्थ है, अगर अदालत के हुक्म पालन करने के लिए नहीं हैं, तो कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी सफ़ाई में समय और धन को नष्ट करूँ। मुझे खेद है कि अदालत ने अपने हुक्मों की अवज्ञा देख कर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से मेरे मन में अत्यन्त गम्भीर आशङ्काएँ हुई हैं। मैं यह अनुभव करने के लिए विवश हूँ कि न्याय नहीं हो रहा है।

"मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत ६ जून सन् १९३१ से प्रारम्भ हुई थी। अब क़रीब दो महीने के हो रहे हैं। जो कुछ मैंने कष्ट सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ, मेरा कर्तव्य कहना नहीं, बल्कि मार दिया जाना है। सिपाही का सम्मान देश की सेवा में अपने जीवन के समर्पण कर देने की दृढ़ता में है। मैं साधारण भारतीयों में से ही एक हूँ, जोकि कष्ट सहन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। सौभाग्य-वश हम लोग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है।

कष्ट के साथ अपमान

"ऐसे समय, जबकि मैं अपनी शिकायतों के दूर होने की आशा कर रहा था, जेल-अधिकारियों ने कष्ट के साथ अपमान जोड़ दिया। मैं अच्छी श्रेणी का क़ैदी हूँ और मैं अपने साथ के लिए अच्छी श्रेणी के क़ैदी चाहता हूँ, जैसा कि क़ानून का मतलब है। परन्तु सरकार ने क़ानून की पूर्ति बहुत ही विचित्र तरीक़े से करने का प्रबन्ध किया है। उन्होंने क़ानून का ऐसा मतलब लगाया है कि क़ानून बनाने वाले अपनी क़ब्रों में हिल उठेंगे।

"मैं अदालत से प्रार्थना करता हूँ कि वह गवर्नमेण्ट के ग़ैर-क़ानूनीपन को रोके।"

अर्ज़ी पढ़ लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से अदालत के हुक्मों के पालन किए जाने का विवरण पेश करने के लिए कहा।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से एक मैजिस्ट्रेट, एक मेहतर, एक दूध वाले और एक भिश्ती की गवाही हुई।

(क्रमशः)

*　*　*

अवध के किसान

[श्री० राधामोहन गोकुल जी]

अवध में किसानों की दशा बहुत ही बुरी है। वे अधिकांश छोटे-छोटे जमींदार, जो नाम-मात्र के जमींदार हैं अपनी थोड़ी सी जमीन को आप ही जोतते-बोते हैं, किसान ही हैं। इनको दूसरे जमींदारों के पैरों तले पिसना नहीं पड़ता, बाक़ी इनकी दशा भी बहुत गिरी हुई है। बड़े जमींदारों और ताल्लुक़ेदारों में सौ में दो को छोड़ कर, सब बड़े बेदर्द और किसानों के रक्त-शोषक हैं। किसान प्रायः सब के सब साहूकार और जमींदार दोनों के क़र्ज़दार बने रहते हैं।

किसान साहूकारों के ऋण-भार से अधिकतर इसीलिए दबे रहते हैं कि उन्हें जमींदारों की अनुचित माँगों के लिए भी क़र्ज़ लेना पड़ता है। बीज, हल, बैल के लिए जो क़र्ज़ लेना पड़ता है, उसे यह लोग जमींदारों की लूट-खसोट के मारे चुका नहीं सकते। यदि इन पर जमींदारों का अत्याचार न हो तो इन्हें बीज और खाने के लिए अन्न की कमी न रहे।

कोई भी जमींदार अपने असामियों से लगान लेकर उसे रसीद नहीं देता। जब कभी जमींदार किसी असामी के ऊपर नाराज़ होता है, तो उसे बक़ाया लगान के नालिश की धमकी देता है और बहुधा तीन-तीन वर्ष के बक़ाया की नालिश ठोंक कर उसे पीस डालता है। रसीद न होने के सबब अदालत में किसान की एक भी नहीं चलती।

अवध में ताल्लुक़ेदारी-प्रथा होने के कारण किसानों को दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अधिक ऋणग्रस्त रहना और कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ मैंने देखा है कि जमींदार लोग सरकारी काग़ज़ों में जो लगान नियत है, उससे कई गुना ज़्यादा लगान लेते हैं। एक किसान सत्रह रुपयों की जगह बावन रुपए और दूसरा आठ रुपयों की जगह छियालीस रुपए लगान अदा करता पाया गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा जमींदार लोग क्यों करते हैं, उन्हें क्या अधिकार है। इसी अनुचित लगान की माँग को पूरा न करने पर किसानों को पीटा जाता है, मुर्ग़ा बनाया जाता है और नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं, जैसे मध्य कालीन यूरोप में जमींदार किसानों के साथ और गिर्जे के अधिष्ठाता पादरी धर्म-विरुद्ध आचरण करने वालों के साथ करते थे।

पटवारी, क़ानूनगो, मिरदहा, शाहना आदि का नज़राना भी लगान की भाँति अत्यन्त कड़ाई के साथ किसानों से वसूल किया जाता है। इन सरकारी नौकरों को इस तरह नज़राना आदि देते रहने पर भी, सरकारी नौकर हमेशा मालदार जमींदारों का ही दम भरते हैं।

कहा जाता है कि किसान बिना रसीद के रुपए क्यों देते हैं? सरकारी नौकरों और हाकिमों को रिश्वत क्यों देते हैं? अदालतों में फ़रियाद क्यों नहीं करते? इसका उत्तर स्पष्ट है कि अधिक लगान की अदायगी, रसीद का न लेना और रिश्वत का देना लट्ठ के डर से होता है। कोई राज़ी से लुटना पसन्द नहीं करता। किसान धन और शरीर से दुर्बल हो गए हैं, बहुत दिनों की भूख और गुलामी ने इनमें स्वाभिमान बाक़ी नहीं रहने दिया है। अदालतों की बात भी इनके वश के बाहर है। भारत में न्याय बहुत महँगा है। यहाँ भी धनवानों की ही मारी मुर्ग़ी हलाल होती है। कई-कई कोस पैदल चल कर आना, अदालत के दरवाज़े सारे दिन कभी-कभी दो दिन भूखे-प्यासे पड़े रहना और पैदल ही लौट कर घर जाना आसान बात नहीं है। इस पर भी ख़ाली जेब। स्टाम्प, वकील, मुहर्रिर और सरकारी अमलों को सन्तुष्ट करने में सर्वथा असमर्थ रहता है।

यह लोग यातना सहते-सहते डरपोक हो गए हैं, पढ़े-लिखे भी नहीं होते। जब कोई इन पर अत्याचार करे तो इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पहुँचने के लिए कम से कम ५) रुपए चाहिए। स्टाम्प आठ आना, लिखाई आठ आना, वकील दो रुपया, पेशकार आदि एक रुपया, काग़ज़, खाना-पीना एक रुपया। फिर बारम्बार तारीख़ पड़ती है, गवाहों को लाना पड़ता है, अनेकों दरख़ास्तें देनी होती हैं, हर बार पाँच-सात रुपए ख़र्च होते हैं। इसलिए अदालत की बाज़ी भी मालदार साहूकार या जमींदार ही जीतता है।

मैंने अपनी आँखों से सैकड़ों ग़रीब किसानों को ख़ून से तर, सारे शरीर में हल्दी लगाए, बदन की एक-दो हड्डी टूटी हुई, सभा में फ़रियाद करते देखा है। आए दिन ख़बर आती है कि जमींदार, क़ानूनगो और डिप्टी कलेक्टर किसानों को मालगुज़ारी या लगान के लिए पिटवाते हैं, लेकिन बेचारी काँग्रेस क्या कर या कह सकती है, सिवा इसके कि यह सब शान्ति से सहन करो।

किसानों ने बूते के बाहर पहले से ही क़र्ज़ ले रक्खा है, पास में पैसा तो क्या, अन्न का दाना और फटे कपड़े भी इनके पास नहीं, यह कहाँ से सोने-चाँदी के सिक्के निकाल दें। जो यह दस-पाँच रुपयों के ज़ेवर, जो सौभाग्य-चिन्ह की भाँति इनकी स्त्रियों के बदन पर हैं, उन्हें यह गिरवी रखने जाते हैं; तो महाजन तीन आने तोले से अधिक नहीं देता और दो पैसा रुपया महीना ब्याज लेता है, जो बेंच डालें तो रुपए में चार आने वसूल होते हैं। क्योंकि चाँदी का भाव सीमातीत गिर गया है और अधिक गिरने की सम्भावना है।

इस दशा में किसानों का अब कोई साथी और सहायक नहीं रहा। यह रात-दिन कल्पित ईश्वर और भाग्य के भरोसे अपना जीवन अतिवाहित करते हैं।

*　*　*

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

ग़ज़ब हुआ, अन्धेर हुआ—गाँधी जी का वलायत जाना निश्चित हो गया ? हालाँकि अभी भी कुछ लोगों को सन्देह है कि कदाचित् कोई ऐसी बात पैदा हो जावे, जिससे कि महात्मा जी वलायत जाने की अपेक्षा हिन्दुस्तान ही में रहना अधिक अच्छा समझें। नौकरशाही ने ऐसी कोई बात पैदा करने की कोशिश अपनी तरफ़ से तो नहीं की, परन्तु भूल-चूक तो मनुष्य से हो ही जाती है। मनुष्य का कार्य नहीं, वरन् उसकी नीयत (Motive) असली चीज़ है। यदि नौकरशाही की नीयत यह नहीं थी कि कोई बात ऐसी पैदा हो जाय जिससे कि महात्मा जी वलायत न जायँ, तो उसके कार्यों पर ध्यान न देना चाहिए। नीयत साफ़ होते हुए वह सब कुछ कर सकती है, उसके तीन ख़ून भी माफ़ हैं—हालाँकि लोगों का कहना है कि उसने तीन से अधिक ख़ून कर डाले हैं ! मगर फिर भी क्या हुआ, नीयत तो साफ़ है। कुछ लोग नौकरशाही पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन गाँधी-इर्विन समझौते के दिनों में नौकरशाही ख़ूब खुल-खेली। और इस खुल-खेलने के अन्दर एक रहस्य था। वह रहस्य यह था कि नौकरशाही के खुल-खेलने पर यदि महात्मा जी तथा अन्य नेता लोग बिगड़ कर कोई ऊट-पटाँग काम कर बैठते, तो नौकरशाही झट उन पर समझौता तोड़ने का मुक़दमा चला देती। परन्तु यदि उन्होंने चुपचाप अथवा ज़बानी जमा-ख़र्च रखने वाले विरोध के साथ सब सहन कर लिया (जैसा कि किया गया है), तो नौकरशाही को अपने दिल के अरमान पूरे करने का अवसर मिल गया। भगवान जानें, यह बात कहाँ तक सच है ! अपने राम ने तो नौकरशाही के कोई अरमान पूरे होते देखे नहीं। अरे हाँ, झूठ बोलने में क्या फ़ायदा, कुछ इधर-उधर की ख़बरें सुनीं और अख़बारों में पढ़ीं। सो जनाब, सुनी हुई बात पर विश्वास करने की अपने राम की आदत फ़िलहाल बहुत ही कम हो गई है और अख़बारों में पढ़ी हुई बात पर उस समय तक विश्वास करने को जी नहीं चाहता, जब तक कि यह निश्चित नहीं हो जाता कि जो बातें अख़बारों में छपती हैं उनके लिए सरकार सम्पादकों पर मुक़दमा तो नहीं चलाएगी। आजकल अपने राम किसी अख़बार में नौकरशाही के विरुद्ध निकली हुई ख़बर पर, ख़बर छपने के छः मास पश्चात् विश्वास करते हैं। वह भी तब, जब कि छः मास तक उक्त अख़बार के सम्पादक को नौकरशाही की ओर से कोई निमन्त्रण नहीं मिलता। और सुनी हुई बात पर तो कभी विश्वास ही न करना चाहिए, चाहे वह आँखों के सामने ही क्यों न हो। आजकल अपने राम अहमदाबाद में विराजमान हैं। यहाँ की दशा यह है कि पहले यहाँ शराब की खपत उतनी ही थी, जितनी कि अन्य शहरों में थी—कोई ख़ास बात नहीं थी। परन्तु इधर पिकेटिङ्ग इत्यादि होने के पश्चात् से यहाँ गली-गली और दूकान-दूकान शराब बिकने लगी है। अहमदाबाद में होटल और 'टी-शाप' (चाय की दूकान) का इतना आधिक्य है, जितना कि चमारिन के सिर में जुवों का होता है। किसी बाज़ार या सड़क पर जाइए, दूकानों में अधिक संख्या इन्हीं की मिलेगी। अतएव आजकल इन दूकानों में चाय के बहाने धड़ाधड़ शराब बिकती है। देखने में चाय की केटली है, पर भरी है शराब ! यहाँ के निवासियों का और ऐसे निवासियों का, जिनकी बात पर अविश्वास करने को जी नहीं चाहता, कथन है कि आजकल यहाँ शराब की खपत पहले से तिगुनी बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि पहले ख़ास-ख़ास लाइसेन्स-प्राप्त दूकानों पर शराब बिकती थी और नियमित समय के अन्दर बिकती थी; परन्तु आजकल न कोई समय है, न कोई स्थान। जब और जहाँ चाहिए, शराब ले लीजिए। यह भी कहा जाता है कि सुलभ होने के कारण अब स्त्रियाँ भी शराब पीने लगी हैं। सुलभ होने का अर्थ यह है कि पहले या तो पूरी अथवा आधी बोतल ख़रीदनी पड़ती थी या गद्दीख़ानों अथवा बड़े-बड़े होटलों में जाकर पीनी पड़ती थी। ये बातें बहुतों की क्षमता के बाहर थीं। बहुतेरे गद्दीख़ानों में जाना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे, बहुतेरे बड़े-बड़े होटलों में ख़र्च अधिक पड़ जाने के कारण नहीं जाते थे। बहुतेरे आधी तथा पूरी बोतल ख़रीदने की क्षमता नहीं रखते थे। इस प्रकार उपरोक्त कारणों में से किसी न किसी कारण से बहुत से आदमी शराब से बचे रहते थे। परन्तु अब न गद्दीख़ाने में जाकर बैठने की आवश्यकता है, न बड़े-बड़े होटलों के "हाई चार्जेज़" बरदाश्त करने की ज़रूरत है और न एक-दो पेग शराब के लिए पूरा पाइण्ट ख़रीदने की मजबूरी है। इसीलिए प्रतिदिन शराब का व्यवहार बढ़ रहा है। ये बातें सामने होते हुए भी सुनी-सुनाई हैं। क्योंकि अपने राम शराब तो क्या, कभी अफ़ीम तक नहीं पीते। अतएव इन पर विश्वास करने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि विश्वास किया जाय तो यह प्रश्न उठता है कि शराब को इतना सुलभ बनाने की ज़िम्मेदारी किस पर है ? इसीलिए इस पर गौर न करना ही अच्छा है। यदि किसी के अरमान पूरे होते हों तो होने दो—अपना भी राम मालिक है। अस्तु !

ऐसी परिस्थिति होते हुए भी महात्मा जी ने वलायत जाने का कच्चा-पक्का इरादा कर ही लिया। कुछ लोगों के लिए तो यह संखिया खा लेने की बात है—बशर्ते कि हयादार हों। एक ओर तो यह दशा है, दूसरी ओर यह हालत है कि लोग वलायत की यात्रा में अपने साथ गङ्गा-जल तथा गाय ले जाने का इरादा कर रहे हैं। और क्या, यह ठाठ हैं ! ऐसा अवसर भला फिर कभी काहे को मिलेगा। गङ्गा-जल ले जाने की बात तो कुछ समझ में आती है। ज़िन्दगी का क्या भरोसा ? ईश्वर न करे, यदि इङ्गलैण्ड ही में परलोक का वारण्ट आ गया, तो गङ्गा-जल की बदौलत ख़ास स्वर्ग का टिकिट तो मिल जायगा। अथवा किसी अङ्गरेज़ को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ी तो वह गङ्गाजल के बल से तत्काल शुद्ध भी कर लिया जायगा। स्वयम् गङ्गा-जल का व्यवहार रखने से आत्मा शुद्ध रहेगी—गन्दे तथा अपवित्र विचार पास तक न फटकेंगे। परन्तु गाय साथ ले जाने की बात समझ में नहीं आती। कदाचित् जिस प्रकार गङ्गा-जल स्वर्ग का टिकिट दिला सकेगा, उसी प्रकार गाय वैतरणी नदी पार कर सकेगी ; क्योंकि वलायती गाय प्रथम तो यही नहीं जानती कि वैतरणी नदी है कहाँ—और यदि उसे बता भी दिया जाय तो वह भला किसी काले आदमी को वैतरणी के पार क्यों ले जायगी ? वह तो उलटा मँझधार में डुबो देने का प्रयत्न करेगी। इस बात के अतिरिक्त गाय ले जाने का कोई अन्य उपयोग तो समझ में आता नहीं। यह भी हो सकता है कि वलायती गाय का दूध पीने से धर्म नष्ट होने का भय हो। कोई न कोई बात है ज़रूर ! अपनी समझ में न आवे तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई केवल सनक या बेवक़ूफ़ी से ऐसा कर रहा है। अफ़सोस है कि अपने राम पूछे ही नहीं गए, अन्यथा अपने राम अपने साथ एकाध बोरी भाँग, दो-चार बोरे बादाम, कुछ बोरे काली मिर्च, दो-चार पत्थर की सिल और दो-चार आदमी भाँग पीसने और छानने के लिए भी अवश्य ही ले जाते। जब अपनी गाँठ से कुछ ख़र्च नहीं होना है, तब दिल के अरमान पूरे कर लेने में क्या हर्ज है ? केवल इतना ही नहीं, यदि गुञ्जायश हो सकती तो आटा, दाल, चावल, मसाला, नमक इत्यादि सब चीज़ें यहीं से ले जाते। क्योंकि भारतीय अन्न खाने से भारत का स्नेह स्थिर रह सकता है। वलायत का अन्न खाकर वलायत के लाभ की बात सूझेगी—उसमें भारत का अहित होगा। सम्पादक जी, आप चाहे मानें या न मानें, परन्तु अपने राम का तो यह अटल विश्वास—कैसा अटल विश्वास—फ़ुटबॉल की तरह अटल विश्वास है कि विचारों पर अन्न-जल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम भारत का अन्न-जल ग्रहण करते हैं, इसीलिए तो हमारे विचार भारतीय हैं। यदि हम इङ्गलैण्ड का अन्न-जल व्यवहार करने लगें, तो हमारे विचार अङ्गरेज़ी हो जाने में कभी कोई सन्देह नहीं रह सकता। पता नहीं, महात्मा जी भी कोई बकरी-वकरी ले जायँगे या नहीं। क़ायदे से तो उन्हें अवश्य ले जाना चाहिए। वलायती बकरी का क्या भरोसा, न जाने कैसा दूध दे। पहले एक ख़बर यह भी उड़ी थी कि यदि गोलमेज़ सभा असफल हुई तो नेता लोग हिन्दुस्तान लौटने नहीं दिए जायँगे—वहीं नज़रबन्द कर दिए जायँगे। पता नहीं, यह बात कहाँ तक ठीक हो सकती है। अपने राम को तो इस बात पर बहुत ही कम विश्वास हो सकता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इतनी बेवक़ूफ़ नहीं, जो नेताओं को वहाँ नज़रबन्द करे। क्योंकि ये लोग वहाँ सत्याग्रह, पिकेटिङ्ग, चर्ख़ा, खद्दर इत्यादि का प्रचार करने लगेंगे। अभी तो हिन्दुस्तान ही में इन बातों को रोकने में ब्रिटिश सरकार का नाक में दम है, फिर इङ्गलैण्ड में भी रोक-थाम करनी पड़ेगी। और यदि कहीं इङ्गलैण्ड की जनता में यह विष फैला तो बुरी ठहरेगी। वहाँ की जनता को क़ाबू में रखना ब्रिटिश सरकार के क़ाबू के बाहर की बात हो जायगी। जो कुछ भी हो, फ़िलहाल तो गोलमेज़ सभा के परिणाम की प्रतीक्षा है।

कुछ लोगों का यह ख़्याल भी है कि जब यहाँ के सब नेता लोग वलायत चले जायँगे, तो सम्भव है नौकरशाही बेनकेल का ऊँट बन कर और अधिक बलबलाने लगे। परन्तु अपने राम का ख़्याल है कि लॉर्ड विलिङ्गडन बड़े अनुभवी तथा समझदार आदमी हैं। वे इस ऊँट को क़ाबू में रखने का वैसा ही प्रयत्न करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने अब तक के अल्प शासन-काल में करके दिखाया है। यह बात दूसरी है कि वे उसमें सफल न हों। परन्तु असफलता कोई अपराध नहीं है। नेकनीयत आदमी भी असफल हो सकता है। ईश्वर उनकी नेकनीयती क़ायम रक्खे—चाहे हिन्दुस्तान को उनकी नेकनीयती

(शेष मैटर ३८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

"अन्तः शाक्ता बहिर्शैवा सभामध्ये च वैष्णवा, नाना रूप धरे कौला विचरन्ति महीतले !" माशा अल्लाह, हमारे मौ० हसरत मोहानी साहब इस पुरानी उक्ति के जीते-जागते नमूना हैं ! ऐसा रङ्ग बदलते हैं कि कम-बख़्त गिरगिट भी दाँतों उँगली दबा कर रह जाए। आश्चर्य नहीं, पूर्व जन्म में आप रङ्गरेज़ रहे हों।

❀

कभी तो आप 'भूत के मुख से राम नाम' की तरह लोकमान्य का नाम लेते उनके सगे उत्तराधिकारी बनते और कभी मौ० शौकतअली के पट्ट शिष्य बन कर 'कुकड़ूँ कूँ' की बाँग लगाने लगते हैं ! कभी राष्ट्रीयता के समर्थक बनते हैं और कभी साम्प्रदायिकता के हामी। इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि मौलाना साहब, अगर उचित समझें तो किसी चतुर ठठेरे से अपनी बुद्धि के पेंदे में कोई छोटा-मोटा 'गोड़ा' लगवा लें, वरना एक रोज़ लुढ़क कर कहीं किसी गन्दी मोरी-ओरी में जा पड़ेगी तो बड़ी मुश्किल होगी।

❀

इसके साथ ही मौलाना साहब से निवेदन है कि अगर तबीयत न मानती हो तो एक दिन हिन्दुस्तान भर के हिन्दुओं का 'ख़तना' कर डालिए या सारे एशिया महादेश में मुस्लिम साम्राज्य की पताका फहरा दीजिए, हिज़ होलीनेस को कोई एतराज़ नहीं। परन्तु बराहे-नवाज़िश अपनी अनाप-शनापी जिह्वा से वह पवित्र नाम (महाराज तिलक का) न लिया कीजिए ! क्योंकि इससे हिन्दुओं को आज़ार पहुँचता है और 'मर्दुम आज़ारी' शरीअतन गुनाह है—कुफ़्र है !

❀

यह बात बावन तोले पाव रत्ती ठीक है कि मौलाना बुद्धिमान आदमी हैं, 'जैसी बहै बयारि पीठ वैसी कर दीजै' के पक्षपाती हैं और जहाँ रस देखते हैं, वहीं चिपकने की इच्छा करते हैं। माशा अल्लाह, यह 'मक्षिका-वृत्ति' बुरी नहीं है। इससे और कुछ हो या न हो, पापी पेट भरता रहता है, यह हम डङ्के की चोट कह सकते हैं। मगर, 'निगाहे यार की बिजली इधर चमकी उधर चमकी' की तरह सिद्धान्त और ज़बान का 'हरजाईपन' अच्छा नहीं। क्योंकि इससे तो मियाँ 'न घर के ही रहेंगे और न घाट के ही।'

❀

कुछ रसशास्त्रज्ञों का कहना है कि देश में राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों की यथेष्ट संख्या होने पर भी, आगामी गोलमेज़ परिषद् में लाट साहब ने उनके प्रतिनिधियों को यथेष्ट स्थान नहीं प्रदान किया। परन्तु शायद उन्हें मालूम नहीं कि ऐसा करने से बड़ी बी-के रूठ जाने की सवा सोलह आने सम्भावना थी। फलतः 'पाणिग्रहीता' का आदर तो होना ही चाहिए। इसलिए लाट साहब ने 'उनको' नाख़ुश न करके अच्छा ही किया है, वरना सारा सावन का मज़ा ही किरकिरा हो जाता।

❀

बहुत दिनों की बात है, आप तब बहुत छोटे रहे होंगे, हर होलीनेस को पधारे अभी केवल सवा सत्रह महीने ही हुए थे। एक दिन एक आफ़त की मारी ग़रीब बुढ़िया झोंपड़ी के दरवाज़े पर आ गई। इधर किसी ने अन्दर ख़बर दे दी कि एक औरत आई है। बस, यह सुनते ही श्रीमती जी के रोष का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और श्रीजगद्गुरु के नाम गिरफ़्तारी का वारण्ट कट गया। बेचारे बरसरे इजलास हाज़िर हुए, तो हुक्म हुआ कि "उस औरत" को अभी निकाल दो।

❀

"अभी ? इस भादों की अँधेरी रात में ? ख़ैर, परन्तु वह तो नानी की उमर की बुढ़िया है।" बाप रे बाप ! आँखें भृकुटी की चहारदीवारी फाँद कर मस्तक पर जा पहुँचीं और हुक्मसानी सादिर हुआ—"नानी हो या परनानी। अगर वह यहाँ रहेगी तो मैं अभी—इसी वक़्त—मायके चली जाऊँगी।" अब आप ही बताइए, कौन माई का लाल ऐसा है, जो ऐसे नादिरशाही हुक्म की तामील में आनाकानी कर सके ?

❀

फलतः इस सम्बन्ध में श्रीमान लाट साहब की डिफ़ीकल्टी' को हिज़ होलीनेस अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्योंकि बेचारे भुक्तभोगी हैं ; अङ्गार-वर्षिणी आँखों की तीव्रता का इन्हें ख़ूब अनुभव है। इसलिए इन्हें आश्चर्य है कि मौ० दाऊदी के यह स्पष्ट-रूपेण लिख देने पर भी कि 'यदि सर अली इमाम और डॉ० अन्सारी आदि को बुलाया जायगा, तो मोटी बी और उनकी सहगामिनियाँ रूठ जायँगी' लाट साहब ने सर अली इमाम के पास निमन्त्रण भेज दिया। फलतः हम तो इसे लाट साहब का दुस्साहस ही कहेंगे।

❀

इसके सिवा, भाई साहब, भारत में ब्रिटिश राज-सत्ता की दोदुल्यमान नींव की रक्षिका भी तो ये 'पाणिग्रहीता' ही हैं ; इन्हीं के मङ्गलानुष्ठान की बदौलत तो यह कहने का मौक़ा मिलेगा कि भारतवासियों में परस्पर छत्तीस का सम्बन्ध है। इसलिए अगर अङ्गरेज़ी छत्रछाया समेट ली जाय तो सारे भारत में घोर अन्धकार फैल जायगा, लोग एक पर एक चढ़ बैठेंगे और 'अबला विलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम्' का व्यापार हो जायगा। इसलिए इन्हें प्रसन्न रखना अत्यावश्यक है।

❀

सिलहट के श्रीयुत सुधीरकुमार पाल को ख़बर लगी है कि वहाँ मुसलमान गुण्डों का एक ऐसा दल है, जो हिन्दू औरतों को बहका और फुसला कर उड़ा लिया करता है। पाल जी को पता लगा है कि ऐसी बहकाई और फुसलाई हुई तीस स्त्रियाँ इस इलाक़े में छिपाई गई हैं। फलतः सिलहट तथा उसके आसपास के हिन्दुओं को मुसलमान गुण्डों का कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि बेचारों ने स्त्री जैसी भयङ्कर आफ़त से उन्हें बचा कर उनका बड़ा उपकार किया है।

❀

साथ ही अन्यान्य देश के हिन्दुओं को चाहिए कि एक सभा करके अपने सिलहटी भाइयों के पास बधाई का तार भेज दें। क्योंकि इस ख़बर से उनकी बहादुरी और स्त्री-रक्षा वाली मनोवृत्ति का गहरा पता मिलता है। वास्तव में वे धन्य हैं। बस, उन्हें चाहिए कि 'बीती ताहि बिसारी दे' के अनुसार फ़ौरन अपने लिए दूसरी बीबी तलाश कर लें। और क्या ? जो गई सो गई !

❀

बेचारे विलायती अख़बार वाले चिन्तित हैं कि भारत के लँगोटी बाबा नङ्गे पाँव विलायत चले आवेंगे, तो वहाँ की शालीनता कैसे जीती बचेगी ! बात सचमुच बड़े ख़तरे की है जनाब, क्योंकि कहीं बूढ़े बाबा के भारतीय घुटने देख कर वहाँ के गोरे और गोरियों के दिलों में उद्दीपन विभाव का सञ्चार होने लगा तो बड़ी आफ़त होगी।

❀

आप कहेंगे, वहाँ की बीबियाँ तो आजकल स्वयं सूक्ष्म वस्त्रावृता रहती हैं ; गले के नीचे का बहुत सा तुषार धवल भाग तथा टिटिहिरी सी टाँग का अधिकांश अनावृत ही रहता है। वहाँ की राम जानें, पर यहाँ की गोरियाँ, अधगोरियाँ और डब्बी गोरियाँ, तो आजकल प्रायः बिना मोज़ा पहने ही बाइसिकिल दौड़ाया करती हैं। वही हाल प्रायः 'हाफ़-पैण्ट' वालों का भी है।

❀

बात आपको सवा सोलह आने ठीक है। परन्तु बक़ौल कविवर 'बिस्मिल' "वह गोरे हैं, हम काले हैं !' कहाँ एक कमनीय कलेवरा गोरी किशोरी की अमल-धवल टाँगें और कहाँ ७० वर्ष के बूढ़े भारतीय की काली टाँगें ! ऐसी टाँगें देख कर वहाँ के गोरे और गोरियों को मूर्च्छा न आ जाय, यही थोड़ा है। फिर सभ्यता, शिष्टता, शालीनता और श्लीलता की घातिनी टाँगें तो पुरुषों की होती हैं, न कि स्त्रियों की। फलतः इन टाँगों की आफ़त से इङ्गलैण्ड वालों को ख़ुदा ही बचाए !

❀

'मङ्गलम् भगवान विष्णु मङ्गलम् गरुड़ध्वजम्, मङ्गलम् पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः !' सुनते हैं, भारत के भूतपूर्व बड़े लाट लॉर्ड रीडिङ्ग ने ७१ वर्ष की उमर में ३७ वर्ष की बीबी का पाणिपीड़न किया है। बाबा शाह मदार यह जोड़ी सलामत रक्खें और शीघ्र ही मियाँ-बीबी को 'सोहर' सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। साथ ही श्रीमती लेडी जी के लिए बूढ़े श्रीजगद्गुरु का शुभाशीर्वाद है कि "बना रहे अहिवात तुम्हारा, जब लौं टेम्स नदी की धारा !"

❀

दुबेजी की चिट्ठी

(३७वें पृष्ठ का शेषांश)

से कोई लाभ पहुँचे अथवा न पहुँचे। अपने राम का तो केवल यही आशीर्वाद है। और यह भी मानी हुई बात है, क्योंकि कई बार इसका अनुभव हो चुका है, कि अपने राम का आशीर्वाद बहुत कम ख़ाली जाता है। इसीलिए अपने राम बहुत कम और बहुत समझ-बूझ कर आशीर्वाद देते हैं। अधिकतर शाप ही देते हैं और कोसते ही हैं; क्योंकि शाप देने तथा कोसने का कोई प्रभाव पड़ता आज तक तो देखा नहीं गया—आगे की भगवान जानें। कम से कम इससे इतना लाभ तो है कि अपने राम से दूसरों का भला ही होता है—बुरा हो ही नहीं सकता। यह कुछ कम सन्तोष की बात नहीं है।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

सब से बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि इस 'प्रेम-मिलन' का प्रथम पवित्र पर्वाध्याय भारत में ही आरम्भ हुआ था। क्योंकि लाट साहब जिस समय यहाँ मौजूद थे, उस समय मिस चार्नंड (वर्तमान लेडी रीडिङ्ग) उनकी गृह-कर्तृ थीं। फलतः भारत-शासन जैसे महान् दायित्वपूर्ण कार्य का भार सिर पर रहते हुए भी लाट साहब के हृदय में श्रीमती जी के प्रति प्रेम का सञ्चार हो गया और अन्त में परिपक्व होकर इस पराकाष्ठा को पहुँचा कि पाणिपीड़न के सिवा और कोई चारा ही नहीं रह गया।

❀

ख़ैर, ख़बर मिली है कि विवाह के पश्चात् नव-दम्पत्ति मधु-यामिनी यापनार्थ कलिकाल के स्वर्गधाम पेरिस चले गए हैं। ख़ुदा ताला लाट साहब की रँगीली बुढ़ौती को और भी रँगीली बनाए। क्योंकि लाट साहब ने श्रीजगद्गुरु जैसे भारतीय बूढ़ों के विवाह के पक्ष में एक अकाट्य उदाहरण उपस्थित कर दिया है। क्योंकि जब लॉर्ड रीडिङ्ग जैसे ७१ साल का बूढ़ा सैंतीसा कुमारी का पाणिपीड़न कर सकता है तो इस देश के पैंतालीस और पचास वर्ष के बूढ़ों ने कौन सा पाप किया है, जो उनके विवाह का नाम सुनते ही लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं?

❀

गत सन् १९३० में बङ्गाल की पुलीस ने जो निस्स्वार्थ सेवा-परायणता का अलौकिक उदाहरण उपस्थित किया था, उस पर बङ्गाल के गवर्नर और उनकी परिषद् आपाद मस्तक मुग्ध हैं। फलतः उसकी प्रशंसा करने में लाट साहब और उनकी परिषद् ने राजपूताना के चारणों को भी मात कर दिया है। अफ़सोस यही है कि अल्लाह मियाँ ने इन्हें जिह्वा प्रदान करने में बड़ी कञ्जूसी की है। कहीं इन एक-एक मुखों में हज़ार-हज़ार जिह्वाएँ होतीं तो माशा अल्लाह आज सभी सार्थक हो जातीं!

❀

ख़ैर, आपको सुन कर सन्तोष होगा कि बङ्गाल में चोरी, डकैती, स्त्रियों का उड़ाया जाना और कलकत्ता जैसे जनाकीर्ण स्थान में दिन-दहाड़े चोरी आदि सदानुष्ठानों का कारण वहाँ की पुलीस की अकर्मण्यता नहीं, बल्कि कॉङ्ग्रेस की शरारत है। यही बुढ़िया ये सारे अनर्थ करा रही है। फलतः अगर आपका बैल खो जाए अथवा आपकी श्रीमती त्रिवेणी किनारे बुलाक़ खो आवें तो समझ लीजिए कि इसमें कॉङ्ग्रेस की शरारत है। समझ गए न?

❀

हाँ, यह बात दूसरी है कि 'चमार के मनाए डाँगर नहीं मरते' और न किसी भुक्खड़ के कोसने से श्रीजगद्गुरु की तोंद ही पिचक सकती है। इसलिए बङ्गाल के सपरिषद् लाट के कोसने से कॉङ्ग्रेस का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मगर 'दिल को समझाने के लिए 'ग़ालिब' यह ख़याल अच्छा है!' कम से कम हृदय को सन्तोष तो हो जाता होगा। यही क्या कम है?

❀

उस दिन इलाहाबाद में एक अभागे को फाँसी दे दी गई। श्री० सहगल जी ने पत्र लिख कर यह कारुणिक दृश्य देखने की इच्छा प्रकट की। जेल के अधिकारियों ने स्वीकृति भी दे दी। परन्तु इलाहाबाद के 'सहगल-प्रेमी' मैजिस्ट्रेट बहादुर यह अनर्थ कैसे बरदाश्त कर सकते थे। उन्होंने यह आज्ञा दी कि श्री० सहगल जी 'अवाञ्छनीय' (Undesirable) अर्थात् न चाहने योग्य व्यक्ति हैं।

❀

यह लीजिए! एक ओर 'चाह' की यह हालत कि श्री० सहगल जी के बिना 'दिन नहिं चैन रात नहिं निंदिया' दामे-उलफ़त की तैयारी में न हाथ थकते हैं न दिल और दिमाग़ और दूसरी ओर फाँसी देखने के समय The District Magistrate .... thinks most undesirable! वल्लाह! यह प्रेम की पहेली तो देखते हैं, मीर ख़ुसरू की पहेलियों से भी कठिन है।

❀

ख़ैर, श्री० सहगल जी ने 'जेलाधिप' महोदय को लिखा है कि मेहरबानी करके लिखिए कि फाँसी देखने के लिए किस योग्यता की ज़रूरत है? मगर श्री जगद्गुरु की राय है कि यहाँ योग्यता या अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि यह है बीसवीं सदी की सुधरी हुई विलायती प्रेम-प्रदर्शन की प्रणाली! अमाँ, कौन ऐसा निष्ठुर प्रेमी होगा जो अपने प्रिय को फाँसी जैसा अप्रिय दृश्य देखने को कह देगा?

❀

बङ्गाल के विप्लववादियों, सत्याग्रहियों और डाकुओं ने मिल कर ऐसी अराजकता फैला रक्खी है कि बेचारे 'स्टेट्स्मैन' की नींद और भूख एक साथ ही हराम हो जाने के साथ ही उदारता भी सिर पर सवार हो गई है। इसलिए उसने राय दी है कि फ़ौरन् बङ्गाल को प्रान्तिक स्वतन्त्रता दे दी जाए। इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि श्रीमती नौकरशाही जी अपने इन 'बचुआ' जी के दिमाग़ की दवा करावें, नहीं राजा हरिश्चन्द्र की तरह ये एक दिन सारा राज-पाट ख़ैरात कर देंगे।

❀

ख़ैर, 'स्टेट्स्मैन' ने बङ्गाल को प्रादेशिक स्वतन्त्रता देने के साथ ही बर्दवान के महाराजाधिराज बहादुर को बुला कर मन्त्री बना देने की भी सलाह दी है। माशा अल्लाह, हम इसकी तहेदिल से ताईद करते हैं। क्योंकि महाराजाधिराज बहादुर अपना राज-पाट 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स' को सौंप कर बड़े मनोयोग के साथ विलायती बीबियों के साथ 'बॉलडान्स' की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फलतः आपके बङ्गाल की वज़ारत की मसनद पर बैठते ही चारों ओर शान्ति की दुन्दुभी बज उठेगी। क्योंकि कौन अभागा ऐसा होगा जो नाच देखना छोड़ कर डकैती करने जाएगा?

❀

परन्तु एक हिन्दू को वज़ारत की गद्दी पर विराजमान देख कर सर ग़ज़नवी साहब अवश्य नाराज़ हो जायँगे। इसलिए मुनासिब है कि महाराजाधिराज बहादुर के साथ ही ढाका के नवाब बहादुर भी महामन्त्री बना दिए जाएँ। क्योंकि आपने भी अपना सारा नवाबी झञ्झट कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स को सौंप दिया है। साथ ही आपने ढाका के 'दाढ़ी-चोटी सम्मेलन' के समय शान्ति स्थापित करने में जिस योग्यता का परिचय दिया था, वह तो ऐसा है कि मन्त्री क्या आप मन्त्री के बाप भी बना दिए जाएँ, तो कोई हानि नहीं! वल्लाह, मालूम होता है कि अल्लाह मियाँ ने स्टेट्स्मैन के दिमाग़ में मौलिकताओं का ढेर सा लगा दिया है!

❀

हमारे ख़ुराफ़ाती ख़लीफ़ा उर्फ़ मोटे मौलाना की राय है कि कॉङ्ग्रेस वाले किसी बात को सीधी तौर से सोचना नहीं जानते हैं। बस, यही राय अपने राम की भी है और इसकी ख़ास वजह यह है कि कॉङ्ग्रेस वाले चर्चिल के चमचमाते 'चप्पलों' से अपनी चाँद की मरम्मत नहीं कराते, इसीसे उनका दिमाग़ सदा टेढ़ा ही बना रहता है। फलतः वे किसी बात को सीधी तौर से सोचें तो कैसे सोचें? परन्तु मौलाना एक तो मुद्दत तक सूँड़ीख़ानों की सरदारी कर चुके हैं और दूसरे उपर्युक्त रीति से चाँद की मरम्मत भी कराते रहते हैं, इसलिए जो कुछ सोचते हैं वह तकुए की तरह सीधा होता है।

❀

न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्‌विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

अगस्त, १९३१ की विषय-सूची

इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

स्थानीय	
वार्षिक चन्दा	... १२)
छःमाही चन्दा	... ६॥)
तिमाही चन्दा	... ३॥)
एक मास का	... १॥)

अतिरिक्त स्थानों के लिए	
वार्षिक चन्दा	... १६)
छःमाही चन्दा	... ८)
तिमाही चन्दा	... ४॥)
एक मास का	... २)

का

दैनिक संस्करण

मूल्य केवल)॥ पैसा — मूल्य केवल)॥ पैसा

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही—सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने 'भविष्य' का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।

पाठकों को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है। केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त भारत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है; किन्तु इतना होते हुए भी इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न होना, जो निर्भीकतापूर्वक अत्याचार-पीड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा करने पर तुल गए हैं—परिणाम चाहे जो भी हो।

कुछ विशेषताएँ

(१) सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में क्राऊन साइज़ (साप्ताहिक 'भविष्य' के साइज़ का दूना) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अर्थ यह है कि अन्य सभी दो पैसे वाले दैनिकों की अपेक्षा इसमें दूना मैटर रहेगा। यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र ही ६ पृष्ठ कर दिए जायँगे।

(२) 'भविष्य' के दैनिक संस्करण के लिए ऐसोसिएटेड तथा फ्री प्रेस आदि सभी सम्वाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए जायँगे, जिसका अर्थ यह होगा, कि पाठक 'भविष्य' में अङ्गरेज़ी के किसी भी फ़र्स्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावेंगे।

(३) 'भविष्य' में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा कार्टून आदि भी पाठकों को मिलेंगे।

(४) 'भविष्य' में पाठकों को उर्दू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगी; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा—कोई बात उठा न रक्खी जायगी।

(५) 'भविष्य' २४ पाउण्ड के चिकने काग़ज़ पर छपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा।

(६) 'भविष्य' का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित होने के बाद साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

'भविष्य' का सम्पादकीय बोर्ड

१—श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० (जेल में)
२—श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३—श्रीमती लक्ष्मी देवी
४—श्री० नन्दकिशोर तिवारी, बी० ए०
५—मुन्शी नवज़ादिकलाल श्रीवास्तव
६—श्री० देवीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
७—श्री० सत्यभक्त जी
८—पं० रामकिशोर मालवीय
९—कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, (हिं०-क०-विभाग)
१०—कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-क०-वि०)
११—प्रो० रामकुमार वर्मा, एम० ए० (हिन्दी-क०-वि०)
१२—श्री० रामरखसिंह सहगल

(१) व्यापारियों को 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने व्यापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मँगा कर देखिए।

(२) प्रत्येक शहर, क़स्बे, तहसील और गाँव में ईमानदार एजण्टों की आवश्यकता है। नियमावली मँगा कर देखिए।

विज्ञापनदाताओं तथा एजण्टों को शीघ्रता करनी चाहिए

मैनेजर 'भविष्य' (दैनिक) चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Sreemati Lakshmi Devi, vice Sjt. Tribeni Prasad, B. A. and Sjt. Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., both in jail, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad